बहारे शरीअत

1 से 10

मुसन्निफ

[illegible] अमजद अ़ली आज़[illegible] [illegible]हिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

[illegible] [illegible]हम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
दो मीनार मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

पाँचवाँ हिस़्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (पाँचवाँ हिस़्सा)
मुसन्निफ़	स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रह़मह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुह़म्मद शफ़ीकुल ह़क़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
त़ादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
7 मकतबा रह़मानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअ़त उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़क़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आ़लिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन2010

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

ज़कात का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है: وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ○

तर्जमा :– "और मुत्तक़ी वह है कि हमने जो उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते है ।"

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیْهِمْ بِهَا

तर्जमा :– "उनके मालों में से सदक़ा लो उसकी वजह से उन्हें पाक और सुथरा बना दो।"

और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :– وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○

तर्जमा :– फ़लाह पाते वह है जो ज़कात अदा करते हैं ।

और फ़रमाता है:–

وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ○

तर्जमा :– "और जो कुछ तुम ख़र्च करोगे अल्लाह तआ़ला उसकी जगह और देगा वह बेहतर रोज़ी देने वाला है।"

और फ़रमाता है :–

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ○ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ○ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ ○

तर्जमा :– "जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी कहावत उस दाने की है जिस से सात बालें निकलीं, हर बाल में सौ दाने और अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है और अल्लाह वुसअ़त वाला और बड़ा इल्म वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करते हैं फिर ख़र्च करने के बाद न एहसान जताते न अज़ियत देते हैं उनके लिए उनका सवाब उनके रब के हुज़ूर है और न उन पर कुछ ख़ौफ़ है और न वह ग़मगीन होंगे अच्छी बात और मग़फ़िरत उस सदक़े से बेहतर है जिस के बअ़्द अज़ियत देना हो और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है"।

और फ़रमाता है :–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ۬ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ○

तर्जमा :– "हरगिज़ नेकी हासिल न करोगे जब तक उस में से न ख़र्च करो जिसे महबूब रखते हो और जो कुछ ख़र्च करोगे अल्लाह उसे जानता है"।

और फ़रमाता है :–

لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓىٕكَةِ

وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ٥

तर्जमा :– " नेकी इसका नाम नहीं कि मशारिक़ व मग़ारिब की तरफ़ मुँह कर दो नेकी तो उसकी है जो अल्लाह और पिछले दिन और मलाइका व किताब व अम्बिया पर ईमान लाया और माल को उसकी महब्बत पर रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िर और साइलीन (मांगने वाले) को और गर्दन छुटाने में दिया और नमाज़ क़ाइम की और ज़कात दी और नेक वह लोग हैं कि जब कोई मुआहदा करें तो अपने अ़हद को पूरा करें और तकलीफ़ व मुसीबत और लड़ाई के वक़्त सब्र करने वाले वह लोग सच्चे हैं और वही लोग मुत्तक़ी हैं"।

और फ़रमाता है :–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

तर्जमा :– " जो लोग बुख़्ल (कंजूसी)करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से उन्हें दिया वह यह गुमान न करें कि यह उनके लिए बेहतर है बल्कि यह उनके लिये बुरा है उस चीज़ का क़ियामत के दिन उनके गले में तौक़ डाला जायेगा जिसके साथ बुख़्ल किया"।

और फ़रमाता है :–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ٥ لا يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ٥

तर्जमा :– "जो लोग सोना और चाँदी जमा करते और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़ुशख़बरी सुना दो जिस दिन आतिशे जहन्नम में वह तपाये जायेंगे और उनसे उन की पेशानियाँ और करवटें और पीठें दाग़ी जायेंगी (और उन से कहा जायेगा)यह वही है जो तुमने अपने नफ़्स के लिए जमा किया था तो अब चखो जो जमा करते थे"। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कोई रुपया दूसरे रुपये पर न रखा जायेगा न कोई अशर्फ़ी दूसरी अशर्फ़ी पर बल्कि ज़कात न देने वाले का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जायेगा कि लाखों करोड़ों जमा किये हों तो हर रुपया जुदा दाग़ देगा"।

नीज़ ज़कात के बयान में ब–कसरत आयात वारिद हुईं जिनसे उसका मोहतम बिश्शान होना ज़ाहिर है यअ़नी जिससे ज़कात की शान की अ़ज़मत ज़ाहिर होती है। अहादीस इसके बयान में बहुत हैं बअ़ज़ उनमें से यह हैं।

हदीस न.1व 2 :– सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसको अल्लाह तआ़ला माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वह माल गन्जे साँप की सूरत में कर दिया जायेगा जिसके सर पर दो चित्तियाँ होंगी वह साँप उसके गले में तौक़ बनाकर डाल दिया जायेगा फिर उसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। उसके बअ़द हुज़ूर ने इस आयत की

तिलावत की :– وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْا

इसी के मिस्ल तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

ह़दीस न.3 :– इमाम अ़हमद की रिवायत अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से यूँ है जिस माल की ज़कात नहीं दी गई कि़यामत के दिन वह गंजा साँप होगा मालिक को दौड़ायेग। वह भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियाँ उसके मुँह में डाल देगा।

नोट :– साँप जब हज़ार बरस का होता है तो उसके सर पर बाल निकलते हैं और जब दो हज़ार बरस का होता है वह बाल गिर जाते हैं और वह गंजा हो जाता है और जो साँप जितना पुराना होता है उतना ही उसका ज़हर तेज़ होता है।

ह़दीस न.4 व 5 :– स़ही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम जो शख़्स सोने चाँदी का मालिक हो और उसका हक़ अदा न करे तो जब कि़यामत का दिन होगा उसके लिए आग के पत्तर बनाये जायेंगे और उन पर जहन्नम की आग भड़काई जायेगी और उनसे उसकी करवट और पेशानी और पीठ दाग़ी जायेंगी जब ठन्डे होने पर आयेंगे फिर वैसे ही कर दिये जायेंगे। यह मामला उस दिन का है जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार बरस है यहाँ तक कि बन्दों के दरमियान फ़ैसला हो जायेगा और अब वह अपनी राह देखेगा ख़्वाह ज़न्नत की त़रफ़ जाये या जहन्नम की त़रफ़ और ऊँट के बारे में फ़रमाया जो उसका हक़ नहीं अदा करता क़यामत के दिन हमवार मैदान में लिटा दिया जायेगा और वह ऊँट सब के सब निहा़यत फ़रबा(मोटे) होकर आयेंगे पाँव से उसे रौंदेंगे और मुँह से काटेंगे। जब उनकी पिछली जमाअ़त गुज़र जायेगी पहली लौटेगी और गाय और बकरियों के बारे में फ़रमाया कि उस शख़्स को हमवार मैदान में लिटायेंगे और वह सब की सब आयेंगी न उनमें मुड़े हुए सींग की कोई होगी न बे–सींग की न टुटे सींग की और सींगो से मारेंगी और खुरों से रौंदेंगी और इसी के मिस्ल सही़ह़ैन में ऊँट और गाय और बकरियों की ज़कात न देने में अबूज़र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी।

ह़दीस न.6 :– स़ही़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम के बाद जब सिद्दीक़े अकबर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ख़लीफ़ा हुए देहात में कुछ लोग काफ़िर हो गये (कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से इन्कार कर बैठे)सिद्दीक़े अकबर ने उन पर जिहाद का हुक्म दिया अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़्ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा उनसे आप क्यूँ कर कि़ताल (जंग)करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तो यह फ़रमाया है मुझे हुक्म है कि लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहें और जिसने 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कह लिया उसने अपनी जान और माल बचा लिया मगर ह़क़ इस्लाम में और उसका हि़साब अल्लाह के ज़िम्मे है (यअ़नी यह लोग 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहने वाले हैं इन पर कैसे जिहाद किया जायेगा)सिद्दीक़े अकबर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया ख़ुदा की क़सम मैं उससे जिहाद करूँगा जो नमाज़ व ज़कात में तफ़रीक़ करे (कि नमाज़ को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़र्ज़ियत से इन्कार करे)ज़कात ह़क्क़ुल माल है यअ़नी माल का ह़क़ है कि उसमें से ख़ुदा की राह में ख़र्च करे। ख़ुदा की क़सम बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के पास हाज़िर किया करते थे अगर मुझे देने से इन्कार करेंगे तो उस पर उनसे जिहाद करूँगा।

फ़ारूके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं वल्लाह (खुदा की क़सम)मैंने देखा कि अल्लाह तआ़ला ने सिद्दीक़ का सोना खोल दिया है उस वक़्त मैंने भी पहचान लिया कि वही हक़ है।

हदीस न. 7 :– अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि जब यह आयते करीमा وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ नाज़िल हुई ,मुसलमानों पर शाक़ हुई (समझे कि चाँदी)सोना जमा करना हराम है तो बहुत दिक़्क़त का सामना होगा)फ़ारूके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने कहा मैं तुम से मुसीबत दूर करूँगा। ख़िदमते अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम में हाज़िर हुए अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! यह आयत हुज़ूर के असहाब पर गिराँ मअ्लूम हुई फ़रमाया अल्लाह तआ़ला ने ज़कात तो इसलिए फ़र्ज़ की कि तुम्हारे बाक़ी माल को पाक कर दे और मवारीस (यअ्नी मीरास)इस लिए फ़र्ज़ किये कि तुम्हारे बअ्द वालों के लिये हो (यअ्नी मुतलक़न माल जमा करना हराम हो तो ज़कात से माल की तहारत न होती बल्कि ज़कात किस चीज़ पर वाजिब होती और मीरास काहे में जारी होती बल्कि जमा करना हराम वह माल है कि जिसकी ज़कात न दे)इस पर फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने तकबीर कही।

हदीस न. 8 :– बुख़ारी अपनी तारीख़ में और इमाम शाफ़िई व बज़्ज़ाज़ व बैहक़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। बाज़ इमामों ने इस हदीस के यह मअ्ना बयान किये कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाये रहा तो यह हराम उस हलाल को हलाक (बरबाद)कर देगा और इमाम अहमद ने यह फ़रमाया कि इस हदीस के मअ्ना यह हैं कि मालदार शख़्स माले ज़कात ले तो यह ज़कात कमाल उस के माल को हलाक कर देगा कि ज़कात तो फ़क़ीरों के लिए है और दोनों मअ्ना सही हैं।

हदीस न. 9 :– तबरानी ने औसत में फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं खुश्की व तरी में जो माल तलफ़ (बरबाद)होता है वह ज़कात न देने से से तलफ़ होता है।

हदीस न. 11 :– सहीहैन में अहनफ़ इब्ने कैस से मरवी सय्येदिना अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया उनके सरे पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पत्थर रखेंगे कि सीना तोड़ कर शाने से निकल जायेगा और शाने की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियाँ तोड़ता सीने से निकलेगा और सही मुस्लिम शरीफ़ में यह भी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि पीठ तोड़ कर करवट से निकलेगा और गुद्दी तोड़ कर पेशानी से।

हदीस न. 12 :– तबरानी अमीरुल मोमिनीन अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़क़ीर हर्गिज़ नंगे भूखे होने की तकलीफ़ न उठायेंगे मगर मालदारों के हाथों,सुन लो ,ऐसे तवंगरों (मालदारों)से अल्लाह तआ़ला सख़्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा।

हदीस न. 13 :– नीज़ तबरानी अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ियामत के दिन तवंगरों के लिये मुहताजों के हाथों से ख़राबी है मुहताज अर्ज़ करेंगे हमारे हुक़ूक़ जो तूने उन पर फ़र्ज़ किये थे उन्होंने ज़ुलमन न दिये अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा मुझे क़सम है अपनी इ़ज़्ज़त व जलाल की कि तुम्हें अपना क़ुर्ब अ़ता करूँगा और उन्हें दूर रखूँगा।

हदीस न. 14 :– इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोज़ख़ में सब से पहले तीन शख़्स जायेंगे इन में एक वह तवंगर है कि अपने माल में अल्लाह तआला का हक़ अदा नहीं करता।

हदीस न. 15 :– इमाम अहमद मुसनद में अम्मारा इब्ने हज़्म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज़ की हैं जो इनमें से तीन अदा करे वह उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी चारों न बजा लाये। नमाज़, ज़कात रोज़ा –ए–रमजररान, हज्जे बैतुल्लाह।

हदीस न. 16 :– तबरानी कबीर में रावी अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हमें हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढें और ज़कात दें और जो ज़कात न दे उसकी नमाज़ क़बूल नहीं।

हदीस न. 17 :– सहीहैन व मुसनद व सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ा देने से माल कम नहीं होता और बन्दा किसी का क़ुसूर माफ़ करे तो अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त ही बढ़ायेगा और जो अल्लाह के लिये तवाज़ोअ़ करे अल्लाह उसे बलन्द फ़रमायेगा।

हदीस न. 18 :– बुख़ारी व मुस्लिम उन्हीं से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करे वह जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा और जन्नत के कई दरवाज़े हैं जो नमाज़ी है दरवाज़ए नमाज़ से बुलाया जायेगा जो अहले जिहाद से है दरवाज़ए जिहाद से बुलाया जायेगा जो अहले सदक़ा से है दरवाज़ए सदक़ा से बुलाया जायेगा जो रोज़ादार है बाबुर्रय्यान से बुलाया जायेगा। सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की इसकी तो कुछ ज़रूरत नहीं कि हर दरवाज़े से बुलाया जाये (यअ़नी मक़सूद जन्नत में दाख़िल होना है वह एक दरवाज़े से हासिल है)मगर कोई है ऐसा जो सब दरवाज़ों से बुलाया जाये। फ़रमाया हाँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से हो।

हदीस न. 19 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स खजूर बराबर हलाल कमाई से सदक़ा करे और अल्लाह नहीं क़बूल फ़रमाता मगर हलाल को तो उसे अल्लाह तआला दस्ते रास्त(यानी दस्ते क़ुदरत)से क़बूल फ़रमाता है फिर उसे उसके मालिक के लिये परवरिश करता है जैसे तुम में कोई अपने बछेरे की तर्बियत करता है यहाँ तक कि वह सदक़ा पहाड़ बराबर हो जाता है

हदीस न. 20 व 21 :– नसई व इब्ने माजा अपनी सुनन में व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में और हाकिम ने अबू हुरैरा व अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुतबा पढ़ा और यह फ़रमाया कि क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है। इसको तीन बार फ़रमाया फिर सर झुका लिया तो हम सब ने सर झुका लिये और रोने लगे, यह नहीं मअ़लूम कि किस चीज़ पर क़सम ख़ाई फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक उठा लिया और चेहरए अक़दस में ख़ुशी नुमायाँ(ज़ाहिर) थी तो हमें यह बात सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा प्यारी थी और फ़रमाया जो बन्दा पाँचों नमाज़ें पढ़ता है और रमज़ान के रोज़े रखता है और ज़कात देता है और सातों कबीरा गुनाहों से

बचता है उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जायेंगे और उससे कहा जायेगा कि सलामती के साथ दाख़िल हो।

हदीस न. 22 :– इमाम अहमद अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अपने माल की ज़कात निकाल कि पाक करने वाली है तुझे पाक कर देगी और रिश्तेदारों से सुलूक कर और मिस्कीन और पड़ोसी और साइल(माँगने वालों)का हक़ पहचान।

हदीस न.23 :– तबरानी ने औसत व कबीर में अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़कात इस्लाम का पुल है।

हदीस न.24 :– तबरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मेरे लिये छः चीज़ों की किफ़ालत करे तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन (ज़मानती) हूँ। मैंने अर्ज़ की वह क्या हैं या रसूलल्लाह। फ़रमाया नमाज़ व ज़कात व अमानत व शर्मगाह व शिक्म (पेट) व ज़बान।

हदीस न. 25 :– बज़्ज़ाज़ ने अलक़मा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना यह है कि अपने अमवाल (मालों) की ज़कात अदा करो।

हदीस न.26 :– तबरानी ने कबीर में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह अपने माल की ज़कात अदा करे और जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह हक़ बोले या सुकूत करे यअ्नी बुरी बात ज़बान से न निकाले और जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह अपने मेहमान का इकराम (इज़्ज़त) करे।

हदीस न.27 :– अबू दाऊद ने हसन बसरी से और तबरानी व बैहक़ी ने सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की एक जमाअत से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि ज़कात देकर अपने मालों को मज़बूत किलों में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ व तज़र्रोअ़ (गिरिया व ज़ारी) से इस्तिआनत करो यअ्नी मदद माँगो।

हदीस न. 28 :– इब्ने खुज़ैमा अपनी सही और तबरानी औसत और हाकिम मुस्तदरक में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह तआला ने उससे शर दूर फ़रमा दिया।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ज़कात शरीअत में अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरअ़ ने मुक़र्रर किया है मुसलमान फ़क़ीर को मालिक कर देना और वह फ़क़ीर न हाशमी हो न हाशमी का आज़ाद किया हुआ गुलाम और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले यअ्नी उससे कोई मुनाफ़ा मक़सूद न हो।

मसअ्ला :– ज़कात फ़र्ज़ है इसका मुन्किर काफ़िर और न देने वाला फ़ासिक़ और क़त्ल का मुस्तहक़ और अदा में देर करने वाला गुनाहगार व मरदूदुश्शहादत है यअ्नी जिसकी गवाही नहीं मानी जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :- मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी मसलन फ़क़ीर को ज़कात की नियत से खाना

खिला दिया ज़कात अदा न हुई कि मालिकै कर देना नहीं पाया गया, हाँ अगर खाना दे दिया कि चाहे खाये या ले जाये तो अदा हो गई, यूँही ज़कात की नियत से फ़क़ीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया अदा हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़क़ीर को ब–नियते ज़कात मकान रहने को दिया ज़कात अदा न हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे ने दिया बल्कि मनफ़अ़त (फ़ायदे)का मालिक किया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मालिक करने में यह भी ज़रूरी है ऐसे को दे जो क़ब्ज़ा करना जानता हो यअ्नी ऐसा न हो कि जिसे ज़कात दी जाये वह फेंक दे या धोका खाये वरना अदा न होगी मसलन निहायत छोटा बच्चा या पागल को देना और अगर बच्चे को इतनी अ़क़्ल न हो तो उसकी तरफ़ से उसका बाप जो फ़क़ीर हो या वसी(वह शख़्स जिसे वसीयत की गई हो)या जिसकी निगरानी में है क़ब्ज़ा करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़कात वाजिब होने के लिये चन्द शर्तें हैं जो नम्बर वार आती हैं।

1.मुसलमान होना काफ़िर पर ज़कात वाजिब नहीं यअ्नी अगर कोई काफ़िर मुसलमान हुआ तो उसे यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि ज़मानए कुफ़्र की ज़कात अदा करे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– काफ़िर दारूलहरब में मुसलमान हुआ और वहीं चन्द बरस तक इक़ामत की फिर दारुलइस्लाम में आया अगर उसको मअ्लूम था कि मालदार मुसलमान पर ज़कात वाजिब है तो उस ज़माने की ज़कात वाजिब है वरना नहीं और अगर दारुलइस्लाम में मुसलमान हुआ और चन्द साल की ज़कात नहीं दी तो उसकी ज़कात वाजिब है अगर्चे कहता हो कि मुझे ज़कात की फ़र्ज़ियत का इल्म नहीं क्यूँकि दारुलइस्लाम में जहल न जानना उ़ज़्र नहीं। (आ़लमगीरी वग़ैरा)

2.बुलूग़ (बालिग़ होना) **3.अक़्ल** (अ़क़्लमन्द होना)

मसअ्ला :– नाबालिग़ पर ज़कात वाजिब नहीं और जुनून (यअ्नी पागलपन)अगर पूरे साल को घेर ले तो ज़कात वाजिब नहीं और अगर साल के अव्वल आख़िर में इफ़ाक़ा होता है अगर्चे बाक़ी ज़माना जुनून में गुज़रता है तो वाजिब है और जुनून अगर अस़ली हो यअ्नी जुनून ही की हालत में बालिग़ हुआ तो उसका साल होश आने से शुरूअ् होगा, यूँही जुनून अगर आ़रिज़ी है यअ्नी कभी पागल होता हो कभी नहीं मगर पूरे साल को घेर लिया तो जब इफ़ाक़ा होगा उस वक़्त से साल की इब्तिदा (शुरूआत)होगी। (चूँकि ज़कात के लिए रक़म,सोना चांदी या माल पर साल गुज़रना शर्त होता है इसलिए यह देखना ज़रूरी होता है कि मालिके निसाब किस तारीख़ से हुआ)(जौहरा, आ़लमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बोहरा (बहुत ज़्यादा बेवक़ूफ़)पर ज़कात वाजिब नहीं जब कि इसी हालत में पूरा साल गुज़रे और अगर कभी–कभी उसे इफ़ाक़ा भी होता है तो वाजिब है जिस पर ग़शी तारी हुई उस पर ज़कात वाजिब है अगर्चे ग़शी कामिल साल भर तक हो। (आ़लमगीरी,रद्दुल मुहतार)

4.आज़ाद होना गुलाम पर, ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे माज़ून हो (माज़ून वह गुलाम कि जिसके मालिक ने तिजारत की इजाज़त दी हो या मुकातिब (वह गुलाम जिससे मालिक ने यह कह दिया कि तुम अगर इतनी रक़म या माल दे दो तो आज़ाद हो जाओगे) या उम्मे वलद (वह बाँदी जिससे मालिक की औलाद हो)या मुस्तसआ़ यअ्नी साझे का गुलाम जिसको एक शरीक ने आज़ाद कर दिया और चूँकि वह मालदार नहीं है इस वजह से बाक़ी शरीकों के हिस्से कमा कर पूरे करने का उसे हुक्म दिया गया। (आ़लमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– माज़ून ग़ुलाम ने जो कुछ कमाया है उसकी ज़कात न उस पर है न उसके मालिक पर हाँ जब मालिक को दे दिया तो अब उन बरसों की भी मालिक अदा करे जब कि ग़ुलामे माज़ून क़र्ज़ में घिरा हुआ न हो वरना उसकी कमाई पर मुतलक़न ज़कात वाजिब नहीं न मालिक के क़ब्ज़ा करने के पहले न बाद। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकातिब ने जो कुछ कमाया उसकी ज़कात वाजिब नहीं न उस पर न उसके मालिक पर जब मालिक को दे दे और साल गुज़र जाये अब–ब–शराइते ज़कात मालिक पर वाजिब होगी और गुज़श्ता बरसों यअ्नी गुज़रे हुए बरसों की वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

5. माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना :– अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब न हुई।

6. पूरे तौर पर माल का मालिक हो यअ्नी उस पर क़ाबिज़ भी हो।

मसअ्ला :– जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने ग़सब कर लिया और इसके पास ग़सब के गवाह न हों या जंगल में दफ़न कर दिया था और यह याद न रहा कि कहाँ दफ़न किया था या अन्जान के पास अमानत रखी थी और यह याद न रहा कि वह कौन है या मदयून (क़र्ज़दार)ने दैन (क़र्ज़) से इन्कार कर दिया और इसके पास गवाह नहीं फिर यह अमवाल (माल)मिल गये तो जब तक न मिले थे उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर दैन ऐसे पर है जो उसका इक़रार करता है मगर अदा में देर करता है या नादार (बहुत ग़रीब)है या क़ाज़ी के यहाँ उसके मुफ़लिस (बहुत ग़रीब) होने का हुक्म हो चुका या वह इन्कार करता है मगर इसके पास गवाह मौजूद हैं तो जब माल मिलेगा तो गुज़रे हुए साल की भी ज़कात वाजिब है। (तनवीर)

मसअ्ला :– चराई का जानवर अगर किसी ने ग़सब किया अगर्चे वह इक़रार करता हो तो मिलने के बाद भी उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– ग़सब किये हुए की ज़कात ग़ासिब (ग़सब करने वाले)पर वाजिब नहीं कि यह उसका माल ही नहीं बल्कि ग़ासिब पर यह वाजिब है कि जिस का माल है उसे वापस दे और अगर ग़ासिब ने उस माल को अपने माल में मिला दिया कि तमीज़ नामुमकिन हो और उसका अपना माल बक़द्रे निसाब है तो मजमुआ (यअ्नी कुल)पर ज़कात वाजिब है। (रद्दुल मुहतार) नोट : बक़द्रे निसाब का मतलब यह है कि इतना पैसा या सोना चाँदी या माल होना जिससे ज़कात फ़र्ज़ हो।

मसअ्ला :– एक ने दूसरे के मसलन हज़ार रुपये ग़सब कर लिए फिर वही रुपये उससे किसी और ने ग़सब करके ख़र्च कर डाले और इन दोनों ग़ासिबों के पास हज़ार–हज़ार रूपये अपनी मिल्क के हैं ग़ासिबे अव्वल पर ज़कात वाजिब है दूसरे पर नहीं (आलम गीरी)

नोट :– हज़ार–हज़ार रुपयै होने का मतलब यह है ग़ासिबे अव्वल की अपनी रक़म और ग़सब की हुई रक़म दोनों मिलाकर अगर बक़द्रे निसाब होती हैं तो ग़ासिबे अव्वल पर ज़कात वाजिब है दूसरे ग़ासिब पर इस लिए वाजिब नहीं होगी क्यों कि ग़सब की हुई रक़म दूसरे ग़ासिब के माल में शामिल नहीं की जायेगी शामिल न करने की सूरत में उसकी रक़म निसाब की मिक़दार को नहीं पहुँचती हज़ार रूपये की क़ैद इस ज़माने में ठीक नहीं है क्यों कि सिर्फ़ दो हज़ार रूपये के मालिक पर ज़कात वाजिब नहीं जिस वक़्त उर्दू बहारे शरीअ् तस्नीफ़ की गई होगी उस वक़्त दो हज़ार की रक़म निसाब को पहुँचती होगी। (कादरी)

मसअ्ला :– शयए मरहून (गिरवीं रखी हुई चीज़)की ज़कात न मुरतहिन (जिस के पास गिरवीं रखी गयी) पर है न राहिंन (गिरवी रखने वाले)पर। मुरतहिन तो मालिक ही नहीं और राहिन की मिल्के ताम (यानी पूरा क़ब्ज़ा) नहीं कि उसके क़ब्ज़े में नहीं और रहन छुड़ाने के बाद भी इन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला :– जो माल तिजारत के लिए ख़रीदा और साल भर तक उस पर क़ब्ज़ा न किया तो क़ब्ज़े से पहले मुश्तरी (ख़रीदार) पर ज़कात वाजिब नहीं और क़ब्ज़े के बअ्द उस साल की भी ज़कात वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना ।

मसअ्ला :– निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं ख़्वाह वह दैन बन्दे का हो जैसे कर्ज़ ज़रे समन (क़ीमत में देने वाला रुपया या सामान)किसी चीज़ का तावान या अल्लाह तआला का दैन हो जैसे ज़काते ख़िराज मसलन कोई शख़्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और दो साल गुज़र गये कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है दूसरे साल की नहीं कि पहले साल की ज़कात इस पर दैन है इसके निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी नहीं रहती, लिहाज़ा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं। यूँ ही अगर तीन साल गुज़र गये मगर तीसरे में एक साल की बाक़ी थी कि पाँच दिरहम और हासिल हुये जब भी पहले ही साल की ज़कात वाजिब है कि दूसरे और तीसरे साल में ज़कात निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी नहीं, हाँ जिस दिन कि वह पाँच दिरहम हासिल हुए उस दिन से एक साल तक अगर निसाब बाक़ी रह जाये तो अब इस साल के पूरे होने पर ज़कात न दी फिर सारे माल को हलाक कर दिया फ़िर और माल हासिल किया कि यह बक़द्रे निसाब है मगर साले अव्वल की ज़कात जो इसके ज़िम्मे दैन है उसमें से निकालें तो निसाब बाक़ी नहीं रहती तो इस नये साल की ज़कात वाजिब नहीं और अगर उस पहले माल को इसने क़स्दन(जानबुझ कर)हलाक न किया बल्कि बिला क़स्द हलाक हो गया तो उसकी ज़कात जाती रही। लिहाज़ा उसकी ज़कात दैन नहीं तो उस सूरत में इस नये साल की ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर खुद मदयून (कर्ज़दार)नहीं मगर मदयून का कफ़ील(ज़मानती)है और कफ़ालत यानी अगर ज़ैद रुपया नहीं देगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ जिसे ज़मानत में लेना कहते हैं तो ज़मानत के रुपये निकालने के बाद निसाब बाक़ी नहीं रहती ज़कात वाजिब नहीं मसलन ज़ैद के पास हज़ार रुयये हैं और अम्र ने किसी से हज़ार कर्ज़ लिये और ज़ैद ने उसकी कफ़ालत की तो ज़ैद पर इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं कि ज़ैद के पास अगर्चे रुपये हैं मगर अम्र के कर्ज़ में मुस्तग़रक (घिरे हुए)हैं कि कर्ज़ख़्वाह को इख़्तियार है ज़ैद से मुतालबा करे और रुपये न मिलने पर यह इख़्तियार है कि ज़ैद को क़ैद करा दे तो यह रुपये दैन में मुसतग़रक हैं। लिहाज़ा ज़कात वाजिब नहीं और अगर अम्र की दस शख़्सों ने कफ़ालत की और सब के पास हज़ार–हज़ार रुएये हैं जब भी उनमें से किसी पर ज़कात वाजिब नहीं कि कर्ज़ख़्वाह हर एक से मुतालबा कर सकता है और न मिलने की सूरत में जिस को चाहे क़ैद करा दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो दैन मिआ़दी हो वह मज़हबे सही में वुजूबे ज़कात का मानेअ् नहीं यअ्नी ऐसा दैन होने पर ज़कात वाजिब रहती है (रद्दुल मुहतार) चूँकि आदतन दैन महर का मुतालबा नहीं होता

लिहाज़ा अगर्चे शौहर के ज़िम्मे कितना ही दैन महर हो जब वह मालिके निसाब है ज़कात वाजिब है दैन महर माल में से कम नहीं किया जायेगा।(आलमगीरी)खुसूसन महरे मुअख़्ख़र जो आम तौर पर यहाँ राइज है जिस की अदा की कोई मीआद (वक़्त)मुअय्यन नहीं होती उसके मुतालबे का तो औरत को इख़्तियार ही नहीं जब तक मौत या तलाक़ व्राकेअ़ न हो।

मसअला :– औरत का नफ़्क़ा शौहर पर दैन नहीं क़रार दिया जायेगा जब तक क़ाज़ी ने हुक्म न दिया हो या दोनों ने बाहम किसी मिक़दार पर तसफ़िया न कर लिया हो यअ्नी कोई मिक़दार तय न की हो औरत के अलावा किसी रिश्तेदार का नफ़्क़ा उस वक़्त दैन है जब एक महीने से कम ज़माना गुज़रा हो या उस रिश्तादार ने क़ाज़ी के हुक्म से क़र्ज़ लिया और अगर यह दोनों बातें नहीं तो साक़ित है और मानेए ज़कात नहीं यअ्नी ज़कात देनी होगी। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दैन उस वक़्त मानेए ज़कात (ज़कात को रोकने वाला)है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो और अगर निसाब पर साल गुज़रने के बाद हुआ तो ज़कात पर इस दैन का कुछ असर नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– जिस दैन का मुतालबा बन्दों की तरफ़ से न हो उस का इस जगह एअ्तिबार नहीं यअ्नी वह मानेए ज़कात नहीं मसलन नज़्र व कफ़्फ़ारा व सदक़ए फ़ित्र व हज व क़ुर्बानी कि अगर इनके मसारिफ़(खर्च) निसाब से निकालें तो अगर्चे निसाब बाक़ी न रहे ज़कात वाजिब है उश्र व ख़िराज वाजिब होने के लिये दैन मानेअ़ नहीं यअ्नी अगर्चे मदयून (क़र्ज़दार) हो यह चीज़ें उस पर वाजिब हो जायेंगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– जो दैन असनाए साल (साल के दरमियान) में आरिज़ हुआ यअ्नी शुरूअ़ साल में मदयून न था फिर मदयून हो गया फिर साले तमाम पर अलावा दैन के निसाब का मालिक हो गया तो ज़कात वाजिब हो गई। इस की सूरत यह है कि फ़र्ज़ करो क़र्ज़ख़्वाह ने क़र्ज़ माफ़ कर दिया तो अब चूँकि इसके ज़िम्मे दैन न रहा और साल भी पूरा हो चुका है। लिहाज़ा वाजिब है कि अभी ज़कात दे यह नहीं कि अब से एक साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी और अगर शुरूअ़ साल से मदयून था और साल ख़त्म होने पर माफ़ किया तो अभी ज़कात वाजिब न होगी बल्कि अब से साल गुज़रने पर। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– एक शख़्स मदयून है और चन्द निसाब का मालिक है कि हर एक से दैन अदा हो जाता है मसलन उसके पास रुपये अशर्फ़ियाँ भी हैं, तिजारत के असबाब भी, चराई के जानवर भी तो रुपये अशर्फ़ियाँ दैन के मुक़ाबिल समझे और चीज़ों की ज़कात दे और अगर रुपये अशर्फ़ियाँ न हों और चराई के जानवरों की चन्द निसाबें हों मसलन चालीस बकरियाँ हैं और तीस गायें और पाँच ऊँट तो जिसकी ज़कात में उसे आसानी हो उस की ज़कात दे और दूसरे को दैन में समझे तो इस सूरते मज़कूरा में अगर बकरियों या ऊँटों की ज़कात देगा तो एक बकरी देनी होगी और गाय की ज़कात में साल भर का बछड़ा और ज़ाहिर है कि एक बकरी देना बछड़ा देने से आसान है। लिहाज़ा बकरी दे सकता है और अगर बराबर हों तो उसे इख़्तियार है मसलन पाँच ऊँट हैं और चालीस बकरियाँ दोनों की ज़कात एक बकरी है उसे इख़्तियार है जिसे चाहे दैन के लिये समझे और जिसको चाहे ज़कात दे और यह सब तफ़सील उस वक़्त है कि बादशाह की तरफ़ से कोई ज़कात वुसूल करने वाला आये वरना अगर बतौरे ख़ुद देना चाहता है तो हर सूरत में इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– इस पर हज़ार रुपये क़र्ज़ हैं और इसके पास हज़ार रुपये हैं और एक मकान और ख़िदमत के लिये एक गुलाम तो ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे मकान व गुलाम दस हज़ार की क़ीमत के हों कि यह चीज़ें हाजते असलिया से हैं और जब रुपये मौजूद हैं तो क़र्ज़ के लिये रुपये क़रार दिये जायेंगे न कि मकान व गुलाम। (आलमगीरी)

8. निसाब हाजते अस्लिया से फ़ारिग़ हो

मसअ्ला :– हाजते अस्लिया यअ्नी जिसकी तरफ़ ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है उस में ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े ख़ानादारी के सामान सवारी के जानवर ख़िदमत के लिए लौंडी गुलाम आलाते हरब यअ्नी लड़ाई के लिए हथियार पेशावरों के औज़ार अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें खाने के लिए ग़ल्ला।(हिदाया आलमगीरी)

मसअ्ला :– ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस से कोई काम करेगा और काम में उस का असर बाक़ी रहेगा जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू(एक क़िस्म की घास)और तेल वग़ैरा अगर इस पर साल गुज़र गया ज़कात वाजिब है यूँही रंगरेज ने उजरत पर कपड़ा रंगने के लिये कूसुम जअ्फ़रान ख़रीदा तो अगर बक़द्रे निसाब है और साल गुज़र गया ज़कात वाजिब है, पुड़िया वग़ैरा रंग का भी यही हुक्म है और अगर वह ऐसी चीज़ है जिसका असर बाक़ी नहीं रहेगा जैसे साबुन तो अगर्चे बक़द्रे निसाब हो और साल गुज़र जाये ज़कात वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इत्र फ़रोश ने इत्र बेचने के लिए शीशियाँ ख़रीदीं उन पर ज़कात वाजिब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़र्च के लिए रुपये के पैसे लिये तो यह भी हाजते असलिया में हैं। हाजते अस्लिया में ख़र्च करने के रुपये रखे हैं तो साल में जो कुछ ख़र्च किया किया और जो बाक़ी रहे अगर बक़द्रे निसाब हैं तो इनकी ज़कात वाजिब है अगर्चे इसी नियत से रखे हैं कि आइन्दा हाजते अस्लिया ही में ख़र्च होंगे और अगर साल पूरा होने के वक़्त हाजते अस्लिया करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अहले इल्म के लिए किताबें हाजते अस्लिया से हैं और ग़ैरे अहल के भी पास हों जब भी किताबों की ज़कात वाजिब नहीं जबकि तिजारत के लिए न हों। फ़र्क़ इतना है कि अहले इल्म के पास इन किताबों के अलावा अगर माल बक़द्रे निसाब न हो तो ज़कात लेना भी जाइज़ है और ग़ैरे अहल के लिये नाजाइज़ जबकि दो सौ दिरहम क़ीमत की हों। अहल वह हैं जिसे पढ़ने पढ़ाने या तसहीह (सही करने) के लिए उन किताबों की ज़रूरत हो। किताब से मुराद मज़हबी किताबें फ़िक़्ह व तफ़सीर व हदीस हैं अगर एक किताब के चन्द नुस्ख़े हों तो एक से ज़ाइद जितने नुस्ख़े हों अगर दो सौ दिरहम की क़ीमत के हों तो इस अहल को भी ज़कात लेना नाजाइज़ है ख़्वाह एक ही किताब के ज़ाइद नुस्ख़े इस क़ीमत के हों या मुतअ्द्दिद किताबों के ज़ाइद नुस्ख़े मिलकर इस क़ीमत के हों। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाफ़िज़ के लिए क़ुर्आन मजीद हाजते असलिया से नहीं और ग़ैरे हाफ़िज़ के लिए एक से ज़्यादा हाजते अस्लिया के अलावा है। यअ्नी अगर मुस्हफ़ शरीफ़ दो सौ दिरहम क़ीमत का हो तो ज़कात लेना जाइज़ नहीं। (जौहरा, रद्दुल मुहतार)तबीब(हकीम या डाक्टर)के लिए तिब की किताबें हाजते अस्लिया में हैं जबकि मुताले में रखता हो यअ्नी पढ़ने में आती हों या उसे देखने की

ज़रूरत पड़े। नह्व व सर्फ़ व नुजूम और उसूले फ़िक्ह व इल्मे कलाम व अख़लाक़ की किताबें जैसे इहयाउल उ़लूम, कीमियाए सआ़दत वग़ैरहुमा हाजते असलिया से हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– कुफ़्फ़ार और बदमज़हबों के रद और अहले सुन्नत की ताईद में जो किताबें हैं वह हाजते असलिया से हैं। यूँही आ़लिम अगर बदमज़हब वग़ैरा की किताबें इसलिए रखे कि उनका रद करेगा तो यह भी हाजते असलिया में हैं और ग़ैरे आ़लिम को तो इनका देखना ही जाइज़ नहीं।

9. माले नामी होना यअ्नी बढ़ने वाला ख़्वाह हक़ीक़तन बढ़े या हुक्मन यअ्नी अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ाये यअ्नी उसके या उसके नाइब के क़ब्ज़े में हो। हर एक की दो सूरतें हैं। वह माल इसी लिये पैदा ही किया गया हो इसे ख़िल्क़ी कहते हैं जैसे सोना चाँदी कि यह इसी लिये पैदा हुए हैं कि इनसे चीज़ें ख़रीदी जायें या इसलिए तो पैदा नहीं की गई मगर उस से यह भी हासिल होता है इसे फ़ेअ्ली कहते हैं सोने चाँदी के अ़लावा सब चीज़ें फ़ेअ्ली हैं कि तिजारत से सब में नुमू (बढ़ोतरी) होगी सोने चाँदी में मुतलक़न ज़कात उस वक़्त वाजिब है जब कि बक़द्रे नियत हों अगर्चे दफ़न कर के रखे हों तिजारत करे या न करे और इन के अलावा बाक़ी चीज़ों पर ज़कात उस वक़्त वाजिब है कि तिजारत की नियत हो या चराई पर छूटे जानवरो में। खुलासा यह कि ज़कात तीन क़िस्म के माल पर है 1–समन यअ्नी सोना चाँदी, 2–माले तिजारत 3–साइमा यअ्नी चराई पर छूटे जानवर।(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– नियते तिजारत कभी सराहतन होती है कभी दलालतन, सराहतन यह कि अ़क़्द (ख़रीद फ़रोख़्त)के वक़्त ही तिजारत की नियत कर ली ख़्वाह वह अ़क़्दे ख़रीदारी हो या इजारह (यअ्नी ठेके पर) समन (क़ीमत) रूपया अशर्फ़ी हो या असबाब (सामान) में से कोई चीज़। दलालतन की सूरत यह है कि माले तिजारत के बदले कोई चीज़ ख़रीदी या मकान जो तिजारत के लिए है उसको किसी असबाब के बदले किराये पर दिया तो यह असबाब और वह ख़रीदी हुई चीज़ तिजारत के लिये हैं अगर्चे सराहतन तिजारत की नियत न की यूँही अगर किसी से कोई चीज़ तिजारत के लिए क़र्ज़ ली तो यह भी तिजारत के लिये है मसलन दो सौ दिरहम का मालिक है और मन भर गेहूँ क़र्ज़ लिये तो अगर तिजारत के लिए नहीं लिए तो ज़कात वाजिब नहीं कि गेहूँ के दाम उन्हीं दो सौ से मुजरा किये जायेंगे तो निसाब बाक़ी न रही और अगर तिजारत के लिए लिये तो ज़कात वाजिब होगी कि इन गेहूँओं की क़ीमत दो सौ पर इज़ाफ़ा करें और मजमूआ से यअ्नी सब से क़र्ज़ मुजरा करें (घटा दें) तो दो सौ सालिम रहे यअ्नी बाक़ी रहे लिहाज़ा ज़कात वाजिब हुई।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस अ़क़्द में तबादला (अदल–बदल)ही न हो जैसे हिबा, वसीयत सदक़ा या तबादला हो मगर माल से तबादला न हो जैसे महर, बदले अ़त्क़ (ग़ुलाम का रुपया अदा करके आज़ाद हो जाना)इन दोनों क़िस्म के अ़क़्द के ज़रीए से अगर किसी चीज़ का मालिक हुआ तो उसमें नियते तिजारत सही नहीं यअ्नी अगर्चे तिजारत की नियत करे ज़कात वाजिब नहीं। यूँ ही अगर ऐसी चीज़ मीरास में मिली तो उसमें भी नियते तिजारत सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मूरिस (वह मरने वाला जो माल और वारिस छोड़ जाये)के पास तिजारत का माल था उसके मरने के बाद वारिसों ने तिजारत की नियत की तो ज़कात वाजिब है। यूँ हीं चराई के जानवर विरासत में मिले ज़कात वाजिब है चराई पर रखना चाहते हों या नहीं।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नियते तिजारत के लिए यह शर्त है कि अक़्द के वक़्त नियत हो अगर्चे दलालतन तो अगर अक़्द के बाद नियत की। ज़कात वाजिब न हुई। यूँ ही अगर रखने के लिये कोई चीज़ ली और यह नियत की कि नफ़ा मिलेगा तो बेच डालूँगा तो ज़कात वाजिब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तिजारत के लिए गुलाम ख़रीदा था फिर ख़िदमत लेने की नियत कर ली फिर तिजारत की नियत की तो तिजारत का न होगा जब तक ऐसी चीज़ के बदले न बेचे जिसमें ज़कात वाजिब होती है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मोती और जवाहिर पर ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे हज़ारों के हों, हाँ अगर तिजारत की नियत से लिये तो वाजिब हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़मीन से जो पैदावर हुई उसमें नियते तिजारत से ज़कात वाजिब नहीं, ज़मीन उ़श्री हो या ख़िराजी, उसकी मिल्क हो या आ़रियत (उधार के तौर पर) या किराये पर ली हो, हाँ अगर ज़मीन ख़िराजी हो और आ़रियत या किराये पर ली और बीज वह डाले जो तिजारत के लिए थे तो पैदावर में तिजारत की नियत सही है। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– मुज़ारिब (साझेदार) माले मुज़ारबत (साझेदारी) से जो कुछ ख़रीदे अगर्चे तिजारत की नियत न हो अगर्चे अपने ख़र्च करने के लिए ख़रीदे उस पर ज़कात वाजिब है यहाँ तक कि अगर माले मुज़ारबत से ग़ुलाम ख़रीदे फिर उनके पहनने को कपड़ा और खाने के लिये ग़ल्ला वग़ैरा ख़रीदा तो यह सब कुछ तिजारत ही के लिए हैं और सब की ज़कात वाजिब।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह्तार)

10. साल गुज़रना साल से मुराद क़मरी साल है यअ्नी चाँद के महीनों से बारह महीने, शुरूअ् साल और आख़िर साल में निसाब कामिल है मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गयी तो यह कमी कुछ असर नहीं रखती यअ्नी ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– माले तिजारत या सोने चाँदी को दरमियाने साल में अपनी जिन्स या ग़ैरे जिन्स से बदल लिया तो इसकी वजह से साल गुज़रने में नुक़्सान न आया और अगर चराई के जानवर बदल लिये तो साल कट गया यअ्नी साल अब उस दिन से शुमार करेंगे जिस दिन से बदला है। (आलमगीरी)

नोट :– सोना चाँदी तो मुतलक़न यहाँ एक ही जिन्स यअ्नी एक ही क़िस्म के हैं। यूँ ही इनके ज़ेवर बर्तन वग़ैरा सामान बल्कि माले तिजारत भी उन्हीं की जिन्स से शुमार होगा अगर्चे किसी क़िस्म का हो कि उसकी ज़कात भी चाँदी सोने से क़ीमत लगाकर दी जाती है।

मसअ्ला :– जो शख़्स मालिके निसाब है अगर दरमियाने साल में कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया तो इस नये माल का जुदा साल नहीं बल्कि पहले माल का ख़त्म साल इसके लिये भी साले तमाम है यानी पूरा साल है अगर्चे साल पूरा होने से एक ही मिनट पहले हासिल किया हो ख़्वाह वह माल इसके पहले माल से हासिल हुआ या मीरास व हिबा या और किसी जाइज़ ज़रिए से मिला हो और अगर दूसरी जिन्स का है मसलन पहले उसके पास ऊँट थे और अब बकरियाँ मिली तो इसके लिये नया साल शुमार होगा। (जौहरा)

मसअ्ला :– मालिके निसाब को दरमियाने साल में कुछ माल हासिल हुआ और इसके पास दो निसाबें हैं और दोनों का जुदा–जुदा साल है तो जो माल दरमियाने साल में हासिल हुआ इसे उसके साथ मिलाये जिसकी ज़कात पहले वाजिब हो मसलन उस के पास एक हज़ार रूपये हैं और साइमा की क़ीमत जिस की ज़कात दे चुका था कि दोनों मिलाये नहीं जायेंगे अब दरमियाने साल में एक

हज़ार रुपये और हासिल किये तो इनका साले तमाम यअ्नी इनका साल उस वक़्त पूरा माना जायेगा जो उन दोनों में पहले का हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उसके पास चराई के जानवर थे और साले तमाम पर उनकी ज़कात दी फिर उन्हें रूपयों से बेच डाला और उसके पास पहले से भी बक़द्रे निसाब रुपये हैं जिन पर आधा साल गुज़रा हो तो यह रुपये उन रुपयों के साथ मिलाये नहीं जायेंगे बल्कि उनके लिए उस वक़्त से नया साल शुरूअ् होगा यह उस वक़्त है कि यह समन (क़ीमत)के रुपये बक़द्रे निसाब हों वरना बिलइजमा यअ्नी सभी उ़लमा के नज़दीक यह हुक्म है कि उन्हीं के साथ मिलायें यअ्नी उनकी ज़कात उन्हीं रुपयों के साथ दी जाये जो रुपये पहले निसाब वाले हैं। (जौहरा)

मसअ्ला :– साल पूरा होने से पहले अगर साइमा को रुपये के बदले बेचा तो अब इन रूपयों को उन रुपयों के साथ मिला लेंगे जो पहले से इसके पास बक़द्रे निसाब मौजूद हैं यअ्नी उनके साल पूरा होने पर इनकी भी ज़कात दी जाये इनके लिए नया साल शुरूअ् न होगा यूँही अगर जानवर के बदले बेचा तो इस जानवर को उस जानवर के साथ मिलाये जो पहले से उस के पास है। अगर साइमा की ज़कात दे दी फिर उसे साइमा न रखा बल्कि बेच डाला तो समन (क़ीमत) को अगले माल के साथ मिला देंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– ऊँट, गाय, बकरी में एक को दूसरे के बदले साल पूरा होने से पहले बेचा तो अब से इनके लिये नया साल शुरूअ् होगा। यूँही अग़र और चीज़ के बदले तिजारत की नियत से बेचा तो अब से एक साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी और अगर अपनी जिन्स के बदले बेचा यानी ऊँट को ऊँट और गाय क़ो गाय के बदले जब भी यह ही हुक्म है और अगर साल पूरा होने पर बेचा तो ज़कात वाजिब हो चुकी वह इस के ज़िम्मे है।(जौहरा)

मसअ्ला :– दरमियाने साल में साइमा को बेचा था और साल पूरा होने से पहले ऐब की वजह से ख़रीदार ने वापस कर दिया तो अगर क़ाज़ी के हुक्म से वापसी हुई तो नया साल शुरूअ् न होगा वरना अब से साल शुरूअ् किया जाये और अगर हिबा कर दिया था फिर साल पूरा होने से पहले वापस कर लिया तो नया साल लिया जायेगा क़ाज़ी के फ़ैसले से वापसी हो या ब–तौरे ख़ुद यअ्नी अपने तौर पर। (जौहरा)

मसअ्ला :– इस के पास ख़िराजी ज़मीन थी ख़िराज अदा करने के बाद बेच डाली तो समन को अस्ल निसाब के साथ मिला देंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– उसके पास रुपये हैं जिनकी ज़कात दे चुका है फिर उन से चराई के जानवर ख़रीदे और इसके यहाँ उस जिन्स के जानवर पहले से मौजूद हैं तो इनको उनके साथ न मिलायेंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने उसे हज़ार रुपये बतौर हिबा दिये और साल पूरा होने से पहले हज़ार रूपये और हासिल किये फिर हिबा करने वाले ने अपने दिये हुए रुपये हुक्मे क़ाज़ी से वापस ले लिये तो इन जदीद (नए)रुपयों की भी इस पर ज़कात वाजिब नहीं जब तक इन पर साल न गुज़रे।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– किसी के पास तिजारत की बकरियाँ हैं जिनकी क़ीमत दो सौ दिरहम है और साल पूरा होने से पहले एक बकरी मर गई और साल पूरा होने से पहले इसने उसकी खाल निकाल कर पका ली तो ज़कात वाजिब है। (आ़लमगीरी) यानी जबकि वह खाल निसाब को पूरा करे।

मसअ्ला :– ज़कात देते वक़्त ज़कात के लिए माल अलाहिदा (अलग)करते वक़्त ज़कात की नियत

करना शर्त है। नियत के यह मअ्ना हैं कि अगर पूछा जाये तो बिला देर किए यह बता सके कि ज़कात है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– साल भर तक ख़ैरात करता रहा अब नियत की कि जो कुछ दिया है ज़कात है तो अदा न हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स को वकील बनाया उसे देते वक़्त तो ज़कात की नियत न की मगर जब वकील ने फ़क़ीर को दिया उस वक़्त मुवक्किल (वकील बनाने वाले) ने नियत कर ली हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात देते वक़्त नियत नहीं की थी बाद को की तो अगर वह माल फ़क़ीर के पास मौजूद है यअ्नी उसकी मिल्क में है तो यह नियत काफ़ी है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़कात देने के लिए वकील बनाया और वकील को ज़कात की नियत से माल दिया मगर वकील ने फ़क़ीर को देते वक़्त नियत नहीं की अदा हो गयी। यूँ ही ज़कात का माल ज़िम्मी को दिया कि वह फ़क़ीर को दे दे और ज़िम्मी को देते वक़्त नियत कर ली थी तो यह नियत काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वकील को देते वक़्त कहा नफ़्ल सदक़ा या कफ़्फ़ारा है मगर इससे पहले कि वकील फ़क़ीर को दे इसने ज़कात की नियत कर ली तो ज़कात ही है अगर्चे वकील ने नफ़्ल या कफ़्फ़ारा की नियत से फ़क़ीर को दिया हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स चन्द ज़कात देने वालों का वकील है और सब की ज़कात मिला दी तो उसे तावान जुर्माना देना पड़ेगा और जो कुछ फ़क़ीर को दे चुका है वह तबर्रुअ् (अल्लाह के वास्ते)है यअ्नी न मालिकों से उसका मुआवज़ा (बदला)पायेगा न फ़क़ीरों से,अलबत्ता अगर फ़क़ीरों को देने से पहले मालिकों ने मिलाने की इजाज़त दे दी तो तावान इसके ज़िम्मे नहीं। यूँही अगर फ़क़ीरों ने भी इसे ज़कात लेने का वकील किया और इसने मिला दियां तो तावान इस पर नहीं मगर इस वक़्त यह ज़रूर है कि अगर एक फ़क़ीर का वकील है और चन्द जगह से इस वकील को इतनी ज़कात मिली कि मजमुआ यअ्नी सब मिलाकर बक़द्रे निसाब है तो अब जो जानकर ज़कात दे उसकी ज़कात अदा न होगी या चन्द फ़क़ीरों का वकील है और ज़कात इतनी मिली कि हर एक का हिस्सा निसाब की क़द्र है तो अब इस वकील को ज़कात देना जाइज़ नहीं मसलन तीन फ़क़ीरों का वकील है और छह सौ दिरहम मिले कि हर एक का हिस्सा दो सौ हुआ जो निसाब है और छह सौ से कम मिला तो किसी को निसाब की क़द्र न मिला और अगर हर एक फ़क़ीर ने उसे अ़लाहिदा–अ़लाहिदा वकील बनाया तो मजमुआ नहीं देखा जायेगा बल्कि हर एक को जो मिला है वह देखा जायेगा और इस सूरत में बग़ैर फ़क़ीरों की इजाज़त के मिलाना जाइज़ नहीं और मिला देगा जब भी ज़कात अदा हो जायेगी और फ़क़ीरों को तावान देगा और अगर फ़क़ीरों का वकील न हो तो इसे दे सकते हैं अगर्चे कितनी ही निसाबें इसके पास जमा हो गईं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्दा औक़ाफ़(वक़्फ़ की जमा)के मुतवल्ली को एक की आमदनी दूसरी में मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही दलाल को ज़रे समन(क़ीमत का माल) या बिकने वाली चीज़ को मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही अगर चन्द फ़क़ीरों के लिए सवाल किया तो जो मिला बे उनकी इजाज़त के मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही आटा पीसने वाले को यह जाइज़ नहीं कि लोगों के गेहूँ मिला दे मगर जहाँ मिला देने पर उर्फ़ जारी हो यअ्नी ऐसा होता हो तो मिला देना जाइज़ है और उन सब सूरतों में तावान देगा। (ख़ानिया)

मसअला :– अगर मुवक्किलों ने सराहतन (खुले तौर पर)मिलाने की इजाज़त न दी मगर उर्फ़ ऐसा जारी हो गया यअ्नी ऐसा होने लगा है कि वकील मिला दिया करते हैं तो यह भी इजाज़त समझी जायेगी जबकि मुवक्किल उस उर्फ़ से वाकिफ़ हो मगर दलाल को मिलाने की इजाज़त नहीं कि उसमें उर्फ़ नही। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वकील को इख़्तियार है कि माले ज़कात अपने लड़के या बीवी को दे दे जबकि यह फ़क़ीर हों और लड़का अगर नाबालिग़ है तो उसे देने के लिये ख़ुद इस वकील का फ़क़ीर होना भी ज़रूरी है मगर अपनी औलाद या बीवी को उस वक़्त दे सकता है जब मुवक्किल ने इनके सिवा किसी ख़ास शख़्स को देने के लिये न कह दिया हो वरना उन्हें नहीं दे सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वकील को यह इख़्तियार नहीं कि ख़ुद ले ले, हाँ अगर ज़कात देने वाले ने यह कह दिया हो कि जिस जगह चाहो सर्फ़ (ख़र्च) करो तो ले सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर ज़कात देने वाले ने उसे हुक्म नहीं दिया ख़ुद ही उसकी तरफ़ से ज़कात दे दी तो न हुई अगर्चे अब उसने जाइज़ कर दिया हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़कात देने वाले वकील को ज़कात का रुपया दिया, वकील ने उसे रख लिया और अपना रुपया ज़कात में दे दिया तो जाइज़ है, अगर यह नियत हो कि इसके एवज़ (बदले) मुवक्किल का रुपया ले लेगा, और अगर वकील ने पहले इस रुपये को ख़ुद ख़र्च कर डाला बअ्द को अपना रुपया ज़कात में दिया तो ज़कात अदा न हुई बल्कि यह तबर्रोअ् (अल्लाह के वास्ते) है और मुवक्किल को तावान देगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़कात के वकील को यह इख़्तियार है कि बग़ैर मालिक की इजाज़त के दूसरे को वकील बना दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी ने यह कहा कि अगर मैं इस घर में जाऊँ तो मुझ पर अल्लाह के लिये इन सौ रुपयों का ख़ैरात कर देना है फिर गया और जाते वक़्त यह नियत की कि ज़कात में दे दूँगा तो ज़कात में नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअला :– ज़कात का माल हाथ पर रखा था फ़ुक़रा लूट ले गये,अदा हो गयी और अगर हाथ से गिर गया और फ़क़ीर ने उठा लिया अगर यह उसे पहचानता है और राज़ी हो गया और माल ज़ाए (बर्बाद) नहीं हुआ तो ज़कात अदा हो गयी। (आलमगीरी)

मसअला :– अमीन के पास से अमानत ज़ाए हो गयी उसने मालिक को दफ़ए ख़ुसूमत यअ्नी झगड़ा ख़त्म करने के लिये कुछ रुपये दे दिये और देते वक़्त ज़कात की नियत कर ली और मालिक फ़क़ीर भी है ज़कात अदा न हुई। (आलमगीरी)

मसअला :– माल को ज़कात की नियत से अलाहिदा कर देने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा जब तक फ़क़ीरों को न दे। यहाँ तक कि अगर वह जाता रहा तो ज़कात साक़ित न हुई और अगर मर गया तो इसमें विरासत जारी होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साल पूरा होने पर कुल निसाब ख़ैरात कर दी अगर्चे ज़कात की नियत न की बल्कि नफ़्ल की नियत की या कुछ नियत न की ज़कात अदा हो गयी और अगर कुल फ़क़ीर को दे दिया और मन्नत या किसी और वाजिब की नियत की तो देना सही है मगर ज़कात उसके ज़िम्मे साक़ित

न हुई और अगर माल का कोई हिस्सा ख़ैरात किया तो उस हिस्से की भी जकात साक़ित न होगी बल्कि इसके ज़िम्मे है और अगर कुल माल हलाक हो गया तो कुल की ज़कात साक़ित और जो बाक़ी है उसकी वाजिब अगर्चे वह ब–क़द्रे निसाब न हो। हलाक के यह मअ्ना हैं कि बग़ैर उसके फ़ेअ्ल के हलाक हो गया मसलन चोरी हो गया या किसी को क़र्ज़ या उधार दिया उसने इन्कार कर दिया और गवाह नहीं या वह मर गया और कुछ तर्का न छोड़ा या फेंक दिया या ग़नी को हिबा कर दिया तो ज़कात ब–दस्तूर वाजिबुल अदा है, एक पैसा भी साक़ित न होगा अगर्चे बिल्कुल नादार (बहुत ग़रीब)हो (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़क़ीर पर उसका क़र्ज़ था और कुल माफ़ कर दिया ज़कात साक़ित हो गयी और जुज़ यअ्नी एक हिस्सा मआफ़ किया तो उस एक हिस्से की साक़ित हो गई और अगर इस सूरत में यह नियत की कि पूरा ज़ेकात में हो जाये तो न होगी अगर मालदार पर क़र्ज़ था और कुल माफ़ कर दिया तो ज़कात साक़ित न हुई बल्कि उसके ज़िम्मे है। फ़क़ीर पर क़र्ज़ था माफ़ कर दिया और यह नियत की कि फ़लाँ पर जो दैन है यह उसकी ज़कात है अदा न हुई। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :–किसी पर उसके रुपये आते हैं फ़क़ीर से कह दिया उससे वुसूल कर ले और नियत ज़कात की की कि कब्ज़ा कर लेने के बाद अदा हो गयी। फ़क़ीर पर क़र्ज़ है उस को अपने माल की ज़कात में देना चाहता है यअ्नी चाहता है कि माफ़ कर दे और वह मेरे माल की ज़कात हो जाये यह नहीं हो सकता अलबत्ता यह हो सकता है कि उसे ज़कात का माल दे और अपने आते हुए ले ले अब अगर वह देने से इन्कार करे तो हाथ पकड़ कर छीन सकता है और यूँ भी न मिले तो क़ाज़ी के पास मुक़दमा पेश करे कि उसके पास है और मेरा नहीं देता है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़कात का रुपया मुर्दे की तजहीज़ व तकफ़ीन यअ्नी कफ़न–दफ़न या मस्जिद की तामीर में नहीं सर्फ़ (ख़र्च) कर सकते कि तमलीके फ़क़ीर नहीं पायी गई यअ्नी यहाँ पर फ़क़ीर को मालिक बनाना न पाया गया और इन कामों में सर्फ़ करना चाहें तो उसका तरीक़ा यह है कि फ़क़ीर को मालिक कर दें और वह सर्फ़ करे सवाब दोनों को होगा बल्कि हदीस में आया अगर सौ हाथों में सदक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिए और उसके अज्र में कुछ कमी न होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़कात अलानिया और ज़ाहिर तौर पर देना अफ़ज़ल है और नफ़्ल सदक़ा छिपा कर देना अफ़ज़ल है। (आलमगीरी)ज़कात में ऐलान इस वजह से है कि छिपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौक़ा मिलेगा और एलान करने से लोगों को तरग़ीब होगी कि उसको देख कर और लोग भी देंगे मगर यह ज़रूर है कि रिया न आने पाये यअ्नी दिखावा न हो सवाब जाता रहेगा बल्कि गुनाह व अज़ाब का मुस्तहक़ होगा।

मसअ्ला :– ज़कात देने में इसकी ज़रूरत नहीं कि फ़क़ीर को ज़कात कह कर दे बल्कि सिर्फ़ ज़कात की नियत कर लेना काफ़ी है यहाँ तक कि अगर हिबा या क़र्ज़ कह कर दे और नियत ज़कात की हो अदा हो गई। (आलमगीरी) यूँही नज़्र या हदया या पान खाने या बच्चों के मिठाई खाने या ईदी के नाम से दी अदा हो गयी। बाज़ मुहताज़ ज़रूरतमन्द ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते उन्हें ज़कात का कह कर दिया जायेगा तो नहीं लेंगे लिहाज़ा ज़कात का लफ़्ज़ न कहें।

मसअ्ला :– ज़कात अदा नहीं की थी और अब बीमार है तो अब वारिसों से छुपा कर दे और अगर

न दी थी और अब देना चाहता है मगर माल नहीं जिससे अदा करे और यह चाहता है कि क़र्ज़ लेकर अदा करे तो अगर ग़ालिब गुमान क़र्ज़ अदा हो जाने का है तो बेहतर यह है कि क़र्ज़ लेकर अदा करे वरना नहीं कि हुक़ूक़ुल इबाद हुक़ूक़ुल्लाह से बहुत सख़्त हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मालिके निसाब साल पूरा होने से भी पहले अदा कर सकता है ब–शर्ते कि साल पूरा होने पर भी उस निसाब का मालिक रहे और अगर साल ख़त्म होने पर एक निसाब न रहा या साल के दरमियान में वह माले निसाब बिल्कुल हलाक हो गया तो जो कुछ दिया नफ़्ल है और जो शख़्स निसाब का मालिक न हो वह ज़कात नहीं दे सकता यअ्नी अगर आइन्दा निसाब का मालिक हो गया तो जो कुछ पहले दिया है वह उसकी ज़कात में शुमार न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मालिके निसाब अगर पहले से चन्द निसाबों की ज़कात देना चाहता है तो दे सकता है यअ्नी शुरूअ् साल में एक निसाब का मालिक है और दो या तीन निसाबों की ज़कात दे दी और साल ख़त्म होने तक एक ही निसाब का मालिक रहा साल के बाद और हासिल किया तो ज़कात उसमें शुमार न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मालिके निसाब पहले से चन्द साल की भी ज़कात दे सकता है। (आलमगीरी) लिहाज़ा मुनासिब है कि थोड़ा–थोड़ा ज़कात में देता रहे और साल ख़त्म होने पर हिसाब करे और अगर ज़कात पूरी हो गयी तो बहुत अच्छा और कुछ कमी है तो अब वह फ़ौरन दे दे,देर करना जाइज़ नहीं न इसकी इजाज़त है कि अब थोड़ा–थोड़ा कर के अदा करे बल्कि जो कुछ बाक़ी है कुल फ़ौरन अदा कर दे और ज़्यादती को ज़कात में जोड़ ले।

मसअ्ला :– एक हज़ार का मालिक है और दो हज़ार की ज़कात दी और नियत यह है कि साल ख़त्म होने पर अगर एक हज़ार और हो गये तो यह उसकी है वरना आइन्दा साल में शुमार होगी यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह गुमान करके कि पाँच सौ रुपये हैं पाँच सौ की ज़कात दी फिर मअ्लूम हुआ कि चार ही सौ थे तो जो ज़्यादा दिया है आइन्दा साल में शुमार कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी के पास सोना चाँदी दोनों हैं और साल ख़त्म होने से पहले एक की ज़कात दे दी तो वह दोनों की ज़कात है यअ्नी दरमियाने साल में उनमें से एक हलाक हो गया अगर्चे वही जिसकी नियत से ज़कात दी है तो जो रह गया है उसकी ज़कात यह हो गई और अगर उसके पास गाय, बकरी ऊँट सब ब–क़द्रे निसाब हैं और पहले से उनमें एक की ज़कात दी तो जिसकी ज़कात दी उसी की है दूसरे की नहीं यअ्नी जिसकी ज़कात दी है अगर दरमियाने साल में उसकी निसाब जाती रही तो वह बाक़ियों की ज़कात नहीं क़रार दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– साल के दरमियान जिस फ़क़ीर को ज़कात दी थी साल ख़त्म होने पर वह मालदार हो गया या मर गया या मआज़ल्लाह मुरतद हो गया तो ज़कात पर उस का कुछ असर नहीं वह अदा हो गई,जिस शख़्स पर ज़कात वाजिब है अगर वह मर गया तो साक़ित हो गयी यअ्नी उसके माल से ज़कात देना ज़रूर नहीं, हाँ अगर वसीयत कर गया तो तिहाई माल तक वसीयत नाफ़िज़(जारी)है और अगर आक़िल बालिग़ वुरसा इजाज़त दे दें तो कुल माल से ज़कात अदा की जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर शक है कि ज़कात दी या नहीं तो अब दे दे। (रद्दुल मुहतार)

साइमा की ज़कात का बयान

साइमा वह जानवर है जो साल के अकसर हिस्से में चर कर गुज़र करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फ़रबा (मोटा ताज़ा)करना है। (तनवीर) अगर घर में घास लाकर खिलाते हों या मक़सूद बोझ लादना या हल वग़ैरा किसी काम में लाना या सवारी लेना है तो अगर्चे चर कर गुज़र करता हो वह साइमा नहीं और उसकी ज़कात वाजिब नहीं। यूँही अगर गोश्त खाने के लिए है तो साइमा नहीं अगर्चे जंगल में चरता हो और अगर तिजारत का जानवर चराई पर है तो यह भी साइमा नहीं बल्कि इसकी ज़कात क़ीमत लगा कर अदा की जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– छह महीने चराई पर रहता है और छह महीने चारा पाता है तो साइमा नहीं और अगर यह इरादा था कि इसे चारा देंगे इससे काम लेंगे मगर किया नहीं यहाँ तक कि साल ख़त्म हो गया तो ज़कात वाजिब है और अगर तिजारत के लिए था और छह महीने या ज़्यादा तक चराई पर रखा तो जब तक यह नियत न करे कि यह साइमा है फ़क़त चराने से साइमा न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिजारत के लिए ख़रीदा था फिर साइमा कर दिया तो ज़कात के लिए साल की शुरूआत उस वक़्त से है ख़रीदने के वक़्त से नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– साल ख़त्म होने से पहले साइमा को किसी चीज़ के बदले बेच डाला अगर यह चीज़ उस क़िस्म की है जिस पर ज़कात वाजिब होती है और पहले से इसकी निसाब उसके पास मौजूद नहीं तो अब उसके लिये इस वक़्त से साल शुमार किया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ के जानवर और जिहाद के घोड़े की ज़कात नहीं। यूँही अन्धे या हाथ पाँव कटे हुए जानवर की ज़कात नहीं अलबत्ता अन्धा अगर चराई पर रहता है तो वाजिब है। यूँही अगर निसाब में कमी है और उसके पास अन्धा जानवर है कि उसके मिलाने से निसाब पूरी हो जाती है तो ज़कात वाजिब है (आलमगीरी)तीन क़िस्म के जानवरों की ज़कात वाजिब है जबकि साइमा हों 1.ऊँट 2.गाय 3.बकरी लिहाज़ा इनकी निसाब की तफ़सील बयान करने के बाद दीगर अहकाम बयान किये जायेंगे।

ऊँट की ज़कात का बयान

सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पाँच ऊँट से कम में ज़कात नहीं और इसकी ज़कात में तफ़सील सही बुख़ारी शरीफ़ की उस हदीस में है जो अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

मसअ्ला :– पाँच ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं और जब पाँच या पाँच से ज़्यादा हों मगर पैंतीस से कम हों तो हर पाँच में एक बकरी वाजिब है यानी पाँच हों तो एक बकरी दस हों तो दो, इसी तरह समझ लें। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ज़कात में जो बकरी दी जाये वह साल भर से कम की न हो, बकरी दें या बकरा इसका इख़्तियार है। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो निसाबों के दरमियान में जो हों वह अफ़्व (माफ़)हैं यअ्नी उनकी कुछ ज़कात नहीं मसलन सात–आठ हों जब भी वही एक बकरी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पच्चीस ऊँट हों एक बिन्ते मख़ाज़ यअ्नी ऊँट का मादा बच्चा जो एक साल का हो

चुका दूसरी बरस में हो, पैंतीस तक यही हुक्म है यअ्नी बिन्ते मख़ाज़ देंगे। छत्तीस से पैंतालीस तक में एक बिन्ते लबून यअ्नी ऊँट का मादा बच्चा जो दो साल का हो चुका और तीसरी बरस में है। छियालीस से साठ तक में हिक़्क़ा यअ्नी ऊँटनी जो तीन बरस की हो चुकी चौथी में हो। इकसठ से पचहत्तर तक में जिज़आ यअ्नी चार साल की ऊँटनी जो पाँचवीं में हो। छिहत्तर से नव्वे तक दो बिन्ते लबून इक्कानवे से एक सौ बीस तक में दो हिक़्क़ा इसके बअ्द एक सौ पैंतालीस तक दो हिक़्क़ा और पाँच में एक बकरी, मसलन एक सौ पच्चीस में दो हिक़्क़ा एक बकरी और एक सौ तीस में दो हिक़्क़ा दो बकरियाँ इसी तरह आगे समझ लें फिर एक सौ पचास में तीन हिक़्क़ा अगर इससे ज़्यादा हों तो इनमें वैसा ही करें जैसा शुरूअ् में किया था यानी हर पाँच में एक बकरी और पच्चीस में बिन्ते मख़ाज़,छत्तीस में बिन्ते लबून यह एक सौ छियासी बल्कि एक सौ पंचानवे तक का हुक्म हो गया यअ्नी इतने में तीन हिक़्क़ा और एक बिन्ते लबून फिर एक सौ छियानवे से दो सौ तक चार हिक़्क़ा और यह भी इख़्तियार है कि पाँच बिन्ते लबून दे दें। फिर दो सौ के बाद वही तरीक़ा बरतें जो एक सौ पचास के बअ्द है यअ्नी हर पाँच में एक बकरी पच्चीस में बिन्ते मख़ाज़ छत्तीस में बिन्ते लबून फिर दो सौ छियालीस से दो सौ पचास तक पाँच हिक़्क़ा और इसी तरह आगे समझ लें। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ऊँट की ज़कात में जिस मौक़े पर एक या दो या तीन या चार साल का ऊँट का बच्चा दिया जाता है तो ज़रूरी है कि वह मादा हो, नर दें तो मादा की क़ीमत का हो वरना नहीं लिया। जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

गाय की ज़कात का बयान

हदीस :– अबू दर्दा व तिर्मिज़ी व नसई व दारमी मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि जब हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन को यमन का हाकिम बना कर भेजा तो यह फ़रमाया कि हर तीस गाय से एक तबीअ् या तबीआ लें और हर चालीस में एक मुसिन या मुसिन्ना और इसी के मिस्ल अबू दर्दा की दूसरी रिवायत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से है और इसमें यह भी है कि काम करने वाले जानवर की ज़कात नहीं।

मसअ्ला :– तीस से कम गाय हों तो ज़कात वाजिब नहीं जब तीस पूरी हों तो इनकी ज़कात एक तबीअ् यअ्नी साल भर का बछड़ा या तबीआ यअ्नी साल भर की बछिया है और चालीस हों तो एक मुसिन यानी दो साल का बछड़ा या मुसिन्ना यअ्नी दो साल की बछिया, उनसठ तक यही हुक्म है फिर साठ में दो तबीअ् या तबीआ फिर हर तीस में एक तबीअ् या तबीआ और हर चालीस में एक मुसिन या मुसिन्ना मसलन सत्तर में एक तबीअ् और एक मुसिन और अस्सी में दो मुसिन और इसी तरह आगे समझ लें और जिस जगह तीस और चालीस दोनों हो सकते हो वहाँ इख़्तियार है कि तबीअ् ज़कात में दे या मुसिन मसलन एक सौ बीस में इख़्तियार है कि चार तबीअ् दें या तीन मुसिन। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– भैंस गाय के हुक्म में है और अगर गाय भैंस दोनों हों तो ज़कात में मिला दी जायेंगी मसलन बीस गाय हैं और दस भैंस तो ज़कात वाजिब हो गई और ज़कात में उसका बच्चा लिया जायेगा जो ज़्यादा हो यअ्नी गाय ज़्यादा हों तो गाय का बच्चा और भैंस ज़्यादा हो तो भैंस का और अदना से अच्छा। (आलमगीरी)

मसअला :– गाय भैंस की ज़कात में इख़्तियार है कि नर लिया जाये या मादा मगर अफ़ज़ल यह है कि गाय ज़्यादा हों तो बछिया और नर ज़्यादा हों तो बछड़ा (आलमगीरी)

बकरियों की ज़कात का बयान

हदीस :–सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उन्हें बहरीन भेजा तो फ़राइज़े सदक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फ़रमाये थे लिख कर दिये,उनमें बकरी की निसाब का भी बयान है और यह कि ज़कात में न बूढ़ी बकरी दी जाये न ऐब वाली, न बकरा, हाँ अगर मुसद्दिक़ (सदक़ा वुसूल करने वाला)चाहे तो ले सकता है और ज़कात के ख़ौफ़ से न मुतफ़र्रिक़ (अलग अलग) को जमा करें न मुजतमा (इकट्ठे)को मुतफ़र्रिक़ करें।

मसअला :– चालीस से कम बकरियाँ हों तो ज़कात वाजिब नहीं और चालीस हों तो एक बकरी और यही हुक्म एक सौ बीस तक है यअ्नी इनमें भी वही एक बकरी और यही हुक्म एक सौ इक्कीस में दो और दो सौ एक में तीन और चार सौ में चार फिर हर सौ पर एक और जो दो निसाबों के दरमियान में है मआफ़ है। (आम्मए मुतुब)

मसअला :– ज़कात में इख़्तियार है कि बकरी दे या बकरा जो कुछ हो यह ज़रूर है कि साल भर से कम का न हो अगर कम का हो तो क़ीमत के हिसाब से दिया जा सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– भेड़, दुम्बा बकरी में दाख़िल हैं कि एक से निसाब पूरी न होती हो तो दूसरी को मिलाकर पूरी करें और ज़कात में भी इन को दे सकते हैं मगर साल से कम के न हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जानवरों में नसब माँ से होता है तो अगर हिरन और बकरी से बच्चा पैदा हुआ तो बकरियों में शुमार होगा और निसाब में अगर एक की कमी है तो इसे मिला कर पूरी करेंगे। बकरे और हिरनी से हो तो नहीं। यूँही नील गाय और बैल से है तो गाय नहीं और नील गाय नर और गाय से है तो गाय है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– जिन जानवरों की ज़कात वाजिब है वह कम से कम साल भर के हों अगर सब एक साल से कम के बच्चे हों तो ज़कात वाजिब नहीं और अगर एक भी उनमें साल भर का हो सब उसी के ताबेअ् हैं ज़कात वाजिब हो जायेगी यअ्नी मसलन बकरी के चालीस बच्चे साल साल भर से कम के ख़रीदे तो ख़रीदारी के वक़्त से एक साल पर ज़कता वाजिब नहीं कि उस वक़्त क़ाबिले निसाब न थे बल्कि उस वक़्त से साल लिया जायेगा कि इन में का कोई साल भर का हो गया। यूँही अगर इसके पास ब–क़द्रे निसाब बकरियाँ थीं और छः महीने गुज़रने के बाद उन के चालीस बच्चे हुए फिर बकरियाँ जाती रहीं बच्चे बाक़ी रह गये तो अब साल ख़त्म पर यह बच्चे क़ाबिले निसाब नहीं लिहाज़ा ज़कात वाजिब नहीं। (जौहरा)

मसअला :– अगर इसके पास ऊँट ,गाय बकरियाँ सब हैं मगर निसाब से सब कम हैं या बअ्ज़ तो निसाब पूरी करने के लिये मिलायेंगे नहीं और ज़कात वाजिब न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– ज़कात में मुतवस्सित दर्जा का जानवर लिया जायेगा चुन कर उम्दा न लें,हाँ उस के पास सब अच्छे ही हों तो वही लें और गाभन और वह जानवर न लें जिसे खाने के लिए फ़रबा किया हो न वह मादा लें जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है न वह बकरा लिया जाये जिसके ज़रीए बच्चा हासिल किया जाता है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस उ़म्र का जानवर देना वाजिब आया वह उसके पास नहीं और उस से बढ़ कर मौजूद है तो वह दे दे और जो ज़्यादती हो वापस ले मगर सदक़ा वुसूल करने वाले पर ले लेना वाजिब नहीं अगर न ले और उस जानवर को तलब करे जो वाजिब आया या उसकी क़ीमत तो उसे इसका इख़्तियार है जिस उ़म्र का जानवर वाजिब हुआ वह नहीं है और उस से कम उ़म्र का है तो वही दे दे और जो कमी पड़े उसकी क़ीमत दे या वाजिब की क़ीमत दे दे दोनों तरह कर सकता है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– घोड़े,गधे,ख़च्चर अगर्चे चराई पर हों इनकी ज़कात नहीं हाँ अगर तिजारत के लिये हों तो इनकी क़ीमत लगाकर उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात में दें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो निसाबों के दरमियान जो मुआफ़ है उसकी ज़कात नहीं होती यअ्नी साल ख़त्म होने के बाद अगर वह अ़फ़्व (मुआफ़ किया हुआ) हलाक हो जाये तो ज़कात में कोई कमी न होगी और वाजिब होने के बअ्द निसाब हलाक हो गई तो उसकी ज़कात भी साक़ित हो गई और हलाक पहले अ़फ़्व की तरफ़ फेरेंगे उससे बचे तो उस के मुत्तसिल (मिली हुई) जो निसाब है उस की तरफ़ फिर भी बचे तो उस के बअ्द इसी तरह आगे क़यास कर लें (समझ लें)मसलन अस्सी बकरियाँ थीं चालीस मर गयीं तो अब भी एक बकरी वाजिब रही कि चालीस के बअ्द दूसरा चालीस अ़फ़्व है और चालीस ऊँट में पन्द्रह मर गये तो बिन्ते मख़ाज़ वाजिब है कि चालीस में चार अ़फ़्व हैं वह निकाले उसके बाद छत्तीस की निसाब है वह भी काफ़ी नहीं लिहाज़ा ग्यारह और निकाले पच्चीस रहे इनमें बिन्ते मख़ाज़ का हुक्म है बस यही देंगे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– दो बकरियाँ ज़कात में वाजिब हुईं और एक फ़रबा बकरी दी जो क़ीमत में दो की बराबर है ज़कात अदा हो गयी। (जौहरा)

मसअ्ला :– साल ख़त्म के बाद मालिके निसाब ने निसाब ख़ुद हलाक कर दी तो ज़कात साक़ित न होगी मसलन जानवर को चारा पानी न दिया गया कि वह मर गया ज़कात देनी होगी,यूँही अगर इसका किसी पर क़र्ज़ था और वह मक़रूज़ (क़र्ज़दार) मालदार है साल ख़त्म के बाद इसने मुआफ़ कर दिया तो यह हलाक करना नहीं लिहाज़ा ज़कात साक़ित हो गई, और अगर साले तमाम के बाद माले तिजारत को ग़ैरे माले तिजारत के एवज़ (बदले)बेच डाला यअ्नी उसके बदले में जो चीज़ ली उससे तिजारत मक़सूद नहीं मसलन ख़िदमत के लिये ग़ुलाम या पहनने के लिये कपड़े ख़रीदे या साइमा को साइमा के बदले बेचा और जिस के हाथ बेचा उसने इन्कार कर दिया और इसके पास गवाह नहीं या वह मर गया और तर्का न छोड़ा तो यह हलाक नहीं बल्कि हलाक करना है लिहाज़ा ज़कात वाजिब है। साले तमाम के बाद माले तिजारत को औ़रत के महर में दे दिया या औ़रत ने अपनी निसाब के बदले शौहर से ख़ुला (माल या पैसों के बदले तलाक़ को ख़ुला कहते हैं) किया तो ज़कात देनी होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उसके पास रुपये अशर्फ़ियाँ थीं जिन पर साल गुज़रा मगर अभी ज़कात नहीं दी उनके बदले तिजारत के लिये कोई चीज़ ख़रीदी और चीज़ हलाक हो गयी तो ज़कात साक़ित हो गयी मगर जबकि इतनी गिराँ ख़रीदी कि उतने नुक़सान के साथ लोग न ख़रीदते हों तो उसकी अस़ली क़ीमत पर जो कुछ ज़्यादा दिया है उसकी ज़कात साक़ित न होगी कि वह हलाक करना है और अगर तिजारत के लिए न हो मसलन ख़िदमत के लिये गुलाम ख़रीदा वह मर गया तो उस रुपये की ज़कात साक़ित न होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :–बादशाहे इस्लाम ने अगर्चे ज़ालिम या बाग़ी हो साइमा की ज़कात ले ली या उ़श्र वुसूल कर लिया और उन्हें महल(जाइज़ मसरफ़)पर सर्फ़ किया तो इआ़दा(लौटाने)की हा़जत नहीं यानी फिर से ज़कात देने की ज़रूरत नहीं और महल पर सर्फ़ न किया तो इआ़दा किया जाये और ख़िराज ले लिया तो मुतलक़न इआ़दा की हा़जत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुस़द्दिक़ (ज़कात वुसूल करने वाले)के सामने साइमा बेच डाला तो मुस़द्दिक़ को इख़्तियार है चाहे ब–क़द्रे ज़कात उसमें से क़ीमत ले ले और इस सूरत में बय(सौदा)तमाम हो गई और चाहे जो जानवर वाजिब हुआ वह ले ले और इस वक़्त जो लिया उसके ह़क़ में बय़ बाति़ल हो गयी और अगर मुस़द्दिक़ वहाँ मौजूद न था बल्कि उस वक़्त आया कि मजलिसे अक़्द(जहाँ सौदा हो रहा था उस मह़फ़िल) से वह दोनों जुदा हो गये तो अब जानवर नहीं ले सकता जो जानवर वाजिब हो उसकी क़ीमत ले ले। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस ग़ल्ले पर उ़श्र वाजिब हुआ उसे बेच डाला तो मुस़द्दिक़ को इख़्तियार है चाहे बेचने वाले से उसकी क़ीमत ले या ख़रीदार से उतना ग़ल्ला वापस ले बय़ उसके सामने हुई हो या दोनों के जुदा होने के बअ़द मुस़द्दिक़ आया। (आलमगीरी)

मसअला :– अस्सी बकरियाँ हैं तो एक बकरी ज़कात की है यह नहीं किया जा सकता कि चालीस –चालीस के दो गिरोह कर के दो ज़कात में लें और अगर दो शख़्सों की चालीस चालीस बकरियाँ हैं तो यह नहीं कर सकते कि उन्हें जमा कर के एक गिरोह कर दें कि एक ही बकरी ज़कात में देनी पड़े बल्कि हर एक से एक–एक ली जायेगी। यूँही अगर एक की उन्तालीस हैं और एक की चालीस तो उन्तालीस वाले से कुछ न लेंगे। ग़रज़ न मुजतमा को मुतफ़र्रिक़ करेंगे न मुतफ़र्रिक़ को मुजतमा यअ़नी न मिलायेंगे न अलग करेंगे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– मवेशी(ज़ानवर) में शिरकत से ज़कात पर कुछ अस़र नहीं पड़ता ख़्वाह वह किसी क़िस्म की हो अगर हर एक का ह़िस्सा ब–क़द्रे निसा़ब है तो दोनों पर पूरी–पूरी ज़कात वाजिब और एक का ह़िस्सा ब–क़द्रे निसा़ब है दूसरे का नहीं तो उस पर वाजिब है इस पर नहीं मसलन एक की चालीस बकरियाँ हैं दूसरे की तीस तो चालीस वाले पर एक बकरी, तीस वाले पर कुछ नहीं और अगर किसी की ब–क़द्रे निसा़ब न हों मगर मजमूआ़ ब–क़द्रे निसा़ब है तो किसी पर कुछ नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– अस्सी बकरियों में इक्यासी शरीक़ हैं यूँ कि एक शख़्स हर बकरी में निस्फ़ का मालिक है और हर बकरी के दूसरे निस्फ़ का उनमें से एक–एक शख़्स मालिक है तो उसके सब ह़िस्सों का मजमूआ़ चालीस के बराबर हुआ और यह सब सिर्फ़ आधी–आधी बकरी के ह़िस्सेदार हुए मगर ज़कात किसी पर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शिरकत की मवेशी में ज़कात दी गई तो हर एक पर उसके ह़िस्से की क़द्र है जो कुछ ह़िस्से से ज़ायद गया वह शरीक से वापस ले मसलन एक की इक्तालीस बकरियाँ हैं दूसरे की बयासी कुल एक सौ तैंतीस हुई और दो ज़कात में ली गयीं यानी हर एक से एक मगर चूँकि एक शख़्स एक तिहाई का शरीक है और दूसरा दो का,लिहाज़ा बकरी में दो तिहाई वाले की दो तिहाईयाँ गईं जिन का मजमूआ़ एक तिहाई और एक बकरी है और एक तिहाई वाले की हर बकरी में एक ही तिहाई गई कि मजमूआ़ दो तिहाईयाँ हुआ और उस पर वाजिब एक बकरी है लिहाज़ दो तिहाईयों वाला एक तिहाई वाले से तिहाई लेने का मुस्तहक़ (हक़दार)है और

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

अगर कुल अस्सी बकरियाँ हैं एक दो तिहाई का शरीक है दूसरा एक तिहाई का और ज़कात में एक बकरी ली गयी तो तिहाई का हिस्सेदार अपने शरीक से तिहाई बकरी की कीमत ले कि इस पर ज़कात वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

सोने, चाँदी और तिजारत के माल की ज़कात का बयान

हदीस न.1 :– सुनने अबू दाऊद व तिर्मिज़ी में अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं घोड़े और लौंडी गुलाम की ज़कात मैंने माफ़ फ़रमाई तो अब चाँदी की ज़कात हर चालीस दिरहम से एक दिरहम अदा करो मगर एक सौ नव्वे में कुछ नहीं जब दो सौ दिरहम हों तो पाँच दिरहम दो।

हदीस न.2 :– अबू दरदा की दूसरी रिवायत इन्हीं से यूँ है कि हर चालीस दिरहम से एक दिरहम है मगर जब तक दो सौ दिरहम पूरे न हों कुछ नहीं जब दो सौ पूरे हों तो पाँच दिरहम और इस से ज़्यादा हों तो इसी हिसाब से दें।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब–रिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही मरवी कि दो औरतें हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुईं उनके हाथों में सोने के कंगन थे। इरशाद फ़रमाया तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। अर्ज़ की नहीं। फ़रमाया तो क्या तुम इसे पसंद करती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाये। अर्ज़ की न। फ़रमाया तो इसकी ज़कात अदा करो।

हदीस न.4 :– इमाम मालिक व अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं, फ़रमाती हैं मैं सोने के ज़ेवर पहना करती थी मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या यह कन्ज़ है ?(कन्ज़ से वह ख़ज़ाना मुराद है जिसके जमा करने पर कुर्आन में वईद आई है) और जिस में से अल्लाह की राह में ख़र्च न किया जाये) इरशाद फ़रमाया जो इस हद को पहुँचे कि उसकी ज़कात अदा की जाये और अदा कर दी गयी तो कन्ज़ नहीं।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद असमा बिन्ते यज़ीद से रावी कहती हैं मैं और मेरी ख़ाला हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुईं और हम सोने के कंगन पहने हुए थे। इरशाद फ़रमाया, इसकी ज़कात देती हो? अर्ज़ की नहीं। फ़रमाया क्या डरती नहीं हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाये, इसकी ज़कात अदा करो।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद सुमरा इब्ने सुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला हुक्म दिया करते कि जिस को हम बय़ (तिजारत) के लिए मुहय्या करें उसकी ज़कात निकालें।

मसअला :– सोने की निसाब बीस मिस्क़ाल है यअ्नी साढ़े सात तोले (87ग्राम 480 मिलीग्राम) और चाँदी को दो सौ दिरहम यअ्नी साढ़े बावन तोले (612ग्राम 360 मिलीग्राम) यअ्नी वह तोला जिससे यह राइज रुपया सवा ग्यारह माशे है। सोने चाँदी की ज़कात में वज़न का एअ्तिबार है कीमत का लिहाज़ नहीं,मसलन सात तोले सोने या कम का ज़ेवर या बर्तन बना हो कि उसकी कारीगरी की वजह से दो सौ दिरहम से ज़ाइद कीमत हो जाये या सोना गिराँ हो कि साढ़े सात तोले से कम की कीमत दो सौ दिरहम से बढ़ जाये जैसे आज कल कि साढ़े सात तोले सोने की कीमत चाँदी की कई निसाबें होंगी। गरज़ यह कि वज़न में ब–क़द्रे निसाब न हो तो ज़कात वाजिब नहीं,कीमत जो कुछ भी हो। यूँही सोने की ज़कात में सोने और चाँदी की ज़कात में चाँदी की कोई चीज़ दी तो

उसकी कीमत का एअ्तिबार न होगा बल्कि वज़न का अगर्चे उसमें बहुत कुछ सनअ्त (कारीगरी)हो जिस की वजह से कीमत बढ़ गयी या फ़र्ज़ करो दस आने भर चाँदी बिक रही है और ज़कात में एक रुपया दिया जो सोलह आने का क़रार दिया जाता है तो ज़कात अदा करने में वह यही समझा जायेगा कि सवा ग्यारह माशे चाँदी दी यह छह आने बल्कि कुछ ऊपर जो उसकी क़ीमत में ज़ाइद हैं लग्व (बेकार)हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह जो कहा गया कि अदाए ज़कात में क़ीमत का एअ्तिबार नहीं यह उसी सूरत में है कि उस जिन्स की ज़कात उसी जिन्स से अदा की जाये और अगर सोने की ज़कात चाँदी से या चाँदी की सोने से अदा की तो क़ीमत का एअ्तिबार होगा मसलन सोने की ज़कात में चाँदी की कोई चीज़ दी जिसकी क़ीमत एक अशर्फ़ी है तो एक अशर्फ़ी देना क़रार पायेगा अगर्चे वज़न में इसकी चाँदी पन्द्रह रुपये भर भी न हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सोना चाँदी जबकि ब–क़द्रे निसाब हों तो इन की ज़कात चालीसवाँ हिस्सा है ख़्वाह वह वैसे ही हों या इनके सिक्के जैसे रुपये अशर्फ़ियाँ या इनकी कोई चीज़ बनी हुई हो ख़्वाह उसका इस्तेमाल जाइज़ हो जैसे औरत के लिये ज़ेवर मर्द के लिये चाँदी की एक नग की एक अँगूठी साढ़े चार माशे से कम की या सोने चाँदी के बिला ज़न्जीर के बटन, या इस्तेमाल नाजाइज़ हो जैसे चाँदी सोने के बर्तन,घड़ी, सुर्मे दानी, सलाई कि इनका इस्तेमाल मर्द औरत सब के लिये हराम है या मर्द के लिये सोने चाँदी का छल्ला या ज़ेवर या सोने की अँगूठी या साढ़े चार माशे से ज़्यादा चाँदी की अँगूठी या बन्द अँगूठियाँ या कई नग की एक अँगूठी ग़रज़ जो कुछ हो ज़कात सब की वाजिब है मसलन सात तोला सोना है तो दो माशा ज़कात वाजिब है या बावन तोला छह माशा चाँदी है तो एक तोला तीन माशा छह रत्ती ज़कात वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सोना चाँदी के अलावा तिजारत की कोई चीज़ हो जिसकी क़ीमत सोने चाँदी की निसाब को पहुँचे तो उस पर भी ज़कात वाजिब है यअ्नी क़ीमत का चालीसवाँ हिस्सा,और अगर असबाब की क़ीमत तो निसाब को नहीं पहुँचती मगर उसके पास इनके अलावा सोना चाँदी भी है तो इनकी क़ीमत सोने चाँदी के साथ मिला कर मजमूआ करें (यअ्नी टोटल करें) अगर मजमूआ निसाब को पहुँचा ज़कात वाजिब है और असबाबे तिजारत की क़ीमत उस सिक्के से लगायें जिसका रिवाज वहाँ ज़्यादा हो जैसे,हिन्दुस्तान में रुपये का ज़्यादा चलन है इसी से क़ीमत लगाई जाये और अगर कहीं सोने–चाँदी दोनों के सिक्कों का यकसाँ चलन हो तो इख़्तियार है जिससे चाहें क़ीमत लगायें मगर जबकि रुपये से क़ीमत लगायें तो निसाब नहीं होती और अशर्फ़ी से हो जाती है या बिल अक्स (यअ्नी इसका उल्टा) तो उसी से क़ीमत लगाई जाये जिससे निसाब पूरी हो और अगर दोनों से निसाब पूरी होती है मगर एक से निसाब के अलावा निसाब का पाँचवा हिस्सा ज़्यादा होता है दूसरे से नहीं तो उस से क़ीमत लगायें जिस से एक निसाब और निसाब का पाँचवाँ हिस्सा हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– निसाब से ज़्यादा माल है तो अगर यह ज़्यादती निसाब का पाँचवाँ हिस्सा है तो इसकी ज़कात भी वाजिब है मसलन दो सौ चालीस दिरहम यअ्नी 63 तोला चाँदी हो तो ज़कात में छह दिरहम वाजिब यअ्नी एक तोला छह माशा $7\frac{1}{5}$ रत्ती यअ्नी बावन तोला छह माशा के बअ्द हर 10 तोला 6 माशा पर 3 माशा $1\frac{1}{5}$ रत्ती बढ़ायें और सोना नौ तोला हो तो 2 माशा $5\frac{3}{5}$ रत्ती यअ्नी 7 तोला 6 माशा के बअ्द हर एक तोला 6 माशा पर $3\frac{3}{5}$ रत्ती बढ़ायें और पाँचवाँ हिस्सा न हो तो

माफ़ यानी मसलन नौ तोला से एक रत्ती कम अगर सोना है तो ज़कात वही 7 तोला 6 माशा की वाजिब है यअ्नी दो माशा **यूँही** चाँदी अगर 63 तोला से एक रत्ती भी कम है तो ज़कात वही 52 तोला 6 माशा की एक तोला 3 माशा 6 रत्ती वाजिब **यूँही** पाँचवें हिस्से के बअ्द जो ज़्यादती है अगर वह भी पाँचवाँ हिस्सा है तो उसका चालीसवाँ हिस्सा वाजिब वरना मुआफ़ और इसी तरह आगे समझ लें। माले तिजारत का भी यही हुक्म है।(दुर्रे मुख़्तार) 1माशा 8रत्ती 922 मिलीग्राम लगभग।

मसअ्ला :– अगर सोने चाँदी में खोट हो और ग़ालिब सोना चाँदी है तो सोना चाँदी क़रार दें और कुल पर ज़कात वाजिब है यूँही अगर खोट सोने चाँदी के बराबर हो तो ज़कात वाजिब और अगर खोट ग़ालिब हो तो सोना चाँदी नहीं फिर उसकी चन्द सूरतें है अगर उसमें सोना चाँदी इतनी मिक़दार में हो कि जुदा करें तो निसाब को पहुँच जाये या वह निसाब को नहीं पहुँचता मगर उस के पास और माल है कि उस से मिलकर निसाब हो जायेगी या वह समन (क़ीमत के बदले दिये जाने वाले माल या पैसे) में चलता है और उसकी क़ीमत निसाब को पहुँचती है तो इन सब सूरतों में ज़कात वाजिब है और अगर इन सूरतों में कोई न हो तो उस में अगर तिज़ारत की नियत हो तो बशराइते तिजारत उसे माले तिजारत क़रार दें और उसकी क़ीमत निसाब की क़द्र हो ख़ुद या औरों के साथ मिलकर तो ज़कात वाजिब हैं वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सोने चाँदी को बाहम ख़ल्त कर दिया यअ्नी एक दूसरे में मिला दिया तो अगर सोना ग़ालिब हो सोना समझा जाये और दोनों बराबर हों और सोना ब क़द्रे निसाब है तन्हा या चाँदी के साथ मिलकर जब भी सोना समझा जाये और चाँदी ग़ालिब हो तो चाँदी है,निसाब को पहुँचे तो चाँदी की ज़कात दी जाये मगर जबकि उसमें जितना सोना है वह चाँदी की क़ीमत से ज़्यादा है तो अब भी कुल सोना ही क़रार दें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी के पास सोना भी है और चाँदी भी और दोनों की कामिल निसाबें हैं तो यह ज़रूर नहीं कि सोने को चाँदी या चाँदी को सोना क़रार दे कर ज़कात अदा करे बल्कि हर एक की ज़कात अलाहिदा–अलाहिदा वाजिब है। हाँ ज़कात देने वाला अगर सिर्फ़ एक चीज़ से दोनों निसाबों की ज़कात अदा करे तो उसे इख़्तियार है मगर इस सूरत में यह वाजिब होगा कि क़ीमत वह लगाये जिस में फ़क़ीरों का ज़्यादा नफ़ा है मसलन हिन्दुस्तान में रुपये का चलन ब–निस्बत अशर्फ़ियों के ज़्यादा है तो सोने की क़ीमत चाँदी से लगा कर चाँदी ज़कात में दे और अगर दोनों में से कोई ब–क़द्रे निसाब नहीं तो सोने की क़ीमत चाँदी या चाँदी की क़ीमत का सोना फ़र्ज़ कर के मिलायें फिर अगर मिलाने पर भी निसाब नहीं होती तो कुछ नहीं और अगर सोने की क़ीमत की चाँदी में मिलायें तो निसाब हो जाती है और चाँदी की क़ीमत का सोना सोने में मिलायें तो नहीं होती या बिलअक्स (यअ्नी इसका उल्टा है)तो वाजिब है कि जिस में निसाब पूरी हो वह करें और अगर दोनों सूरत में निसाब हो जाती है तो इख़्तियार है जो चाहें करें मगर जबकि एक सूरत में निसाब पर पाँचवाँ हिस्सा बढ़ जाये वही करना वाजिब है मसलन सवा छब्बीस तोले चाँदी है और पौने चार तोले सोना अगर पौने चार तोले सोने की चाँदी सवा छब्बीस तोले आती है और सवा छब्बीस तोले चाँदी का पौने चार तोले सोना आता है तो सोने को चाँदी या चाँदी को सोना जो चाहें तसव्वुर करें और अगर पौने चार तोले सोने के बदले 37 तोले आती है और सवा छब्बीस तोले चाँदी का पौने चार तोले सोना नहीं मिलता तो वाजिब है कि सोने को चाँदी क़रार दें कि इस सूरत में निसाब हो जाती है

बल्कि पाँचवाँ हिस्सा ज़्यादा होता है और उस सूरत में निसाब भी पूरी नहीं होती यूँही अगर हर एक कि निसाब से कुछ ज़्यादा है तो अगर ज़्यादती निसाब का पाँचवाँ हिस्सा है तो इसकी भी ज़कात दें और अगर हर एक में ज़्यादती पाँचवाँ हिस्सा निसाब से कम है तो दोनों को मिलायें अगर मिल कर भी किसी की निसाब का पाँचवाँ हिस्सा नहीं होता तो इस ज़्यादती पर कुछ नहीं और अगर दोनों में निसाब या निसाब का पाँचवाँ हो तो इख़्तियार है मगर जबकि एक में निसाब हो और दूसरे में पाँचवाँ हिस्सा तो वह करें जिसमें निसाब हो और अगर एक में निसाब या पाँचवाँ हिस्सा होता है और दूसरे में नहीं तो वही करना वाजिब है जिससे निसाब हो या निसाब का पाँचवाँ हिस्सा।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पैसे जब राइज हों और दो सौ दिरहम चाँदी या बीस मिस्क़ाल सोने की क़ीमत के हों तो उनकी ज़कात वाजिब है अगर्चे तिजारत के लिए न हों और अगर चलन उठ गया हो तो जब तक तिजारत के लिए न हों ज़कात वाजिब नहीं। (फ़तावा कारी, अल हिदाया) नोट की ज़कात भी वाजिब है जब तक उनका रिवाज और चलन हो कि यह भी समने इस्तिलाही (जो चीज़ समन की तरह चलन में हो जैसे करन्सी)हैं और पैसों के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो माल किसी पर दैन हो उसकी ज़कात कब वाजिब होती है और अदा कब वाजिब है इस में तीन सूरतें हैं अगर **दैन क़वी** हो जैसे क़र्ज़ जिसे उ़र्फ़ में दस्तगरदाँ (क़र्ज़ ही के मअ्ना में आया है) कहते हैं और माले तिजारत का समन मसलन कोई माल इसने ब–नियते तिजारत ख़रीदा उसे किसी के हाथ उधार बेच डाला या माले तिजारत का किराया मसलन कोई मकान या ज़मीन ब–नियते तिजारत ख़रीदी उसे किसी को सुकूनत या खेती के लिए किराये पर दे दिया यह किराया अगर उस पर दैन है तो दैने क़वी होगा और दैने क़वी की ज़कात ब–हालते दैन ही साल–ब–साल वाजिब होती रहेगी मगर वाजिबुल अदा उस वक़्त है जब पाँचवाँ हिस्सा निसाब का वुसूल हो जाये मगर जितना वुसूल हुआ उतने ही की वाजिबुल अदा है यअ्नी चालीस दिरहम होने से एक दिरहम देना वाजिब होगा और अस्सी वुसूल हुए तो दो और इसी तरह आगे समझ लें **दूसरे दैने मुतवस्सित** कि किसी माले ग़ैरे तिजारती का बदल हो मसलन घर का ग़ल्ला या सवारी का घोड़ा या ख़िदमत का गुलाम या और कोई शय हाजते असलिया की बेच डाली और दाम ख़रीदार पर बाक़ी हैं इस सूरत में ज़कात देना उस वक़्त लाज़िम आयेगा कि दो सौ दिरहम पर क़ब्ज़ा हो जाये। यूँही अगर मूरिस(वह मरने वाला जो माल और वारिस छोड़ जाये)का दैन इसे तर्के में मिला अगर्चे माले तिजारत का एवज़(बदल)हो मगर वारिस को दो सौ दिरहम वुसूल होने और मूरिस की मौत को साल गुज़रने पर ज़कात देना लाज़िम आयेगा। **तीसरे दैने ज़ईफ़** जो ग़ैरे माल का बदल हो जैसे महरे बदल, खुला(तलाक़ पर मिला रुपया)दियत (क़त्ल के बदले मिला जुर्माना)बदले किताबत (गुलामी से आज़ाद करने पर मिला रुपया)या मकान या दुकान कि ब–नियते तिजारत ख़रीदी न थी उसका किराया किरायेदार पर चढ़ा इसमें ज़कात देना उस वक़्त वाजिब है कि निसाब पर क़ब्ज़ा करने के बअ्द साल गुज़र जाये या इसके पास कोई निसाब उस जिन्स की है और उसका साल पूरा हो जाये तो ज़कात वाजिब है फिर अगर दैन या मुतवस्सित कई साल के बअ्द वुसूल हो तो अगले साल की ज़कात जो इसके ज़िम्मे दैन होती रही वह पिछले साल के हिसाब में इसी रक़म पर डाली जायेगी मसलन उ़म्र पर ज़ैद के तीन सौ दिरहम दैने क़वी थे पाँच बरस बअ्द चालीस दिरहम से कम वुसूल हुए तो कुछ नहीं और चालीस वुसूल हुए तो एक दिरहम देना वाजिब हुआ

अब उन्तालीस बाक़ी रहे कि निसाब के पाँचवें हिस्से से कम हैं लिहाज़ा बाक़ी बरसों की अभी वाजिब नहीं और अगर तीन सौ दिरहम दैने मुतवस्सित थे तो जब तक दो सौ दिरहम वुसूल न हों कुछ नहीं और पाँच बरस बाद दो सौ वुसूल हुए तो इक्कीस वाजिब होंगे। साले अव्वल के पाँच अब साले दोम में एक सौ पचानवे रहे, इनमें से पैंतीस कि पाँचवें हिस्से से कम हैं माफ़ हो गये एक सौ साठ रहे,इसके चार दिरहम वाजिब। लिहाज़ा तीसरे साल में एक सौ इक्यानवे रहे इनमें भी चार दिरहम वाजिब चहारुम में एक सौ सतासी रहे पन्जुम में एक सौ तिरासी रहे इनमें भी चार–चार दिरहम वाजिब लिहाज़ा कुल इक्कीस दिरहम वाजिबुल अदा हुए। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अगर दैन से पहले साले निसाब रवाँ था यअ्नी जारी था तो जो दैन अस्नाए साल में यअ्नी साल के बीच में किसी पर लाज़िम आया इसका साल भी वही क़रार दिया जायेगा जो पहले से चल रहा है वक़्ते दैन से नहीं और अगर दैन से पहले इस जिन्स की निसाब का साले रवाँ नहीं तो वक़्त दैन से शुमार होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी पर दैन क़वी या मुतवस्सित है और क़र्ज़ ख़्वाह का इन्तेक़ाल हो गया तो मरते वक़्त इस दैन की ज़कात की वसीयत ज़रूरी नहीं कि इसकी ज़कात वाजिबुल अदा थी ही नहीं और वारिस पर ज़कात उस वक़्त होगी जब मूरिस की मौत को एक साल गुज़र जाये और चालीस दिरहम दैने क़वी में और दो सौ दिरहम दैने मुतवस्सित में वुसूल हो जायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– साल पूरा होने के बाद दाइन (क़र्ज़ देने वाले)ने दैन माफ़ कर दिया या साल पूरा होने से पहले ज़कात का माल हिबा कर दिया तो ज़कात साक़ित हो गयी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने महर का रुपया वुसूल कर लिया साल गुज़रने के बाद शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल(जिमा से पहले) तलाक़ दे दी तो निस्फ़ महर वापस करना होगा और ज़कात पूरे की वाजिब है और शौहर पर वापसी के बाद से साल का एअ्तिबार है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने यह इक़रार किया कि फ़लाँ का मुझ पर दैन है और उसे दे भी दिया फिर साल भर बाद दोनों ने कहा दैन न था तो किसी पर ज़कात वाजिब न हुई (आलमगीरी)मगर ज़ाहिर यह है कि यह उस सूरत में है जबकि इसके ख़्याल में दैन हो वरना अगर महज़ ज़कात साक़ित करने के लिये यह हीला (बहाना)किया तो इन्दल्लाह यअ्नी अल्लाह के नज़दीक मुआख़ज़ा (पकड़) का मुस्तहक़ है।

मसअ्ला :– माले तिजारत में साल गुज़रने पर जो क़ीमत होगी उसका एअ्तिबार है मगर शर्त यह है कि शुरूअ् साल में उसकी क़ीमत दो सौ दिरहम से कम न हो और अगर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के असबाब हों तो सब की क़ीमतों का मजमूआ साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोने की क़द्र हो।(आलमगीरी)यअ्नी जबकि उसके पास यही माल हो और अगर उसके पास सोने चाँदी इसके अलावा हों तो उसे मिला लेंगे।

मसअ्ला :– ग़ल्ला या कोई माले तिजारत साल पूरा होने पर दो सौ दिरहम का है फिर नर्ख़ (भाव)बढ़–घट गया तो अगर इसी में से ज़कात देना चाहें तो जितना उस दिन यअ्नी घटने–बढ़ने के दिन था उसका चालीसवाँ हिस्सा दे दें और अगर इस क़ीमत की कोई और चीज़ देना चाहें तो वह क़ीमत ली जाये जो साल पूरा होने के दिन थी और अगर वह चीज़ साल पूरा होने के दिन तर यअ्नी गीली थी अब ख़ुश्क हो गयी जब भी वही क़ीमत लगायें जो उस दिन थी यअ्नी साल पूरा होने के दिन और अगर उस रोज़ ख़ुश्क थी अब भीग गयी तो आज की क़ीमत लगायें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कीमत उस जगह की होनी चाहिये जहाँ माल है और अगर माल जंगल में हो तो उस के करीब जो आबादी है वहाँ जो कीमत हो उस का एअ्तिबार है। (आलमगीरी) ज़ाहिर यह है कि यह उस माल में है जिस की जंगल में ख़रीदारी न होती हो और अगर जंगल में ख़रीदा जाता हो जैसे लकड़ी और वह चीज़ें जो वहाँ पैदा होती हैं तो जब तक माल वहाँ पड़ा है वहीं की कीमत लगाई जाये।

मसअ्ला :– किराये पर उठाने के लिए देते हों उनकी ज़कात नहीं। यूँही किराये के मकान की।(आलमगीरी)

मसअ्ला : – घोड़े की तिजारत करता है झूल और लगाम और रस्सियाँ वग़ैरा इसलिये ख़रीदीं कि घोड़ों की हिफ़ाज़त में काम आयेंगी तो इनकी ज़कात नहीं और अगर इसलिये ख़रीदीं कि घोड़े इनके समेत बेचे जायेंगे तो इनकी भी ज़कात दे। नानबाई ने रोटी पकाने के लिये लकड़ियाँ ख़रीदीं या रोटी में डालने को नमक ख़रीदा तो इनकी ज़कात नहीं और रोटी पर छिड़कने को तिल ख़रीदे तो तिलों की ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपना मकान तीन साल के लिए तीन सौ दिरहम साल के किराये पर दिया और उसके पास कुछ नहीं है और जो किराये में आता है सब को महफ़ूज़ रखता है तो आठ महीने गुज़रने पर निसाब का मालिक हो गया कि आठ माह में दो सौ दिरहम किराये के हुए। लिहाज़ा आज से ज़कात का साल शुरूअ् होगा और साल पूरा होने पर पाँच सौ दिरहम की ज़कात दे कि बीस माह का किराया पाँच सौ हुआ अब उसके बाद एक साल और गुज़रा तो आठ सौ की ज़कात दे मगर पहले साल की ज़कात के साढ़े बारह दिरहम कम किये जायें (आलमगीरी) बल्कि आठ सौ में चालीस कम की ज़कात वाजिब होगी कि चालीस से कम की ज़कात नहीं बल्कि अफ़्व (माफ़) है।

मसअ्ला :– एक शख़्स के पास सिर्फ़ एक हज़ार दिरहम हैं और कुछ माल नहीं। उसने सौ दिरहम सालाना किराये पर दस साल के लिये मकान लिया और वह कुल रुपये मालिके मकान को दे दिए तो पहले साल में तो नौ सौ की ज़कात दे कि सौ किराये में गए। दूसरे साल आठ सौ की बल्कि पहले साल की ज़कात के साढ़े बाइस दिरहम आठ सौ में से कम कर के बाक़ी की ज़कात दे। इसी तरह हर साल में सौ रुपये और पिछले साल की ज़कात के रुपये कम कर के बाक़ी की ज़कात इसके ज़िम्मे है और मालिके मकान के पास भी अगर इस किराये के हज़ार के सिवा कुछ न हो तो दो साल तक कुछ नहीं। दो साल गुज़रने पर अब दो सौ का मालिक हुआ। तीन बरस पर तीन सौ की ज़कात दे। यूँही हर साल सौ दिरहम की ज़कात बढ़ती जायेगी मगर अगली बरसों की ज़कात की मिक़दार कम करने के बाद बाक़ी की ज़कात वाजिब होगी। सूरते मज़कूरा में अगर उस क़ीमत की कनीज़ किराए में दी तो किरायेदार पर कुछ वाजिब नहीं और मालिके मकान पर उसी तरह वुजूब है जो दिरहम की सूरत में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिजारत के लिए गुलाम क़ीमती दो सौ दिरहम का दो सौ में ख़रीदा और क़ीमत बेचने वाले को दे दी मगर गुलाम पर क़ब्ज़ा न किया यहाँ तक कि एक साल गुज़र गया अब वह बेचने वाले के यहाँ मर गया तो बेचने वाले और ख़रीदार दोनों पर दो–दो सौ की ज़कात वाजिब है और अगर गुलाम दो सौ दिरहम से कम क़ीमत का था और ख़रीदार ने दो सौ पर लिया तो बेचने वाला दो सौ की ज़कात दे और ख़रीदार पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़िदमत का गुलाम हज़ार रुपये में बेचा और क़ीमत पर क़ब्ज़ा कर लिया साल भर बअ्द वह गुलाम ऐबदार निकला इस बिना पर वापस हुआ क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म दिया हो या इसने ख़ुद अपनी ख़ुशी से वापस ले लिया हो हज़ार की ज़कात दे। (आलमगीरी)

मसअला :– रुपये के एवज़ खाना गल्ला कपड़ा वग़ैरा फ़क़ीर को देकर मालिक कर दिया तो ज़कात अदा हो जायेगी मगर उस चीज़ की क़ीमत जो बाज़ार भाव से होगी वह ज़कात में समझी जायेगी बाहरी ख़र्चे मसलन बाज़ार से लाने में जो मज़दूर को दिया है या गाँव से मंगवाया तो किराया और चुंगी कम न करेंगे या पकवा कर दिया तो पकवाई या लकड़ियों की क़ीमत मुजरा न करें। बल्कि इस पकी हुई चीज की जो क़ीमत बाज़ार में हो उस का एअ्तिबार है। (आलमगीरी)

आ़शिर का बयान

मसअला :– आ़शिर उसको कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुक़र्रर कर दिया हो कि ताजिर जो माल लेकर गुज़रे उनसे स़दक़ात वुसूल करे। आ़शिर के लिये शर्त यह है कि मुसलमान हुर (आज़ाद यअ्नी गुलाम न हो) ग़ैरे हाशिमी हो ,चोर और डाकूओं से माल की हिफ़ाज़त पर क़ादिर हो। (बह्र)

मसअला :– जो राहगीर यह कहे कि मेरे इस माल पर और घर में जो मौजूद है किसी पर साल नहीं गुज़रा या कहता है कि मैंने इस में तिजारत की नियत नहीं की या कहे यह मेरा माल नहीं बल्कि मेरे पास अमानत या ब–तौरे मुज़ारबत (साझेदारी का) है ब–शर्ते कि उस में इतना नफ़ा न हो कि इस का हिस्सा निसाब को पहुँच जाये या अपने को मज़दूर या मुकातिब या माज़ून बताये या इतना ही कहे कि इस माल पर ज़कात नहीं अगर्चे वजह न बताये या कहे मुझ पर दैन है जो माल के बराबर है या इतना है कि उसे निकालें तो निसाब बाक़ी न रहे या कहे दूसरे आ़शिर को दे दिया है और जिस को देना बताता है वाक़ेअ् में वह आ़शिर है और इस आ़शिर को भी उस का आ़शिर होना मअ्लूम हो या कहे शहर में फ़क़ीरों को ज़कात दे दी और अपने बयान पर हलफ़ करे यअ्नी क़सम खाये तो उसका क़ौल मान लिया जायेगा इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि उससे रसीद माँगें कि रसीद कभी जाली होती है और कभी ग़लती से रसीद नहीं ली जाती और कभी गुम हो जाती है और अगर रसीद पेश की और उसमें उस आ़शिर का नाम नहीं जिसे इसने बताया जब भी हलफ़ लेकर उस का क़ौल मान लेंगे और अगर चन्द साल गुज़रने पर मअ्लूम हुआ कि उसने झूट कहा था तो अब उससे ज़कात ली जायेगी (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर इस माल पर साल नहीं गुज़रा मगर उसके मकान पर जो माल है उस पर साल गुज़र गया है और इस माल को उस माल के साथ मिला सकते हों तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा। यूँही अगर ऐसे आ़शिर को देना बतायें जो इसे मालूम नहीं या कहे किसी बदमज़हब को ज़कात दे दी या कहे शहर में फ़क़ीर को नहीं दी बल्कि शहर से बाहर जाकर दी तो इन सब सूरतों में उसका क़ौल न माना जाये। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साइमा और अमवाले बातिना (छुपे हुए मालों)में उस का क़ौल नहीं माना जायेगा और जिन उमूर (बातों)में मुसलमान का क़ौल माना जाता है ज़िम्मी काफ़िर का भी मान लिया जायेगा मगर उस सूरत में कि शहर में फ़क़ीर को देना बताये तो इसका क़ौल मोअ्तबर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर्बी काफ़िर का क़ौल बिल्कुल मोअ्तबर नहीं अगर्चे जो कुछ कहता है उस पर गवाह

पेश करे, और अगर कनीज़ को उम्मे वलद बताये या गुलाम को अपना लड़का कहे और उसकी उम्र इस काबिल हो कि यह उसका लड़का हो सकता है या कहे मैंने दूसरे को दे दिया है और जिसे बताया है वह वहाँ मौजूद है तो इस उमूर में हर्बी का भी कौल मान लिया जाये।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दो सौ दिरहम से कम का माल लेकर गुज़रा तो आशिर उस से कुछ न लेगा ख़्वाह वह मुसलमान हो या ज़िम्मी या हर्बी ख़्वाह उसके घर में और माल होना मअ्लूम हो यानहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमान से चालीसवाँ हिस्सा लिया जाये व ज़िम्मी से बीसवाँ और हर्बी से दसवाँ हिस्सा (तन्वीर) हर्बी से दसवाँ हिस्सा लेना उस वक़्त है जब मअ्लूम न हो कि हर्बियों ने मुसलमानों से कितना लिया था और अगर मअ्लूम हो तो जितना उन्होंने लिया मुसलमान भी हर्बियों से उतना ही लें मगर हर्बियों ने अगर मुसलमानों का कुल माल ले लिया हो तो मुसलमान कुल न लें बल्कि इतना छोड़ दें कि अपने ठिकाने पहुँच जायें और अगर हर्बियों ने मुसलमानों से कुछ न लिया तो मुसलमान भी कुछ न लें।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक बार जब हर्बी से लिया तो दो बारा उस साल में न लें मगर जब लेने के बअ्द दारूलहरब को वापस गया और अब फिर दारुलहरब से आया तो दोबारा लेंगे। (तन्वीरूल अबसार)

मसअ्ला :– हर्बी दारुलइस्लाम में आया और वापस गया मगर आशिर को ख़बर न हुई फिर दोबारा दारुलहरब से आया तो पहली मरतबा का न लें और अगर मुसलमान या ज़िम्मी के आने और जाने की ख़बर न हुई और अब दोबारा आया तो पहली बार का लेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माज़ून के साथ अगर उसका मालिक भी है और उस माज़ून पर इतना दैन नहीं जो ज़ात व माल को मुस्तग़रक़ (घेरे हुए)हो तो आशिर उस से लेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–आशिर के पास ऐसी चीज़ लेकर गुज़रा जो जल्द ख़राब होने वाली है जैसे मेवा,तरकारी ख़रबूज़ा, तरबूज़, दूध वग़ैरा अगर्चे इनकी क़ीमत निसाब की क़द्र हो मगर उश्र न लिया जाये, हाँ अगर वहाँ फुक़रा मौजूद हों तो लेकर फुक़रा को बाँट दे (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आशिर ने माल ज़्यादा ख़्याल कर के ज़कात ली फिर मअ्लूम हुआ कि इतने का माल न था तो जितना ज़्यादा लिया है साले आइन्दा में महसूब (शुमार) होगा और अगर क़स्दन ज़्यादा लिया तो यह ज़कात में महसूब न होगा कि ज़ुल्म है। (ख़ानिया)

कान और दफ़ीना का बयान

हदीस :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते है रुकाज़ (कान)में ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा) है।

मसअ्ला :– कान से लोहा, सीसा ,ताँबा,पीतल,सोना चाँदी निकले उस में ख़ुम्स(पाँचवाँ हिस्सा) लिया जायेगा और बाक़ी पाने वाले का है ख़्वाह वह पाने वाला आज़ाद हो या गुलाम मुसलमान हो या ज़िम्मी मर्द हो या औरत बालिग़ हो या नाबालिग़ वह ज़मीन जिस से यह चीज़ें निकलें उश्री हो याख़िराजी (आलमगीरी) यह उस सूरत में है कि ज़मीन किसी शख़्स की मिल्कियत न हो मसलन जंगल हो या पहाड़ और अगर मिल्कियत है तो कुल मालिके ज़मीन को दिया जाये ख़ुम्स भी न लिया जाये।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ीरोज़ा,याकूत व ज़ुमुर्रद व दूसरे जावाहिर और सुर्मा,फिटकरी,चूना, मोती में और नमक

वग़ैरा बहने वाली चीज़ों में ख़ुम्स नहीं। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान या दुकान में कान निकली तो ख़ुम्स न लिया जाये बल्कि कुल मालिक को दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ीरोज़ा,याकूत ज़ुमुर्रद वग़ैरा जवाहिर सल्तनते इस्लाम से पहले के दफ़न थे और अब निकले तो ख़ुम्स लिया जायेगा कि यह माले ग़नीमत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मोती और उसके अ़लावा जो कुछ दरिया से निकले अगर्चे सोना कि पानी की तह में था सब पाने वाले का है बशर्ते कि उसमें कोई इस्लामी निशानी न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस दफ़ीना यअ्नी ज़मीन में गड़े हुए माल में इस्लामी निशानी पाई जाये ख़्वाह वह नक़द हो या हथियार या ख़ानादारी के सामान यअ्नी रोज़मर्रा की ज़रूरत के इस्तेमाली सामान वग़ैरा वह पड़े माल के हुक्म में है यअ्नी मस्जिदों, बाज़ारों में उसका एलान इतने दिनों तक करें कि ग़ालिब गुमान हो जाये अब इस का तलाश करने वाला न मिलेगा फिर मसाकीन को दे दे और खुद फ़क़ीर हो तो अपने सर्फ़ में लाये और अगर उस में कुफ़्र की अ़लामत हो मसलन बुत की तस्वीर हो या काफ़िर बादशाह का नाम उस पर लिखा हो उसमें से ख़ुम्स लिया जाये बाक़ी पाने वालों को दिया जाये ख़्वाह अपनी ज़मीन में पाये या दूसरे की ज़मीन में या मुबाह ज़मीन में। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हर्बी काफ़िर ने दफ़ीना निकाला तो उसे कुछ न दिया जाये और जो उसने ले लिया है वापस लिया जाये हाँ अगर बादशाहे इस्लाम के हुक्म से खोद कर निकाला तो जो ठहरा है वह देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दफ़ीना निकालने में दो शख़्सों ने काम किया तो ख़ुम्स के बाद बाक़ी उसे देंगे जिसने पाया अगर्चे दोनों ने शिरकत के साथ काम किया है कि यह शिरकत फ़ासिद है और अगर शिरकत की सूरत में दोनों ने पाया और यह नहीं मअ्लूम कि कितना किसने पाया तो निस्फ़–निस्फ़ (आधे–आधे)के शरीक हैं और इस सूरत में अगर एक ने पाया और दूसरे ने मदद की तो वह पाने वाले का है और मददगार को काम की मज़दूरी दी जायेगी और अगर दफ़ीना निकालने पर मज़दूर रखा तो जो बरामद होगा मज़दूर को मिलेगा। मुसताजिर(उजरत पर काम कराने वाला जैसे ठेकेदार)को कुछ नहीं कि यह इजारए फ़ासिदा है यानी यह जो उजरत पर लेन–देन होगा वह फ़ासिद यअ्नी बेकार है उसकी कोई अहमियत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दफ़ीना में न इस्लामी अ़लामत है न कुफ़्र की तो ज़मानए कुफ़्र का क़रार दिया जाये।

मसअ्ला :– सहराए दारुलहरब में से जो कुछ निकाला मअ्दनी हो यअ्नी कान से हो या दफ़ीना इस में ख़ुम्स नहीं बल्कि कुल पाने वाले को मिलेगा और अगर बहुत से लोग ब–तौरे ग़लबा के निकाल लाये तो उसमें ख़ुम्स लिया जायेगा कि यह ग़नीमत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान दारुलहरब में अमन लेकर गया और वहाँ किसी की ममलूक ज़मीन से ख़ज़ाना या कान निकाली तो मालिके ज़मीन को वापस दे अगर वापस न किया बल्कि दारुलइस्लाम में ले आया तो यही मालिक है मगर मिल्के ख़बीस यअ्नी पाक मिल्क नहीं है लिहाज़ा सदक़ा करे और बेचडाला तो बय(बेचना)सही है, मगर ख़रीदार के लिए भी ख़बीस है और अगर अमान लेकर नहीं गया था तो यह माल उसके लिये हलाल है न वापस करे न इसमें ख़ुम्स लिया जाये। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़ुम्स मसाकीन का हक़ है कि बादशाहे इस्लाम उन पर सर्फ़ (ख़र्च)करे और अगर इस में ब–तौरे ख़ुद मसाकीन को दे दिया जब भी जाइज़ है बादशाहे इस्लाम को ख़बर पहुँचे तो उसे बरक़रार रखे और तसर्रुफ़ को नाफ़िज़ कर दे और अगर यह ख़ुद मिस्कीन है तो ब–क़द्रे हाजत अपने सर्फ़ में ला सकता है और अगर ख़ुम्स निकालने के बाद बाक़ी दो सौ दिरहम की क़द्र है तो ख़ुम्स अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि अब यह फ़क़ीर नहीं, हाँ अगर मदयून (क़र्ज़दार)हो कि दैन निकालने के बाद दो सौ दिरहम की क़द्र बाक़ी नहीं रहता तो ख़ुम्स अपने सर्फ़ में ला सकता है और अगर माँ–बाप या औलाद जो मसाकीन हैं उन को ख़ुम्स दे दे तो यह भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

ज़राअ़त और फ़लों की ज़कात

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

तर्जमा : " खेती कटने के दिन उसका हक़ अदा करो"।

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस ज़मीन को आसमान या चश्मों ने सैराब किया या उ़श्री हो यअ़नी नहर के पानी से उसे सैराब करते हों उसमें उ़श्र है और जिस ज़मीन के सैराब करने के लिये जानवर पर पानी लाद कर लाते हों उसमें निस्फ़ उ़श्र यअ़नी बीसवाँ हिस्सा।

हदीस न.2 :– इब्ने नज्जार अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर उस शय (चीज़)में जिसे ज़मीन ने निकाला उ़श्र या निस्फ़ (आधा) उ़श्र है।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ज़मीन की तीन क़िस्मे हैं :– **1. उ़श्री 2. ख़िराजी 3. न उ़श्री न ख़िराजी**। पहली और तीसरी दोनों का हुक्म एक है यानी उ़श्र देना, हिन्दुस्तान में मुसलमानों की ज़मीनें ख़िराजी न समझी जायेंगी जब तक किसी ख़ास ज़मीन की निस्बत ख़िराजी होना दलीले शरई से साबित न हो ले। उ़श्री होने की बहुत सी सूरतें हैं मसलन मुसलमानों ने फ़तह किया और ज़मीन मुजाहिदीन जिहाद करने वाले)पर तक़सीम हो गयी या वहाँ के लोग ख़ुद ब–ख़ुद मुसलमान हो गये जंग की नौबत न आई या उ़श्री ज़मीन के क़रीब पड़ती थी उसे काश्त (खेती के काम)में लाया या उस पड़ती को खेत बनाया जो उ़श्री व ख़िराजी दोनों से क़ुर्ब व बोअ़्द (नज़दीकी और दूरी)की यकसाँ निस्बत रखती है या उस खेत को उ़श्री पानी से सैराब किया या ख़िराजी व उ़श्री दोनों से या मुसलमान ने अपने मकान को बाग़ या खेत बना लिया और उ़श्री पानी से सैराब करता है या उ़श्री व ख़िराजी दोनों से या उ़श्री ज़मीन काफ़िरे ज़िम्मी ने ख़रीदी मुसलमान ने शुफ़आ़ में उसे ले लिया या बय़ फ़ासिद हो गयी या ख़ियारे शर्त या ख़ियारे रूयत की वजह से वापस हुई या ख़ियारे ऐब की वजह से क़ाज़ी के हुक्म से वापस हुई और बहुत सूरतों में ख़िराजी है मसलन फ़तह कर के वहीं वालों को एहसान के तौर पर वापस दिया दूसरे काफ़िरों को दे दी या वह मुल्क सुलह के तौर पर फ़तह किया गया या ज़िम्मी ने मुसलमान से उ़श्री ज़मीन ख़रीद ली या ख़िराजी ज़मीन मुसलमान ने ख़रीदी या ज़िम्मी ने बादशाहे इस्लाम के हुक्म से बन्जर को आबाद किया या बन्जर ज़मीन ज़िम्मी को दे दी

गयी या उसे मुसलमान ने आबाद किया और वह ख़िराजी ज़मीन के पास थी या उसे ख़िराजी पानी से सैराब किया। ख़िराजी ज़मीन अगर्चे उ़श्री पानी से सैराब की जाये ख़िराजी ही रहेगी और ख़िराजी व उ़श्री दोनों न हों मसलन मुसलमानों ने फ़तह कर के अपने लिये क़ियामत तक के लिए बाक़ी रखी या उस ज़मीन के मालिक मर गये और ज़मीन बैतुलमाल की मिल्क हो गई।

नोट :– **ख़ियारे शर्त़** वह क़रार है जिसमें शर्त़ हो य़ानी क़रार के साथ कोई शर्त़ लगी हो **ख़ियारे रूयत** वह क़रार है जिसमें देखने की शर्त़ हो यअ़नी क़रार तो हो गया मगर ख़रीदार ने कहा कि मैं माल को देखूँगा। **ख़ियारे ऐब** वह क़रार है जो माल के ऐब की वजह से ख़त्म भी हो सकता है शुफ़आ का मतलब यह है कि शरीअ़त में यह क़ानून है कि जो ज़मीन बिकती हो उस पर पड़ोसी का पहला हक़ है और वह ज़मीन उस को बेची जाये इसे शुफ़आ में लेना कहेंगे पहले हिन्दुस्तान में भी यह क़ानून था अब ख़त्म् हो गया।

मसअला :– ख़िराज की दो क़िस्म हैं:– 1.**ख़िराजे मुक़ासमा** कि पैदावर का कोई ह़िस्सा आधा या तिहाई या चौथाई वग़ैरा मुक़र्रर हो जैसे हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर के यहूदियों पर मुक़र्रर फ़रमाया था।

2.**ख़िराजे मुअज़्ज़फ़** कि एक मिक़दार लाज़िम कर दी जाये ख़्वाह रुपये मसलन सालाना दो रुपये बीघा या कुछ और जैसे फ़ारूक़े आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था य़ानी जिस त़रह वज़ीफ़े में होता है।

मसअला :– अगर मअ़्लूम हो कि स़ल्तनते इस्लामिया में इतना ख़िराज मुक़र्रर था तो वही दें बशर्ते कि ख़िराजे मुअज़्ज़फ़ में जहाँ–जहाँ फ़ारूक़े आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मिक़दार मनक़ूल है यअ़नी फ़ारूक़े आज़म का हुक्म मिलता है, उस पर ज़्यादत न हो और जहाँ मन्क़ूल नहीं उस में आधी पैदावार से ज़्यादा न हो यूँ हीं ख़िराजे मुक़ासमा में निस़्फ़ (आधी)से ज़्यादा न हो और यह भी शर्त़ है कि ज़मीन उतना देने की त़ाक़त भी रखती हो।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर मअ़्लूम न हो कि सल्तनते इस्लाम में क्या मुक़र्रर था तो जहाँ–जहाँ फ़ारूक़े आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमा दिया है वह दें और जहाँ मुक़र्रर न फ़रमाया हो निस़्फ़ दें। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– फ़ारूक़े अअ़्ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने यह मुक़र्रर फ़रमाया था कि हर क़िस्म के ग़ल्ले में फ़ी जरीब (ज़मीन के नापने के लिए एक पैमाना जो एक बीघे के बराबर होता है)एक दिरहम और उस ग़ल्ले का एक साअ़् और ख़रबूज़े,तरबूज़ की पालेज़ और खीरे,ककड़ी, बैंगन,वग़ैरा तरकारीयों में फ़ी जरीब पाँच दिरहम अँगूर व खुरमा (खजूर)के घने बाग़ों में जिनके अन्दर ज़राअ़त (खेती)न हो सके दस दिरहम फिर ज़मीन की हैसियत और उस शख़्स की क़ुदरत का एअ़्तिबार है इसका एअ़्तिबार नहीं कि उस ने क्या बोया यअ़नी जो ज़मीन जिस चीज़ के बोने के लाइक़ है और यह शख़्स उसके बोने पर क़ादिर है तो उसके एअ़्तिबार से ख़िराज अदा करे मसलन अँगूर बो सकता है तो अँगूर का ख़िराज दे अगर्चे गेहूँ बोए, और गेहूँ के क़ाबिल है तो गुहूँ का ख़िराज अदा करे अगर्चे जौ बोये, जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से पैंतीस गज़ लम्बी पैंतीस गज़ चौड़ी है और साअ़् दो सौ अठासी रुपये भर और दस दिरहम के दो रुपये बारह आने $9\frac{3}{5}$ पाई पाँच दिरहम के एक रुपया छः आना $4\frac{4}{5}$ पाई और एक दिरहम चार आना $5\frac{19}{25}$ पाई।

मसअ्ला :– जहाँ इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ के लोग ब–तौरे खुद फुक़रा वग़ैरा जो मसारिफ़े ख़िराज हैं उन पर सर्फ़ करें।

मसअ्ला :– उ़श्री ज़मीन से ऐसी चीज़ पैदा हुई जिस की खेती से मक़सूद ज़मीन से मुनाफ़ा ह़ासिल करना है तो उस पैदावार की ज़कात फ़र्ज़ है और इस ज़कात का नाम उ़श्री है यअ्नी दसवाँ हिस्सा कि अकसर सूरतों में दसवाँ हिस्सा फ़र्ज़ है अगर्चे बअ्ज़ सूरतों में निस्फ़ उ़श्र यअ्नी बीसवाँ हिस्सा लिया जायेगा (आलमगीरी,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– उ़श्र वाजिब होने के लिए आ़क़िल, बालिग होना शर्त नहीं मजनून और नाबालिग़ की ज़मीन जो कुछ पैदा हुआ उस में भी उ़श्र वाजिब है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– खुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम जबरन ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जायेगा मगर सवाब का मुस्तह़क़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तह़क़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस पर उ़श्र वाजिब हुआ उसका इन्तेक़ाल हो गया और पैदावार मौजूद है तो उसमें से उ़श्र लिया जायेगा। (आलमगीरी,

मसअ्ला :– उ़श्र में साल गुज़रना भी शर्त नहीं बल्कि साल में चन्द बार खेत में ज़राअ़त हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इसमें निसाब भी शर्त नहीं एक साअ् भी पैदावार हो तो उ़श्र वाजिब है और यह शर्त भी नहीं कि वह चीज़ बाक़ी रहने वाली हो और यह शर्त भी नहीं कि काश्तकार ज़मीन का मालिक हो यहाँ तक मुकातिब (वह गुलाम जिससे आक़ा ने कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आज़ाद हो) वह माज़ून (वह ग़ुलाम जिससे आक़ा ने यह कह दिया हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है) ने काश्त की तो उस पैदावार पर भी उ़श्र वाजिब है ख़्वाह ज़राअ़त करने वाले अहले वक़्फ़ हों या उजरत पर काश्त की। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन के मुनाफ़े ह़ासिल करना मक़सूद न हो उनमें उ़श्र नहीं जैसे ईंधन घास, पत्ते,ख़तमी (एक क़िस्म की दवा),कपास बैगन का दरख़्त, ख़रबूज़ा, तरबूज़ खीरा ,ककड़ी के बीज यूँही हर क़िस्म की तरकारियों के बीज कि उनकी खेती से तरकारियाँ मक़सूद होती हैं,बीज मक़सूद नहीं होते। यूँही जो बीज दवा हैं मसलन कुन्दर, मेथी, कलौंजी, और अगर नरकुल, घास, बेद, झाऊ वग़ैरहुम से ज़मीन के मुनाफ़े ह़ासिल करना मक़सूद हो और ज़मीन इनके लिये ख़ाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाये उस में उ़श्र यअ्नी दसवाँ हिस्सा वाजिब है और जिसकी आबपाशी (सिंचाई)चरसे (खाल के बड़े डोल) से या डोल से हो उस में निस्फ़ उ़श्र यअ्नी बीसवाँ हिस्सा वाजिब और पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो यअ्नी वह पानी किसी की मिल्क है उससे ख़रीद कर आबपाशी की जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है और अगर वह खेत कुछ दिनों मेंह के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिनों डोल,चरसे से तो अगर अकसर मेंह (बारिश) के पानी से काम लिया जाता है और कभी–कभी डोल चरसे से तो उ़श्र वाजिब है यअ्नी दसवाँ हिस्सा वाजिब है वरना निस्फ़(आधा) हिस्सा यअ्नी बीसवाँ हिस्सा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उ़श्री ज़मीन या पहाड़ या जंगल में शहद हुआ उस पर उ़श्र वाजिब है यूँ ही पहाड़ और जंगल और जंगल के फूलों में भी उ़श्र वाजिब है मगर शर्त यह है कि बादशाहे इस्लाम ने ह़र्बी

काफ़िरों और डाकूओं और बाग़ियों से इनकी हिफ़ाज़त की हो वरना कुछ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, और हर क़िस्म के ग़ल्ले और असली कुसुम, अख़रोट, बादाम और हर क़िस्म के मेवे रुई, फूल, गन्ना, ख़रबूज़, तरबूज़, खीरा, ककड़ी बैगन और हर क़िस्म की तरकारियाँ सब में उ़श्र वाजिब है थोड़ा पैदा हो या ज़्यादा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस चीज़ में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हुआ उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जायेगा यह नहीं हो सकता कि खेती के तमाम ख़र्च यअ्नी हल, बैल, हिफ़ाज़त करनेवाले और काम करने वालों की उजरत या बीज वग़ैरा की क़ीमत निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उ़श्र सिर्फ़ मुसलमान से लिया जायेगा यहाँ तक कि उ़श्री ज़मीन मुसलमान से ज़िम्मी ने ख़रीद ली और क़ब्ज़ा भी कर लिया तो अब ज़िम्मी से उ़श्र नहीं लिया जायेगा बल्कि ख़िराज लिया जायेगा और मुसलमान ने ज़िम्मी से ख़िराजी ज़मीन ख़रीदी तो यह ख़िराजी ही रहेगी उस मुसलमान से उस ज़मीन का उ़श्र न लेंगे बल्कि ख़िराज लिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने मुसलमान से उ़श्री ज़मीन ख़रीदी फिर किसी मुसलमान ने शुफ़अ़ा में वह ज़मीन ले ली या किसी वजेह से बय, फ़ासिद हो गयी थी और बेचने वाले के पास वापस हुई या बेचने वाले को ख़ियारे शर्त था या किसी को ख़ियारे रूयत था इस वजह से वापस हुई या ख़रीदार को ख़ियारे ऐब था और हुक्मे क़ाज़ी से वापस हुई इन सब सूरतों में वह फिर उ़श्री ही है और अगर ख़ियारे ऐब में बग़ैर हुक्मे क़ाज़ी वापस हुई तो अब ख़िराजी ही रहेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसलमान ने अपने घर को बाग़ बना लिया अगर उस में उ़श्री पानी देता है तो उशरी है और ख़िराजी पानी देता है तो ख़िराजी और दोनों क़िस्म के पानी देता है जब भी उ़श्री, और ज़िम्मी ने अपने घर को बाग़ बनाया तो मुतलक़न ख़िराज लेंगे। आसमान और कुएँ और चश्मा और दरिया का पानी उ़श्री है और जो नहर अजमियों ने खोदी उसका पानी ख़िराजी है। काफ़िरों ने कुँआ खोदा था और अब मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया या ख़िराजी ज़मीन में खोदा गया वह भी ख़िराजी है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान या मक़बरा में जो पैदावार हो उसमें न उ़श्र है न ख़िराज (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़िफ़्त(एक क़िस्म का गोंद)और निफ़्त (कोलतार वग़ैरा)के चश्मे उ़श्री ज़मीन में हों या ख़िराजी में उनमें कुछ नहीं लिया जायेगा अलबत्ता अगर ख़िराजी ज़मीन में हों और आस पास की ज़मीन खेती के क़ाबिल हो तो इस ज़मीन का ख़िराज लिया जायेगा चश्मे का नहीं और उ़श्री ज़मीन में हों तो जब तक आस पास की जमीन में ज़राअ़त (खेती)न हो कुछ नहीं लिया जायेगा फ़क़त खेती के क़ाबिल होना काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो चीज़ ज़मीन के ताबेअ़ हो जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद उसमें उ़श्र नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उ़श्र उस वक़्त लिया जाये जब फल निकल आयें और काम के क़ाबिल हो जायें और फ़साद का अंदेशा जाता रहे यअ्नी ख़राब होने का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने के लाइक़ न हुए हों

मसअ्ला :– ख़िराज अदा करने से पहले उस की आमदनी खाना हलाल नहीं। यूँहीं उ़श्र अदा करने से पहले मालिक को खाना हलाल नहीं, खायेगा ज़मान (जुर्माना)देगा यूँही अगर दूसरे को खिलाया

तो इतने के उश्र का तावान(जुर्माना)दे और अगर यह इरादा है कि कुल का उश्र अदा कर देगा तो खाना हलाल है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि ख़िराज लेने के लिये ग़ल्ले को रोक ले मालिक को तसर्रुफ़ न करने दे और उसने कई साल का ख़िराज न दिया हो और आजिज़ हो तो अगली बरसों का माफ़ है आजिज़ न हो तो लेंगे (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़राअ़त पर क़ादिर है और बोया नहीं तो ख़िराज वाजिब है और उश्र जब तक काश्त न करे और पैदावार न हो वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– खेत बोया मगर पैदावार मारी गयी मसलन खेती डूब गयी या जल गयी, या टिड्डी खा गयी या पाले और लू से जाती रही तो उश्र व ख़िराज दोनों साक़ित हैं जबकि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो इस बाक़ी का उश्र लेंगे और अगर चौपाये खा गये तो साक़ित होने के लिए यह भी शर्त है कि उस के बअ्द इस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़राअ़त तैयार न हो सके और यह भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़िराजी ज़मीन किसी ने ग़सब की और ग़सब से इन्कार करता है और मालिक के पास गवाह भी नहीं तो अगर काश्त करे ख़िराज ग़ासिब पर होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बयऐ वफ़ा यानी जिस बय़ में यह शर्त हो कि बेचने वाला जब क़ीमत ख़रीदार को वापस देगा तो ख़रीदार मबीअ् (ख़रीदी हुई चीज़)फेर देगा तो जब ख़िराजी ज़मीन इस तौर पर किसी के हाथ बेची और बेचने वाले के क़ब्ज़े में ज़मीन है तो ख़िराज बेचने वाले पर, और ख़रीदार के क़ब्ज़े में हो और ख़रीदार ने बोया भी तो ख़िराज ख़रीदार पर (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तैयार होने से पहले ज़राअ़त (खेती) बेच डाली तो उश्र ख़रीदार पर है अगर्चे ख़रीदार ने यह शर्त लगायी कि पकने तक ज़राअ़त काटी न जाये बल्कि खेत में रहे और बेचने के वक़्त ज़राअ़त तैयार थी तो उश्र बेचने वाले पर है और अगर ज़मीन व ज़राअ़त दोनों या सिर्फ़ ज़मीन बेची और इस सूरत में साल पूरा होने में इतना ज़माना बाक़ी है कि ज़राअ़त हो सके तो ख़िराज ख़रीदार पर है वरना बेचने वाले पर है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– उश्री ज़मीन बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर है और ख़िराजी ज़मीन बटाई पर दी तो ख़िराज मालिक पर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़मीन जो ज़राअ़त के लिये नक़दी पर दी जाती है इमामे आज़म के नज़दीक उसका उश्र ज़मीनदार पर है और साहिबैन के नज़दीक काश्तकार पर और अ़ल्लामा शामी ने यह तहक़ीक़ फ़रमाई कि हालते ज़माना के एअ्तिबार से अब साहिबैन के क़ौल पर अमल है।

मसअ्ला :– गवर्मेन्ट को जो मालगुज़ारी दी जाती है उससे ख़िराजे शरई नहीं अदा होता बल्कि वह मालिक के ज़िम्मे है उसका अदा करना ज़रूरी और ख़िराज का मसरफ़ (यअ्नी जिन पर ख़र्च किया जाये)सिर्फ़ लश्करे इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के फ़ाइदे के लिए है जिनमें मस्जिद की तामीर व ख़र्च, इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाहें और इल्मे दीन के पढ़ाने वाले की तन्ख़्वाह और इल्मे दीन पढ़ने वालों की ख़बरगीरी और उलमाए अहले सुन्नत हामियाने दीन व मिल्लत जो वअ्ज़ कहते और इल्मे दीन सिखाते और फ़तवे के काम में लगे रहते हों और पुल व सराय बनाने में भी

सर्फ़ किया जा सकता है। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– उ़श्र लेने से पहले ग़ल्ला बेच डाला तो मुसद्दिक़ यानी सदक़ा लेने वाले जिसको बादशाहे इस्लाम ने मुक़र्रर किया हो उसको इख़्तियार है कि उ़श्र ख़रीदार से ले या बेचने वाले से और अगर जितनी क़ीमत होनी चाहिए उससे ज़्यादा पर बेचा तो मुसद्दिक़ को इख़्तियार है कि ग़ल्ले का उ़श्र ले या क़ीमत का उ़श्र और अगर कम क़ीमत पर बेचा और इतनी कमी है कि लोग इतने नुक़सान पर नहीं बेचते तो ग़ल्ले ही का उ़श्र लेगा और वह ग़ल्ला न रहा तो उसका उ़श्र क़रार देकर बेचने वाले से लें या उसकी वाजिबी क़ीमत। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अँगूर बेच डाले तो क़ीमत का उ़श्र ले और शीरा करके बेचा तो उसकी क़ीमत का उ़श्र ले। (आलमगीरी)

माले ज़कात किन लोगों पर सर्फ़ (ख़र्च)किया जाये

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ٥

तर्जमा :–"सदक़ात फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए हैं और उनके लिये जो इस काम पर मुक़र्रर हैं और वह जिन के कुलूब की तालीफ़ (दिल में महब्बत पैदा करना)मक़सूद है और गर्दन छुड़ाने में और तावान वाले के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर के लिये यह अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर करना है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है।"

हदीस न.1 :– सुनने अबू दाऊद में ज़्याद इब्ने हारिस सूदाई रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने सदक़ात को नबी या किसी और के हुक्म पर नहीं रखा बल्कि उसने ख़ुद इसका हुक्म बयान फ़रमाया और इसके आठ हिस्से किये।

हदीस न.2 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व हाकिम अबू सईद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़नी के लिये सदक़ा हलाल नहीं मगर पाँच शख़्स के लिए 1. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला ग़नी 2. सदक़े पर आ़मिल ग़नी (जो सदक़ा वुसूल करने पर मुतअ़य्यन हो) 3. तावान वाले ग़नी के लिए 4. या जिस ग़नी ने अपने माल से ख़रीद लिया हो 5. या मिस्कीन को सदक़ा दिया गया और उस मिसकीन ने अपने पड़ोसी ग़नी (मालिके निसाब) को हदया किया और अहमद बैहक़ी की दूसरी रिवायत में ग़नी मुसाफ़िर के लिए भी जवाज़ आया है यअ्नी ग़नी मुसाफ़िर को भी ज़कात का माल लेना जाइज़ है।

हदीस न.3 :– बैहक़ी ने हज़रत मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया सदक़ए मफ़रूज़ा (जो सदक़ा फ़र्ज़ हो जैसे ज़कात)में औलाद और वालिद का हक़ नहीं।

हदीस न.4 :– तबरानी कबीर में इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ बनी हाशिम! तुम अपने नफ़्स पर सब्र करो कि सदक़ात आदमियों के धोवन हैं।

हदीस न.5 ता 7 :– इमाम अहमद व मुस्लिम मुत्तलिब इब्ने रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सदका जाइज़ नहीं कि यह तो आदमियों के मैल हैं और इब्ने सअ्द की रिवायत इमामे हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर सदका हराम फ़रमा दिया और तिर्मिज़ी व नसई व हाकिम की रिवायत अबू राफ़ेअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हमारे लिये सदका हलाल नहीं और जिस कौम का आज़ाद करदा गुलाम हो वह उन्हीं में से है।

हदीस न.8 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि इमामे हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सदके का खुर्मा लेकर मुँह में रख लिया इस पर हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया छी–छी कि उसे फेंक दें फिर फ़रमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सदका नहीं खाते, तहमान व बहज़ इब्ने हकीम व बर्रा व ज़ैद इब्ने अरकम व अम्र इब्ने ख़ारजा व सलमान व अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला व मयमून व केसान व हुरमुज़ व ख़ारजा इब्ने अम्र व मुग़ीरा व अनस वग़ैरहुम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी रिवायतें हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के लिये सदकात नाजाइज़ हैं।

मसअ्ला :– ज़कात के मसारिफ़ सात हैं यअ्नी सात किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते हैं:– **1. फ़कीर 2. मिस्कीन 3. आमिल 4. रिकाब 5. ग़ारिम 6. फ़ीसबीलिल्लाह 7. इब्नुस्सबील।**

मसअ्ला :– फ़कीर वह शख़्स है जिस के पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की कद्र हो तो उसकी हाजते अस्लिया में मुस्तग़रक(घिरा हुआ)हो मसलन रहने का मकान पहनने के कपड़े ख़िदमत के लिये लौंड़ी,गुलाम। इल्मी शुग़ल रखने वाले को दीनी किताबें जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा न हों जिसका बयान गुज़रा यूँही अगर मदयून (कर्ज़दार)है और दैन निकालने के बअ्द निसाब बाकी न रहे तो फ़कीर है अगर्चे उसके पास एक तो क्या कई निसाबें हों। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– फ़कीर अगर आलिम हो तो उसे देना जाहिल को देने से अफ़ज़ल है। (आलमगीरी) मगर आलिम को दे तो इसका लिहाज़ रखे कि उसकी इज़्ज़त मद्देनज़र हो अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को नज़र देते हैं। और मआज़ल्लाह आलिमे दीन की हिकारत (ज़िल्लत)अगर दिल में आई तो यह हलाकत और बहुत सख़्त हलाकत है।

मसअ्ला :– मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मुहताज है कि लोगों से सवाल करे और उसे सवाल हलाल है फ़कीर को सवाल नाजाइज़ कि जिसके पास खाने और बदन छुपाने को हो उसे बग़ैर जरूरत व मजबूरी सवाल हराम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– आमिल वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उश्र वुसूल कर ने के लिए मुकर्रर किया उसे काम के लिहाज़ से इतना दिया जाये कि उसको और उसके मददगारों को मुतवस्सित (दरमियानी) तौर पर काफ़ी हो मगर इतना न दिया जाये कि जो वुसूल कर लाया है उस के निस्फ़ से ज़्यादा हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– आमिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो उसको

ज़कात के माल में से देना भी नाजाइज़ और उसे लेना भी नाजाइज़ हाँ अगर किसी और मद से दें तो लेने में हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात का माल आमिल के पास से जाता रहा तो अब उसे कुछ न मिलेगा मगर देने वालों की ज़कातें अदा हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई शख़्स अपने माल की ज़कात खुद ले जाकर बैतुलमाल में दे आया तो उसका मुआवज़ा आमिल नहीं पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्त से पहले मुआवज़ा ले लिया या क़ाज़ी ने दे दिया यह जाइज़ है मगर बेहतर यह है कि पहले न दें और अगर पहले ले लिया और वुसूल किया हुआ माल हलाक हो गया तो ज़ाहिर यह कि वापस न लेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– **रिक़ाब** से मुराद मुकातिब ग़ुलाम (मुकातिब गुलाम वह कि मालिक ने उससे यह कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आजाद हो) को देना कि उस ज़कात के माल से बदले किताबत यअ्नी वही रूपया जो आज़ाद होने के लिए मालिक को देना है, अदा करे और ग़ुलामी से अपनी गर्दन रिहा करे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ग़नी के मुकातिब को भी माले ज़कात दे सकते हैं अगर्चे मअ्लूम है कि यह ग़नी का मुकातिब है। मुकातिब पूरा बदले किताबत अदा करने से आजिज़ हो गया और फिर ब–दस्तूर गुलाम हो गया तो जो कुछ इसने माले ज़कात लिया है उसका मौला ख़र्च में ला सकता है अगर्चे ग़नी हो।

मसअ्ला :– मुकातिब को जो ज़कात दी गयी वह गुलामी से रिहाई के लिये है मगर अब इसे इख़्तियार है कि दूसरी जगह ख़र्च कर सकता है अगर मुकातिब के पास ब–क़द्रे निसाब माल है और बदले किताबत से भी ज़्यादा है जब भी ज़कात दे सकते हैं मगर हाशिमी के मुकातिब को ज़कात नहीं दे सकते (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ग़ारिम से मुराद मदयून है यअ्नी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उसका औरों पर बाक़ी हो मगर लेने पर क़ादिर न हो मगर शर्त यह है कि मदयून हाशिमी न हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– **फ़ीसबीलिल्लाह** यअ्नी राहे ख़ुदा में ख़र्च करना इसकी चन्द सूरतें हैं मसलन कोई शख़्स मुहताज है कि जिहाद में जाना चाहता है सवारी और सफ़र का सामान उसके पास नहीं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि वह राहे ख़ुदा में देना है अगर्चे वह कमाने पर क़ादिर हो या कोई हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं मगर उसे हज के लिये सवाल करना जाइज़ नहीं या तालिबे इल्म कि इल्मे दीन पढ़ता या पढ़ाना चाहता है उसे दे सकते हैं कि यह भी राहे खुदा में देना है बल्कि तालिबे इल्म सवाल करके भी माले ज़कात ले सकता है जबकि उसने अपने आप को इसी काम के लिये फ़ारिग़ कर रखा हो अगर्चे कसब (कमाने)पर क़ादिर हो यूँही हर नेक बात में ज़कात सर्फ़ करना फ़ीसबीलिल्लाह है जबकि ब–तौरे तमलीक(मालिक बना देने के तौर)हो कि बग़ैर तमलीक ज़कात अदा नहीं हो सकती(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– बहुत से लोग माले ज़कात इस्लामी मदारिस में भेज देते हैं उनको चाहिये कि मदरसे के मुतवल्ली को इत्तिलाअ् दें कि यह माले ज़कात है ताकि मुतवल्ली उस माल को जुदा रखे और

दूसरे माल में न मिलायें और ग़रीब तलबा पर सर्फ़ (ख़र्च)करे किसी काम की उजरत में न दे वरना ज़कात अदा न होगी।

मसअ्ला :– इब्नुस्सबील यअ्नी मुसलमान मुसाफ़िर जिसके पास माल न रहा ज़कात ले सकता है अगर्चे इसके घर माल मौजूद हो मगर उसी क़द्र ले जिस से हाजत पूरी हो जाये ज़्यादा की इजाज़त नहीं,यूँही अगर मालिके निसाब का माल किसी मीआ़द(मुक़र्ररा) वक़्त तक के लिये दूसरे पर दैन है और अभी मीआ़द पूरी न हुई और अब इसे ज़रूरत है या जिस पर इसका आता है यह यहाँ मौजूद नहीं या मौजूद है मगर नादार (बहुत ग़रीब) है या दैन से मुन्किर है अगर्चे यह सुबूत रखता हो तो इन सब सूरतों में ब क़द्रे ज़रूरत ज़कात ले सकता है मगर बेहतर यह है कि क़र्ज़ मिले तो क़र्ज़ लेकर काम चलाये। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)और अगर दैने मुअज्जल है, या मीआ़द पूरी हो गयी और मदयून ग़नी हाज़िर है और इक़रार भी करता है तो ज़कात नहीं ले सकता कि उससे लेकर अपनी ज़रूरत में सर्फ़ कर सकता है। लिहाज़ा हाजतमन्द न हुआ और याद रखना चाहिए कि क़र्ज़ जिसे उ़र्फ़ में लोग दस्तगरदाँ (यअ्नी क़र्ज़) कहते हैं शरअ़न हमेशा मुअ़ज्जल होता है क्यूँकि जब चाहे उसका मुतालबा कर सकता है अगर्चे हज़ार अ़हदो पैमान व वसीक़ा व तमस्सुक (वादे काग़ज़ात और स्टाम्प वग़ैरा लिख लेने)के ज़रीए से उसमें मीआ़द मुक़र्रर की हो कि इतनी मुद्दत के बअ्द दिया जायेगा अगर्चे यह लिख दिया हो कि इस मीआ़द से पहले मुतालबा का इख़्तियार न होगा अगर मुतालबा करे तो बातिल व ना–मसमूअ़ होगा यानी माना नहीं जायेगा कि यह सब शर्तें बातिल हैं और क़र्ज़ देने वाले को हर वक़्त मुतालबा का इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर या उस मालिके निसाब ने जिसका अपना माल दूसरे पर दैन है ब–वक़्ते ज़रूरत माले ज़कात ब–क़द्रे ज़रूरत लिया फिर अपना माल मिल गया मसलन मुसाफ़िर घर पहुँच गया या मालिके निसाब का दैन वुसूल हो गया तो जो कुछ जकात में का बाक़ी है अब भी अपने सर्फ़ में ला सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़कात देने वाले को इख़्तियार है कि इन सातों क़िस्मों को दे या इन में किसी एक को दे दे ख़्वाह एक क़िस्म के चन्द शख़्सों को या एक को और माले ज़कात अगर ब–क़द्रे निसाब न हो तो एक को देना अफ़ज़ल है और एक शख़्स को ब–क़द्रे निसाब दे देना मकरूह मगर दे दे तो अदा हो गयी। एक शख़्स को ब–क़द्रे निसाब देना मकरूह उस वक़्त है कि वह फ़क़ीर मदयून न हो और मदयून हो तो इतना दे देना कि दैन निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे मकरूह नहीं। यूँही अगर वह फ़क़ीर बाल–बच्चों वाला है कि अगर्चे निसाब या ज़्यादा है मगर अहल व इयाल पर तक़सीम करें तो सब को निसाब से कम मिलता है तो इस सूरत में भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात अदा करने में यह ज़रूर है कि जिसे दें मालिक बना दें इबाहत काफ़ी नहीं यअ्नी मुबाह कर देना काफ़ी नहीं। (मसलन नल लगवाया कि लोग पानी पियेंगे और समझें कि ज़कात अदा हो तो ऐसा करने से ज़कात अदा न होगी क्यूँकि यहाँ माल का मालिक न बनाया) लिहाज़ा माले ज़कात मस्जिद में सर्फ़ करना या उस से मय्यत को कफ़न देना या मय्यत का दैन अदा करना या ग़ुलाम आज़ाद करना। पुल सरा, सिक़ाया (प्याऊ) सड़क ,बनवा देना नहर या कुँआ खुदवा देना इन अफ़आ़ल में ख़र्च करना या किताब वग़ैरा कोई चीज़ ख़रीद कर वक़्फ़ कर देना नाकाफ़ी है यअ्नी इस तरह के काम करने से ज़कात अदा नहीं होगी। (जौहरा,तन्वीरी, आलमगीरी)

मसअ्ला :— फ़क़ीर पर दैन है उसके कहने से माले ज़कात से वह दन अदा किया गया ज़कात अदा हो गई और अगर उसके हुक्म से न हो तो ज़कात अदा न हुई अगर फ़क़ीर ने इजाज़त दी मगर अदा से पहले मर गया तो यह दैन अगर माले ज़कात से अदा करें ज़कात अदा न होगी। (दुर्रे मुख़्तार) इन चीजों में माले ज़कात सर्फ़ करने का ह़ीला हम बयान कर चुके अगर ह़ीला करना चाहें तो कर सकते हैं।

मसअ्ला :— (1)अपनी अस्ल व फराअ् यअ्नी माँ—बाप ,दादा—दादी, नाना—नानी, वग़ैरहुम जिन की औलाद में यह है उनको ज़कात नहीं दे सकता। और यूँही अपनी औलाद बेटा—बेटी,पोता पोती, नवासा—नवासी वग़ैरहुम को ज़कात नहीं दे सकता। (2) यूँ ही स़दकए फ़ित्र नज़र व कफ़्फ़ारा भी इन्हें नहीं दे सकता, रहा स़दक़ए नफ़्ल वह दे सकता है बल्कि बेहतर है।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :— ज़िना का बच्चा जो उस के नुत्फ़े से हो या वह बच्चा कि इसकी मन्कूहा से ज़मानए निकाह़ में पैदा हो मगर यह कह चुका कि मेरा नहीं उन्हें नहीं दे सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या ज़ौजा की औलाद या शौहर की औलाद को दे सकता है और रिश्तेदारों में जिसका नफ़्क़ा इसके ज़िम्मे वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है जबकि नफ़्के में शुमार न करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— माँ बाप मोह़ताज हों और ह़ीला कर के ज़कात देना चाहता है कि यह फ़क़ीर को दे दे फिर फ़क़ीर उन्हें दे यह मकरूह है।(रद्दुल मुह़तार) यूँही ह़ीला कर के अपनी औलाद को देना भी मकरूह है।

मसअ्ला :— अपने या अपनी अस्ल या अपनी फ़राअ् या अपने ज़ौज (शौहर) या अपनी ज़ौजा के गुलाम या मुकातिब या मुदब्बिर यअ्नी जिस ग़ुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो और बाक़ी हिस्से की आज़ादी के लिए कोशिश करता हो या उम्मे वलद (यअ्नी वह बांदी जिससे आक़ा के औलाद हो या) उस ग़ुलाम को जिसके किसी जुज़ का यह मालिक हो अगर्चे बअ्ज़ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो ज़कात नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला :—औरत शौहर को और शौहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता अगर्चे तलाक़े बाइन बल्कि तीन तलाक़ें दे चुका हो जब तक इ़द्दत में है। और इ़द्दत पूरी हो गयी तो अब दे सकता है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— जो शख़्स मालिके निसाब हो (ज़बकि वह चीज़ ह़ाजते अस़लिया से फ़ारिग़ हो यअ्नी मकान, सामान ख़ानादारी, पहनने के कपड़े, ख़ादिम सवारी का जानवर हथियार अहले इ़ल्म के लिये किताबें जो उसके काम में हों कि यह सब ह़ाजते अस़लिया से हैं)और यह चीज़ इनके अलावा हो अगर्चे उस पर साल न गुज़रा हो अगर्चे वह माल नामी यअ्नी बढ़ने वाला माल न हो ऐसे को ज़कात देना, जाइज़ नहीं और निसाब से मुराद यहाँ यह है कि उस की क़ीमत दो सौ दिरहम हो अगर्चे वह खुद इतनी न हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो मसलन छः तोले सोना जब दो सौ दिरहम क़ीमत का हो तो ज़िस के पास है अगर्चे उस पर ज़कात वाजिब नहीं कि सोने की निस़ाब $7\frac{1}{2}$ तोले है मगर उस शख़्स को ज़कात नहीं दे सकते या इसके पास तीस बकरियाँ या बीस गाय हों जिसकी क़ीमत दो सौ दिरहम है इसको ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे इस पर ज़कात वाजिब नहीं या इसके पास ज़रूरत के सिवा असबाब हैं जो तिजारत के लिये भी नहीं और वह दो सौ

दिरहम के हैं तो इसे ज़कात नहीं दे सकते। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सही तन्दरुस्त को ज़कात दे सकते हैं अगर्चे कमाने पर कुदरत रखता हो मगर सवाल करना इसे जाइज़ नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जो शख़्स मालिके निसाब है उसके गुलाम को भी ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे गुलाम अपाहिज हो और उसका मौला खाने को भी नहीं देता या उस का मालिक ग़ाइब हो मगर मालिके निसाब के मुकातिब को और उस माजून यअ्नी वह गुलाम जिसे उसके आका ने तिजारत की इजाज़त दे रखी हो उसको दे सकते हैं जो खुद और उसका माल दैन में मुसतग़रक हो। यूँही ग़नी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को भी नहीं दे सकते और ग़नी के बालिग़ औलाद को दे सकते हैं जबकि फ़कीर हों। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ग़नी की बीवी को दे सकते है जबकि मालिके निसाब न हो। यूँही ग़नी के बाप को दे सकते है। जबकि फ़कीर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत का दैन महर उस के शौहर पर बाकी है अगर्चे वह ब–क़द्रे निसाब हो अगर्चे शौहर मालदार हो अदा करने पर कादिर हो उस को ज़कात दे सकते हैं (जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला :–जिस बच्चे की माँ मालिके निसाब है अगर्चे उसका बाप ज़िन्दा न हो उस बच्चे को ज़कात दे सकते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस के पास मकान या दुकान है जिसे किराये पर उठाता है और उसकी कीमत मसलन तीन हज़ार हो मगर किराया इतना नहीं जो उस के और बाल बच्चों के लिए खाने पीने को काफ़ी हो सके तो उस को ज़कात दे सकते हैं यूँही उसकी मिल्क में खेत हैं जिसकी काश्त करता है मगर पैदावार इतनी नहीं जो साल भर को खाने पीने के लिए काफ़ी हो उसको ज़कात दे सकते हैं अगर्चे खेत की कीमत दो सौ दिरहम या ज़ाइद हो (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसके पास खाने के लिए ग़ल्ला हो जिसकी कीमत दो सौ दिरहम हो और वह ग़ल्ला साल भर को काफ़ी है जब भी उसको ज़कात देना हलाल है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जाड़े के कपड़े जिन की गर्मियों में हाजत नहीं पड़ती हाजत असलिया में हैं वह कपड़े अगर्चे बेशकीमत हों ज़कात ले सकता है जिसके पास रहने का मकान हाजत से ज़्यादा हो यअ्नी पूरे में उसकी सुकूनत नहीं यह शख़्स ज़कात ले सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को माँ–बाप के यहाँ से जो जहेज़ मिलता है उसकी मालिक औरत ही है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं एक हाजत की जैसे खाना दारी के सामान, पहनने के कपड़े,इस्तेमाल के बर्तन इस किस्म की चीज़ें कितनी ही कीमत की हों इनकी वजह से औरत ग़नी नहीं दूसरी वह चीज़ें जो हाजते असलिया से ज़ाइद हैं ज़ीनत के लिये दी जाती हैं जैसे ज़ेवर और हाजत के अलावा असबाब और बर्तन और आने जाने के बेशकीमती भारी जोड़े इन चीज़ों की कीमत अगर ब–क़द्रे निसाब है औरत ग़नी है ज़कात नहीं ले सकती (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मोती वग़ैरा जवाहिरात जिसके पास हों और तिजारत के लिये न हों तो इनकी ज़कात वाजिब नहीं मगर जब निसाब की कीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिसके मकान में निसाब की कीमत का बाग़ हो और बाग़ के अन्दर ज़रूरियाते मकान बावर्ची खाना, गुस्लखाना वग़ैरा नहीं तो उसे ज़कात लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते न ग़ैर उन्हें दे सकते न एक हाशिमी दूसरे हाशमी को बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व ज़अ्फ़र व अक़ील और हज़रते अ़ब्बास व हारिस इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलादे हैं इनके अ़लावा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की इआ़नत (मदद) न की मसलन अबू लहब कि अगर्चे यह काफ़िर हज़रते अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा था मगर इसकी औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी (आ़लमगीरी वग़ैरा)
मसअ्ला :– बनी हाशिम के आज़ाद किये हुऐ गुलामों को भी ज़कात नहीं दे सकते तो जो गुलाम उनकी मिल्क में हैं उन्हें देना बतरीक़े औला नाजाइज़ (दुर्रे मुख़्तार,वग़ैरा आ़म्मए कुतुब)
मसअ्ला :– माँ हाशिमी बल्कि सय्यदानी हो और बाप हाशिमी न हो तो वह हाशिमी नहीं कि शरअ़् में नसब बाप से है लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ज़कात दे सकते हैं अगर कोई दूसरा मानेअ़् न हो।
मसअ्ला :– सदक़ए नफ़्ल और औक़ाफ़ (वक़्फ़ की जमा)की आमदनी बनी हाशिम को दे सकते हैं ख़्वाह वक़्फ़ करने वाले ने इनकी तअ़य्यीन की हो या नहीं (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– ज़िम्मी काफ़िर को न ज़कात दे सकते हैं न कोई सदक़ए वाजिबा जैसे नज़र व कफ़्फ़ारा व सदक़ए फ़ित्र और हर्बी को किसी क़िस्म का सदक़ा देना जाइज़ नहीं न वाजिबा न नफ़्ली अगर्चे वह दारुल इस्लाम में बादशाहे इस्लाम से अमान लेकर आया हो। (दुर्रे मुख़्तार) हिन्दुस्तान अगर्चे दारुलइस्लाम है मगर यहाँ के कुफ़्फ़ार ज़िम्मी नहीं उन्हें सदक़ाते नफ्ल मसलन हदया वग़ैरा देना भी नाजाइज़ है।
फ़ायदा :– जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ है उन्हें और भी कोई सदक़ए वाजिबा नज़र व कफ़्फ़ारा व फ़ितरा देना जाइज़ है सिवा दफ़ीना और मअ़्दन (यअ़्नी कान से)के कि इन का ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)अपने वालिदैन व औलाद को भी दे सकता है बल्कि बाज़ सूरत में ख़ुद भी सर्फ़ कर सकता है जिसका बयान गुज़रा। (जौहरा)
मसअ्ला :– जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया कि इन्हें ज़कात दे सकते हैं उस सब का फ़क़ीर होना शर्त है सिवा आ़मिल के कि उस के लिये फ़क़ीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त हुक्मे फ़क़ीर में है बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।
मसअ्ला :– जो शख़्स मर्ज़े मौत में है उसने ज़कात अपने भाई को दी और यह भाई उसका वारिस है तो ज़कात इन्दल्लाह यअ़्नी अल्लाह के नज़दीक अदा हो गयी मगर बाक़ी वारिसों को इख़्तियार है कि उससे इस ज़कात को वापस लें कि यह वसीयत के हुक्म में है और वारिस के लिये बग़ैर दूसरे वुरसा (वारिसों)की इजाज़त के वसीयत सही नहीं। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– जो शख़्स इसकी ख़िदमत करता और उसके यहाँ के काम करता है उसे ज़कात दी या उसको दी जिसने ख़ुशख़बरी सुनाई या उसे दी जिस ने इसके पास हदया भेजा यह सब जाइज़ हाँ अगर एवज़ कहकर दी तो अदा न हुई ईद बक़रईद में ख़ुद्दाम मर्द व औरत को ईदी कह कर दी तो अदा हो गयी। (जौहरा,आलमगीरी)
मसअ्ला :– जिसने तहर्री की यअ़्नी सोचा और दिल में यह बात जमी कि इसको ज़कात दे सकते हैं और ज़कात दे दी बाद में ज़ाहिर हुआ कि वह मसरफ़े ज़कात (ज़कात लेने के क़ाबिल)है या कुछ हाल न खुला तो अदा हो गयी और अगर बाद में मअ़्लूम हुआ कि वह ग़नी था या उस ज़कात देने वाले के वालिदैन में कोई था या अपनी औलाद थी या शौहर था या ज़ौजा थी या हाशिमी या

हाशिमी का गुलाम था या ज़िम्मी था जब भी अदा हो गयी और अगर यह मअ्लूम हुआ कि इसका गुलाम था या हर्बी काफ़िर था तो अदा न हुई अब फिर दे और यह भी तहर्री ही के हुक्म में है कि उसने सवाल किया इसने उसे गनी न जानकर दे दिया या वह फ़क़ीरों की जमाअत में उन्हीं की वज़ा (भेष) में था यअ्नी फ़क़ीरों की तरह लगता था, उसे दे दिया।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर बे सोचे समझे दे दी यअ्नी यह ख़्याल भी न आया कि इसे दे सकते हैं या नहीं और बाद में मअ्लूम हुआ कि इसे नहीं दे सकते थे तो अदा न हुई वरना हो गयी। और अगर देते वक़्त शक था और तहर्री न की या की मगर किसी तरफ़ दिल न जमा या तहर्री की और ग़ालिब गुमान यह हुआ कि यह ज़कात का मसरफ़ नहीं (ज़कात लेने के लाइक़ नहीं)और दे दिया तो इस सब सूरतों में अदा न हुई मगर जबकि देने के बअ्द यह ज़ाहिर हुआ कि वाक़ई वह मसरफ़े ज़कात था तो हो गई (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़कात वग़ैरा सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि अव्वलन अपने भाईयों बहनों को दे फिर इनकी औलाद को फिर चचा और फूफ़ियों को फिर इनकी औलाद को फिर मामू और ख़ाला को फिर इनकी औलाद को फिर ज़विल अरहाम यअ्नी रिश्ते वालों को फिर पड़ोसियों को फिर अपने पेशा वालों को फिर अपने शहर या गाँव के रहने वालों को (जौहरा,आलमगीरी)हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ उम्मते मुहम्मद! क़सम है उसकी जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा अल्लाह तआला उस शख़्स के सदक़े को क़बूल नहीं फ़रमाता जिस के रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मुहताज हों और यह ग़ैरों को दे। क़सम है उसकी जिसके दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है अल्लाह तआला उसकी तरफ़ क़ियामत के दिन नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दूसरे शहर को ज़कात भेजना मकरूह है मगर जबकि वहाँ उसके रिश्ते वाले हों तो उसके लिये भेज सकता है या वहाँ के लोगों को ज़्यादा हाजत है या ज़्यादा परहेज़गार हैं या मुसलमानों के हक़ में वहाँ भेजना ज़्यादा फ़ायदा है या तालिबे इल्म के लिये भेजे या ज़ाहिदों के लिये या दारुलहरब में है और ज़कात दारुलइस्लाम में भेजे या साल तमाम से पहले ही भेजे इस सब सूरतों में दूसरे शहर को भेजना बिला कराहत जाइज़ है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शहर से मुराद वह शहर है जहाँ माल हो अगर ख़ुद एक शहर में है और माल दूसरे में तो जहाँ माल हो वहाँ के फ़क़ीरों को ज़कात दी जाये और सदक़ए फ़ित्र में वह शहर मुराद है जहाँ ख़ुद है अगर ख़ुद एक शहर में है और इसके छोटे बच्चे और गुलाम दूसरे शहर में तो जहाँ ख़ुद है वहाँ के फ़ुक़रा पर सदक़ए फ़ित्र तक़सीम करे। (जौहरा आलमगीरी)

मसअ्ला :– बदमज़हब को ज़कात जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार) जब बदमज़हब का यह हुक्म है तो इस ज़माने के वहाबी कि तौहीने ख़ुदा व तनक़ीसे शाने रिसालत करते और शाए करते हैं जिनको अकाबिर उलमाए हरमैन तय्येबैन ने बिलइत्तिफ़ाक़ काफ़िर व मुरतद फ़रमाया अगर्चे वह अपने आप को मुसलमान कहें उन्हें ज़कात देना हराम व सख़्त हराम है और दी तो हरगिज़ अदा न होगी।

मसअ्ला :– जिसके पास आज के खाने को है या तन्दुरुस्त है कि कमा सकता है उसे खाने के लिये सवाल हलाल नहीं और बे माँगे कोई ख़ुद दे दे तो लेना जाइज़, और खाने को उसके पास है मगर कपड़ा नहीं तो कपड़े के लिये सवाल कर सकता है यूँही अगर जिहाद या तलबे इल्मे दीन में मशग़ूल है तो अगर्चे सही तन्दुरुस्त कमाने पर क़ादिर हो उसे सवाल की इजाज़त है। जिसे सवाल जाइज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाइज़ देने वाला भी गुनाहगार होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि एक शख़्स को इतना दे कि उस दिन उसे सवाल की हाजत न पड़े और यह उस फ़क़ीर की हालत के एअ़्तिबार से मुख़्तलिफ़ है उसके खाने,बाल बच्चों की कसरत और दूसरे ज़रूरी कामों का लिहाज़ कर के दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

सदक़ए फ़ित्र का बयान

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़काते फ़ित्र एक साअ़ (चार किलो नब्बे ग्राम) खुर्मा (खजूर)या जौ ग़ुलाम व आज़ाद मर्द व औ़रत छोटे और बड़े मुसलमान पर मुक़र्रर की और यह हुक्म फ़रमाया कि नमाज़ को जाने से पहले अदा कर दे।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व नसई की रिवायत में है कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने आख़िर रमज़ान में फ़रमाया अपने रोज़े का सदक़ा अदा करो इस सदक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फ़रमाया एक साअ़ खुर्मा या जौ या निस्फ़(आधा)साअ़ गेहूँ।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब–रिवायते अ़म्र इब्ने शुऐब अ़न अबीहे अ़न जद्देही मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को भेजा कि मक्का के कूचों में एलान कर दे कि सदक़ए फ़ित्र वाजिब है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा हाकिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैवि वसल्लम ने ज़काते फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाई कि लग़्व और बेहूदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाये और मिस्कीनों की ख़ुरिश (ख़ुराक वग़ैरा)हो जाये।

हदीस न.5 :– दैलमी व ख़तीब व इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन में मुअ़ल्लक़ (लटका)रहता है जब तक कि सदक़ए फ़ित्र अदा न करे।

मसअला :– सदक़ए फ़ित्र वाजिब है उम्र भर उसका वक़्त है यानी अगर अदा न किया हो तो अब अदा कर दे और न करने से साक़ित न होगा यअ़्नी ख़त्म न होगा, न अब अदा करना क़ज़ा है बल्कि अब भी अदा ही है अगर्चे मसनून (बेहतर)ईद की नमाज़ से पहले अदा करना है।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– सदक़ए फ़ित्र उस शख़्स पर वाजिब है माल पर नहीं लिहाज़ा मर गया तो उसके माल से अदा नहीं किया जायेगा हाँ अगर वुरसा एहसान के तौर पर अपनी तरफ़ से अदा करें तो हो सकता है कुछ उन पर जब्र नहीं और अगर वसीयत कर गया है तो तिहाई माल से ज़रूर अदा किया जायेगा अगर्चे वुरसा इजाज़त न दें। (जौहरा वग़ैरा)

मसअला :– ईद के दिन सुबहे सादिक़ तुलू होते ही सदक़ए फ़ित्र वाजिब होता है लिहाज़ा जो शख़्स सुबहे सादिक़ होने से पहले मर गया या ग़नी था फ़क़ीर हो गया या सुबहे सादिक़ तुलू होने के बअ़्द काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़क़ीर था ग़नी हो गया वाजिब न हुआ और अगर सुबहे सादिक़ तुलू होने के बअ़्द मरा या सुबहे सादिक़ तुलू होने से पहले काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़क़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– सदकए फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद मालिके निसाब पर जिसकी निसाब हाजते असलिया से फ़ारिग़ हो वाजिब है उसमें आकिल बालिग़ और माले नामी (बढ़ने वाले माल) का होना शर्त नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) माले नामी और हाजते असलिया का बयान गुज़र चुका उसकी सूरत वहीं से मअलूम करें।

मसअला :– नाबालिग़ या मजनून (पागल)अगर मालिके निसाब हैं तो उन पर सदकए फ़ित्र वाजिब है उनका वली उनके माल से अदा करे अगर वली ने अदा न किया और नाबालिग़ बालिग़ हो गया या मजनून का जुनून जाता रहा तो अब यह खुद अदा कर दें और अगर यह खुद मालिके निसाब न थे और वली ने अदा न किया तो बालिग़ होने या होश में आने पर उनके ज़िम्मे अदा करना नहीं।

मसअला :– सदकए फ़ित्र अदा करने के लिए माल का बाक़ी रहना भी शर्त नहीं माल हलाक होने के बअद भी सदकए फ़ित्र वाजिब रहेगा साक़ित न होगा। जबकि ज़कात व उश्र यह दोनों माल हलाक हो जाने से साक़ित हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मर्द मालिके निसाब पर अपनी तरफ़ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ़ से वाजिब है जबकि बच्चा खुद मालिके निसाब न हो वरना उसका सदकए फ़ित्र उसी के माल से अदा किया जाये और मजनून औलाद अगर्चे बालिग़ हो जबकि ग़नी न हो तो उसका सदकए फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़नी हो तो खुद उसके माल से अदा किया जाये,जुनून ख़्वाह असली हो यअ्नी उसी हालत में बालिग़ हुआ या बाद को आरिज़ हुआ दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सदकए फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर किसी उज़्र, सफ़र मरज़ या बुढ़ापे की वजह से या मआज़ल्लाह बिला उज़्र रोज़ा न रखा जब भी वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नाबालिग़ लड़की जो इस क़ाबिल है कि शौहर की ख़िदमत कर सके उसका निकाह कर दिया और शौहर के यहाँ उसे भेज भी दिया तो किसी पर उसकी तरफ़ से सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं न शौहर पर न बाप पर और अगर क़ाबिले ख़िदमत नहीं या शौहर के यहाँ उसे भेजा नहीं तो बदस्तूर बाप पर है फिर यह सब उस वक़्त है कि लड़की खुद मालिके निसाब न हो वरना बहर हाल उसका सदकए फ़ित्र उसके माल से अदा किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यअ्नी अपने फ़क़ीर व यतीम पोते पोती की तरफ़ से उसपर सदका देना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– माँ पर अपने छोटे बच्चो की तरफ़ से सदका देना वाजिब नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– ख़िदमत के गुलाम व मुदब्बर (मुदब्बर उस गुलाम को कहते है जिस से मालिक ने कहा कि मेरे मरने के बअद तू आज़ाद है) व उम्मे वलद (वह लौंडी जिससे मालिक का बच्चा पैदा हो जाये)की तरफ़ से उन के मालिक पर सदकए फ़ित्र वाजिब है अगर्चे गुलाम मदयून (क़र्ज़दार)हो अगर्चे दैन में मुस्तग़रक (क़र्ज़ में घिरा हुआ) हो और अगर गुलाम गिरवीं हो और मालिक के पास हाजते असलिया के सिवा इतना हो कि दैन अदा कर दे और फिर निसाब का मालिक रहे तो मालिक पर उसकी तरफ़ से सदकए फ़ित्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– तिजारत के गुलाम का फ़ितरा मालिक पर वाजिब नहीं अगर्चे उसकी क़ीमत ब–क़द्रे निसाब न हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गुलाम आरियतन दे दिया यअ्नी काम–काज करने के लिए मंगनी के तौर पर दे दिया या किसी के पास अमानत के तौर पर रखा तो मालिक पर फ़ितरा वाजिब है और अगर यह वसीयत कर गया कि यह गुलाम फ़लाँ का काम करे और मेरे बअ्द उसका मालिक फ़ुलाँ है तो फ़ितरा मालिक पर है उस पर नहीं जिसके क़ब्ज़े में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– भागा हुआ गुलाम और वह जिसे हर्बी काफ़िरों ने क़ैद कर लिया उनकी तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र मालिक पर नहीं यूँही अगर किसी ने ग़सब कर लिया और ग़ासिब इन्कार करता है और उसके पास गवाह नहीं तो उसका फ़ितरा भी वाजिब नहीं मगर जबकि वापस मिल जाये तो अब उनकी तरफ़ से पिछले साल का फ़ितरा दे मगर हर्बी काफ़िर अगर गुलाम के मालिक हो गये तो वापसी के बाद भी उसका फ़ितरा नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मुकातिब(मुकातिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे मालिक ने यह कहा हो कि इतना रुपया दे दो तो आज़ाद हो जाओगे)का फ़ितरा न मुकातिब पर है न उसके मालिक पर। यूँही मुकातिब और माज़ून के गुलाम का और मुकातिब अगर बदले किताबत अदा करने से आजिज़ आया तो मालिक पर गुज़रे हुए साल का फ़ितरा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों में गुलाम मुश्तरक है (दो हिस्से दार हैं)तो उसका फ़ितरा किसी पर नहीं।

मसअला :– गुलाम बेच डाला और बाए(बेचने वाले)या मुश्तरी(ख़रीदार)या दोनों ने वापसी का इख़्तियार रखा,ईदुल फ़ित्र आ गई और इख़्तियार की मीआद ख़त्म न हुई तो उसका फ़ितरा मौक़ूफ़ है अगर बैअ् (सौदा)क़ाइम रही तो मुश्तरी दे वरना बाए। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर ख़रीदार ने ख़ियारे ऐब या ख़ियारे रुयत के सबब वापस किया तो अगर क़ब्ज़ा कर लिया था तो ख़रीदार पर है वरना बेचने वाले पर। (आलमगीरी)

मसअला :– गुलमा को बेचा मगर वह बैअ् फ़ासिद हुई और ख़रीदार ने क़ब्ज़ा करके वापस कर दिया या ईद के बाद क़ब्ज़ा करके आज़ाद कर दिया तो बेचने वाले पर है और अगर ईद से पहले क़ब्ज़ा किया और ईद के बाद आज़ाद किया तो मुश्तरी पर। (आलमगीरी)

मसअला :– मालिक ने गुलाम से कहा जब ईद का दिन आये तू आज़ाद है ईद के दिन गुलाम आज़ाद हो जायेगा और मालिक पर उसका फ़ितरा वाजिब। (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औरत और औलाद आक़िल, बालिग़ का फ़ितरा उसके ज़िम्मे नहीं अगर्चे अपाहिज हो अगर्चे उसके नफ़क़ात उसके ज़िम्मे हों। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– औरत या बालिग़ औलाद का फ़ितरा उनके बग़ैर इज़्न (इजाज़त) अदा कर दिया तो अदा हो गया बशर्ते कि औलाद उसके इयाल में हो यअ्नी उसका नफ़्क़ा वग़ैरा उसके ज़िम्मे हो वरना औलाद की तरफ़ से बिला इज़्न अदा न होगा और औरत ने अगर शौहर का फ़ितरा बग़ैर हुक्म अदा कर दिया अदा न हुआ। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– माँ–बाप,दादा–दादी नाबालिग़ भाई और दूसरे रिश्तेदारों का फ़ितरा इसके ज़िम्मे नहीं और बग़ैर हुक्म अदा भी नहीं कर सकता (आलमगीरी,जौहरा)

मसअला :– सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार यह है :– गुहूँ या उसका आटा या सत्तू निस्फ़ साअ् (2 किलो 45 ग्राम) खजूर या मुनक़्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तू एक साअ्। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– गेहूँ जौ,खजूरें ,मुनक्का दिये जायें तो उनकी क़ीमत का एअतिबार नहीं मसलन निस्फ़ साअ् उम्दा जौ जिनकी क़ीमत एक साअ् गेहूँ के बराबर है या निस्फ़ साअ् खजूरें दी जो एक साअ् जौ या निस्फ़ साअ् गेहूँ की क़ीमत की हों यह सब नाजाइज़ है जितना दिया उतना ही अदा हुआ बाक़ी उसके ज़िम्मे बाक़ी है अदा करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– निस्फ़ साअ् जौ और चहारूम साअ् गेहूँ दिए या निस्फ़ साअ् जौ और निस्फ़ साअ् खजूर तो भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– गेहूँ और जौ मिले हुए हों और गेहूँ ज़्यादा हैं तो निस्फ़ साअ् दे वर्ना एक साअ्।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गेहूँ और जौ के देने से उनका आटा देना अफ़ज़ल है और उससे अफ़ज़ल यह है कि क़ीमत दे दे ख़्वाह गेहूँ की क़ीमत दे या जौ की या खजूर की मगर गिरानी (मँहगाई)में खुद उनका देना क़ीमत देने से अफ़ज़ल है और अगर ख़राब गेहूँ या जौ की क़ीमत दी तो अच्छे की क़ीमत से जो कमी पड़े पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इन चार चीज़ों के अलावा अगर दूसरी चीज़ों से फ़ित्रा अदा करना चाहे मसलन चावल, ज्वार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिहाज़ करना होगा यअ्नी वह चीज़ आधे साअ् गेहूँ या एक साअ् जौ की क़ीमत की हो यहाँ तक कि रोटी दें तो उसमें भी क़ीमत का लिहाज़ किया जायेगा अगर्चे गेहूँ या जौ की हो।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– आला दर्जे की तहक़ीक़ और एहतियात यह है कि साअ् का वज़न तीन सौ इक्यावन रूपये भर है और निस्फ़ साअ् एक सौ पछत्तर रूपये और अठन्नी भर ऊपर। (फ़तावा रज़विया)

नोट :– आज के वज़न के हिसाब से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या 4 किलो 90 ग्राम जौ है।(क़ादरी)

मसअला :– फ़ित्रे का मुक़द्दम करना (यानी वाजिब होने से पहले पेशगी दे देना) मुतलक़न जाइज़ है जब कि वह शख़्स मौजूद हो जिसकी तरफ़ से अदा करता हो अगर्चे रमज़ान से पहले अदा कर दे और अगर फ़ित्रा अदा करते वक़्त मालिके निसाब न था फिर हो गया तो फ़ित्रा सही है और बेहतर यह है कि ईद की सुबहे सादिक़ होने के बअ्द और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स का फ़ित्रा एक मिस्कीन को देना बेहतर है और चन्द मिस्कीनों को दे दिया जब भी जाइज़ है यूँ ही एक मिस्कीन को चन्द शख़्सों का फ़ित्रा देना भी बिला ख़िलाफ़ जाइज़ है अगर्चे सब फ़ित्रे मिले हुए हों। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने औरत को अपना फ़ित्रा अदा करने का हुक्म दिया उसने शौहर के फ़ित्रे के गेहूँ अपने फ़ित्रे के गेहूँ में मिला कर फ़क़ीर को दे दिए और शौहर ने मिलाने का हुक्म न दिया था तो औरत का फ़ित्रा अदा हो गया शौहर का नहीं मगर जबकि मिला देने पर उ़र्फ़ जारी हो यअ्नी ऐसा होता रहता हो तो शौहर का भी अदा हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने शौहर को अपना फ़ित्रा अदा करने का इज़्न (इजाज़त) दिया उसने औरत के गेहूँ अपने गेहूँ में मिलाकर सब की नियत से फ़क़ीर को दे दिये जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– सदक़ए फ़ित्र,के मसारिफ़ (ख़र्च करने के क़ाबिल) वही हैं जो ज़कात के हैं यअ्नी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ित्रा भी दे सकते हैं और जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते उन्हें फ़ित्रा भी नहीं दे सकते सिवा आ़मिल (जो ज़कात लेने के लिए बादशाह की तरफ़ से मुक़र्रर किया जाये) के कि उसके लिए ज़कात है फ़ित्रा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अपने ग़ुलाम की औरत को फ़ित्रा दे सकते हैं अगर्चे उसका नफ़्क़ा उसी पर हो। (दुर्रे मुख़्तार)

सवाल किसे हलाल है और किसे नहीं

अज कल एक आम बला यह फैली हुई हैं कि अच्छे ख़ासे तन्दरूस्त चाहें तो कमा कर औरों को खिलायें मगर उन्होंने अपने वुजूद को बेकार क़रार दे रखा है, कौन मेहनत करे मुसीबत झेले,बिना मेहनत के कुछ मिल जाये तो तकलीफ़ क्यूँ बर्दाश्त करे नाजाइज़ तौर पर सवाल करते और भीक माँग कर पेट भरते हैं और बहुतेरे ऐसे हैं कि मज़दूरी तो मज़दूरी छोटी मोटी तिजारत को बुरा ख़्याल करते हैं और भीक माँगना कि हक़ीक़तन ऐसों के लिए बेइज़्ज़ती व बेग़ैरती है मायए इज़्ज़त यअ्नी इज़्ज़त की दौलत जानते हैं और बहुतों ने तो भीक माँगना अपना पेशा ही बना रखा है। घर में हज़ारों रुपये हैं सूद का लेन–देन करते हैं खेती वग़ैरा करते हैं मगर भीक माँगना नहीं छोड़ते, उन से कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि यह हमारा पेशा है वाह साहब वाह क्या हम अपना पेशा छोड़ दें, हालाँकि ऐसों को सवाल हराम है और जिसे उनकी हालत मअ्लूम हो उसे जाइज़ नहीं कि उनको दे। अब चन्द हदीसें सुनिये देखिए कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे साइलों (माँगने वालों) के बारे में क्या फ़रमाते हैं।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। आदमी सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा न होगा यअ्नी निहायत बेआबरू हो कर।

हदीस न.2 से 4 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान समुरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सवाल एक क़िस्म की ख़राश है कि आदमी सवाल करके अपने मुँह को नोचता है जो चाहे अपने मुँह की उस ख़राश को बाक़ी रखे और जो चाहे छोड़ दे हाँ अगर आदमी साहिबे सल्तनत(बादशाह)से अपना हक़ माँगे या किसी काम में सवाल करे कि उससे छुटकारा न हो तो जाइज़ है और इसी के मिस्ल इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर और तबरानी ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.5 :– बैहक़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स लोगों से सवाल करे हालाँकि न उसे फ़ाक़ा पहुँचा न इतने बाल–बच्चे हैं जिनकी ताक़त नहीं रखता तो क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसके मुँह पर गोश्त न होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस पर न फ़ाक़ा गुज़रा और न इतने बाल–बच्चें हैं जिनकी ताक़त नहीं और सवाल का दरवाज़ा खोले अल्लाह तआला उस पर फ़ाक़े का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उसके ख़्याल में भी नहीं।

हदीस न.7 :– नसई ने आइज़ इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर लोगों को मालूम होता कि सवाल करने से क्या

है तो कोई किसी के पास सवाल करने न जाता। इसी के मिस्ल तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.8,9 :– इमाम अहमद व तबरानी व बज़्ज़ार इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ग़नी का सवाल करना क़ियामत के दिन उसके चेहरे में ऐब होगा और बज़्ज़ार की रिवायत में यह भी है कि ग़नी का सवाल आग है अगर थोड़ा दिया गया तो थोड़ी और ज़्यादा दिया तो ज़्यादा और इसी के मिस्ल इमाम अहमद व बज़्ज़ार व तबरानी ने सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.10 :– तबरानी कबीर में और इब्ने खुज़ैमा अपनी सही में और तिर्मिज़ी व बैहक़ी हबशी इब्ने जनादह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स बग़ैर हाजत सवाल करता है गोया वह अंगारा खाता है।

हदीस न.11 :– मुस्लिम व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं हुज़ूरे अक़दस सल्ल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो माल बढ़ाने के लिये सवाल करता है वह अंगारे का सवाल करता है तो चाहे ज़्यादा माँगे या कम का सवाल करे।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व इब्ने हब्बान व इब्ने खुज़ैमा सहल इब्ने हन्ज़लिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स सवाल करे और उसके पास इतना है जो उसे बे–परवाह करे वह आग की ज़्यादती चाहता है। लोगों ने अर्ज़ की वह क्या मिक़दार है जिसके होते सवाल जाइज़ नहीं। फ़रमाया सुबह व शाम का खाना।

हदीस न.13 :– इब्ने हब्बान अपनी सही में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़े अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स लोगों से सवाल करे इसलिए कि अपने माल को बढ़ाये तो वह जहन्नम का गर्म पत्थर है अब उसे इख़्तियार है चाहे थोड़ा माँगे या ज़्यादा तलब करे।

हदीस न.14 से 15 :– इमाम अहमद व अबू यअ्ला व बज़्ज़ाज़ ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ और तबरानी ने सग़ीर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सदक़े से माल कम नहीं होता और हक़ माफ़ करने से क़ियामत के दिन अल्लाह तआला बन्दे की इज़्ज़त बढ़ायेगा और बन्दा सवाल का दरवाज़ा न खोलेगा मगर अल्लाह तआला उस पर मुहताजी का दरवाज़ा खोलेगा।

हदीस न.16 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई कुबैसा इब्ने मख़ारिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मुझ पर एक मरतबा तावान लाज़िम आया मैंने हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर सवाल किया। फ़रमाया ठहरो हमारे पास सदक़े का माल आयेगा तुम्हारे लिए हुक्म फ़रमायेंगे फिर फ़रमाया ऐ कुबैसा सवाल हलाल नहीं मगर तीन बातों में किसी ने ज़मानत की हो यअ्नी किसी क़ौम की तरफ़ से दियत (क़त्ल के बदले जो जुर्माना दिया जाये वह दियत कहलाता है)का ज़ामिन हुआ या आपस की जंग में सुलह कराई और उस पर किसी माल का ज़ामिन हुआ तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि वह मिक़दार पाये यअ्नी इतना रुपया पाये जितना ज़मानत में देना है फिर बाज़ रहे या किसी शख़्स पर आफ़त आई कि उसके माल को

तबाह कर दिया तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि बसर औक़ात(गुज़र–बसर)के लिए पा जाये या किसी को फ़ाक़ा पहुँचा और उसकी क़ौम के तीन अक़्लमन्द शख़्स गवाही दें कि फ़ुलाँ को फ़ाक़ा पहुँचा है तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि बसर औक़ात के लिए हासिल कर ले और इन तीन बातों के सिवा ऐ क़ुबैसा सवाल करना हराम है कि सवाल करने वाला हराम खाता है

नोट :– तीन शख़्सों की गवाही जुम्हूर के नज़दीक मुस्तहब है और यह हुक्म उस शख़्स के लिए है जिसका मालदार होना मालूम व मशहूर है तो बग़ैर गवाह उसका क़ौल मुसल्लम नहीं और जिसका मालदार होना मअ़लूम न हो तो फ़क़त उसका कह देना काफ़ी है।

हदीस न.17,18 :– इमाम बुख़ारी व इब्ने माजा ज़ुबैर इब्ने अ़व्वाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शख़्स रस्सी लेकर जाये और अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाकर बेचे और सवाल की ज़िल्लत से अल्लाह तआ़ला उसके चेहरे को बचाये यह उससे बेहतर है कि लोगों से सवाल करे कि लोग उसे दें या न दें इसी के मिस्ल इमाम बुख़ारी व मुस्लिम व इमाम तिर्मिज़ी व नसई ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.19 :– इमामे मालिक व बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे सदक़े का और सवाल से बचने का ज़िक्र फ़रमा रहे थे यह फ़रमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला है और नीचे वाला माँगने वाला।

हदीस न.20 :– इमामे मालिक व बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिजी व नसई अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि अन्सार में से कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया फिर माँगा हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया फ़िर माँगा हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया यहाँ तक कि वह माल जो हुज़ूर के पास था ख़त्म हो गया फिर फ़रमाया जो कुछ मेरे पास माल होगा उसे मैं तुम से उठा न रखूँगा और जो सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे बचायेगा और जो ग़नी बनना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे ग़नी कर देगा और जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे सब्र देगा और सब्र से बढ़कर और इससे ज़्यादा वसीअ़ अ़ता किसी को न मिली।

हदीस न.21 :– हज़रते अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़्ज़म उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि लालच मुहताजी है और नाउम्मीदी तवंगरी, आदमी जब किसी चीज़ से नाउम्मीद हो जाता है तो उसकी परवाह नहीं रहती।

हदीस न.22 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम फ़ारूक़े अअ़्ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुझे अ़ता फ़रमाते तो मैं अ़र्ज़ करता किसी ऐसे को दीजिए जो मुझसे ज़्यादा हाजतमन्द हो। इरशाद फ़रमाया इसे लो और अपना कर लो और ख़ैरात कर दो जो माल तुम्हारे पास बिना लालच के और बे–माँगे आ जाये उसे ले लो और जो न आये तो उसके पीछे अपने नफ़्स को न डालो।

हदीस न.23 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक अन्सारी ने ख़िदमते

अक्दस में हाज़िर होकर सवाल किया। इरशाद फ़रमाया क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं हैं। अर्ज़ की है तो एक टाट है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते है और एक हिस्सा बिछाते हैं और एक लकड़ी का प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। इरशाद फ़रमाया मेरे हुज़ूर दोनों चीज़ों को हाज़िर करो। वह हाज़िर लाये। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में लेकर इरशाद फ़रमाया इन्हें कौन ख़रीदता है। एक साहब नें अ़र्ज़ की एक दिरहम के एवज़ में ख़रीदता हूँ । इरशाद फ़रमाया एक दिरहम से ज़्यादा कौन देता है दो या तीन बार फ़रमाया । किसी और साहब ने अ़र्ज़ की मैं दो दिरहम प्र लेता हूँ। उन्हें यह दोनों चीज़ें दे दीं और दो दिरहम ले लिए और अन्सारी को दोनों दिरहम देकर इरशाद फ़रमाया एक का ग़ल्ला ख़रीदकर घर डाल आओ और एक की कुल्हाड़ी ख़रीदकर मेरे पास लाओ। वह हाज़िर लाये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उस में बेंट डाला और फ़रमाया जाओ लकड़ी काटो और बेचो और पन्द्रह दिन तक तुम्हें न देखूँ (यअ़नी इतने दिनों तक यहाँ हाज़िर न होना)वह गये लकड़ियाँ काट कर बेचते रहे अब हाज़िर हुए तो उनके पास दस दिरहम थे,चन्द दिरहम का कपड़ा ख़रीदा और चन्द का ग़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया यह उससे बेहतर है कि क़ियामत के दिन सवाल तुम्हारे मुँह पर छाला होकर ज़ाहिर होता। सवाल दुरुस्त नहीं मगर तीन शख़्स के लिए ऐसी मुहताजी वाले के लिए जो उसे ज़मीन पर लिटा दे या तावान वाले के लिए जो रुसवा कर दे या खून वाले (दियत यअ़नी खून के बदले का जुर्माना देने)के लिए जो उसे तकलीफ़ पहुँचाये।

हदीस न.24,25 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे फ़ाक़ा पहुँचा और उसने लोगों के सामने बयान किया तो उसका फाक़ा बन्द न किया जायेगा और अगर उसने अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ की तो अल्लाह तआ़ला जल्द उसे बे–नियाज़ कर देगा ख़्वाह वह जल्द मौत दे या जल्द मालदार कर दे और तबरानी की रिवायत अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो भूका या मुहताज हो और उसने आदमियों से छुपाया और अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर अ़र्ज़ की तो अल्लाह तआ़ला पर हक़ है कि एक साल की हलाल रोज़ी उस पर कुशादा फ़रमाये। बाज़ माँगने वाले कह दिया करते हैं कि अल्लाह के लिए दो! ख़ुदा के वास्ते दो! हालाँकि इसकी बहुत सख़्त मनाही आई है,एक हदीस में उसे मलऊ़न फ़रमाया गया है और एक हदीस में बदतरीन ख़लाइक़,और अगर किसी ने इस तरह सवाल किया तो जब तक बुरी बात का सवाल न हो या खुद सवाल बुरा न हो जैसे मालदार या ऐसे शख़्स का भीक माँगना जो क़वी तन्दुरुस्त,कमाने पर क़ादिर हो और यह सवाल को बिला दिक़्क़त पूरा कर सकता है तो पूरा करना ही अदब है कि कहीं ब–रूए ज़ाहिर यअ़नी हदीस के ज़ाहिरी मअ़ना के एअ़्तिबार से यह भी उसी वईद का मुस्तहक़ न हो ,हाँ अगर साइल मालदार हो तो न दे नीज़ यह भी लिहाज़ रहे कि मस्जिद में सवाल न करे ख़ुसूसन जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फ़लाँग कर कि यह हराम है बल्कि बाज़ उ़लमा फ़रमाते हैं कि मस्जिद के साइल को अगर एक पैसा दिया तो सत्तर पैसे और ख़ैरात करे कि उस एक पैसे का कफ़्फ़ारा हो। मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक शख़्स को अ़र्फ़े के दिन अ़रफ़ात में सवाल करते देखा उसे दुर्रे लगाये और फ़रमाया कि इस दिन में और ऐसी जगह ग़ैरे ख़ुदा से

सवाल करता है? इन चन्द अहादीस के देखने से मअ्लूम हुआ होगा कि भीक माँगना बहुत ज़िल्लत की बात है बग़ैर ज़रूरत सवाल न करे अगर हाजत ही पड़ जाये तो मुबालग़ा हरगिज़ न करे कि बे–लिये पीछा न छोड़े कि इसकी भी मनाही आई है।

सदकाते नफ़्ल का बयान

अल्लाह तआ़ला की राह में देना निहायत अच्छा काम है। माल से तुम को फ़ायदा न पहुँचा तो तुम्हारे क्या काम आया और अपने काम का वही है जो खा–पहन लिया या आख़िरत के लिए किया न वह कि जमा किया और दूसरों के लिए छोड़ गये। इसके फ़ज़ाइल में चन्द हदीसें सुनें और उन पर अ़मल कीजिए अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ देने वाला है।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बन्दा कहता है मेरा माल है, मेरा माल है और उसे तो उसके माल से तीन ही क़िस्म का फ़ायदा है जो खाकर फ़ना कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया या अ़ता करके आख़िरत के लिए जमा किया और उसके सिवा जाने वाला है कि औरों के लिए छोड़ जायेगा।

हदीस न. 2 :– बुख़ारी व नसई इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तुम में कौन है कि उसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हम में कोई ऐसा नहीं जिसे अपना माल ज़्यादा महबूब न हो। फ़रमाया अपना माल तो वह है जो आगे रवाना कर चुका और जो पीछे छोड़ गया वह वारिस का माल है।

हदीस न. 3 :– इमाम बुख़ारी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर मेरे पास उहुद(अ़रब के एक पहाड़ का नाम)बराबर सोना हो तो मुझे यही पसन्द आता है कि तीन रातें न गुज़रने पायें और उसमें का मेरे पास कुछ रह जाये हाँ अगर मुझ पर दैन (क़र्ज़)हो तो उसके लिए कुछ रख लूँगा।

हदीस न. 4,5 :– सही मुस्लिम में उन्हीं से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई दिन ऐसा नहीं कि सुबह होती है मगर दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और उनमें एक कहता है ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को बदला दे और दूसरा कहता है ऐ अल्लाह ! रोकने वाले के माल को तल्फ़ (बरबाद)कर और इसी के मिस्ल इमाम अहमद व इब्ने हब्बान व हाकिम ने अबूदरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.6 :– सहीहैन में है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने असमा रदि–यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से फ़रमाया ख़र्च कर और शुमार न कर कि अल्लाह तआ़ला शुमार करके देगा और बन्द न कर कि अल्लाह तआ़ला भी तुझ पर बन्द कर देगा कुछ दे जो तुझे इस्तिताअ़त हो।

हदीस न.7 :– नीज़ सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया ऐ इब्ने आदम! ख़र्च कर मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा।

हदीस न.8 :– सही मुस्लिम व सुनने तिर्मिज़ी में अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ इब्ने आदम! बचे हुए का ख़र्च करना तेरे लिए बेहतर है और उसका रोकना तेरे लिए बुरा है और ब–क़द्र ज़रूरत रोकने पर मलामत(बुराई)नहीं और उनसे शुरूअ् कर जो तेरी परवरिश में हैं।

हदीस न.9 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बख़ील(कंजूस)और सदक़ा देने वाले की मिसाल उन दो शख़्सों की है जो लोहे की ज़िरह पहने हुए हैं जिन के हाथ सीने और गले से जकड़े हुए हैं तो सदक़ा देने वाले ने जब सदक़ा दिया वह ज़िरह कुशादा हो गई(फैल गई)और बख़ील (कंजूस)जब सदक़ा देने का इरादा करता है हर कड़ी अपनी जगह को पकड़ लेती है वह कुशादा करना भी चाहता है तो कुशादा नहीं होती।

हदीस न.10 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़ुल्म से बचो कि ज़ुल्म कियामत के दिन तारीकियाँ है और बुख़्ल (कंजूसी)से बचो कि बुख़्ल ने अगलों को हलाक किया । इसी बुख़्ल ने उन्हें ख़ून बहाने और हराम को हलाल करने पर आमादा किया।

हदीस न.11 :– नीज़ उसी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह!किस सदक़े का ज़्यादा अज्र है ? फ़रमाया उसका कि सेहत की हालत में हो और लालच हो मुहताजी का डर हो और तवंगरी (मालदारी)की आरज़ू यह नहीं कि छोड़े रहे और जब जान गले को आ जाये तो कहे इतना फ़ुलाँ को और इतना फ़ुलाँ को देना और यह तो फ़ुलाँ का हो चुका है यअ्नी वारिस का।

हदीस न.12 :– सहीहैन में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर काबए मुअज़्ज़मा के साए में तशरीफ़ फ़रमा थे मुझे देख कर फ़रमाया क़सम है रब्बे कअ्बा की वह टोटे (घाटे)में है। मैंने अर्ज़ की मेरे बाप माँ हुज़ूर पर कुर्बान वह कौन लोग हैं। फ़रमाया ज़्यादा माल वाले मगर जो इस तरह और इस तरह और इस तरह करे आगे पीछे दाहिने बायें यानी हर मौक़े पर ख़र्च करे और ऐसे लोग बहुत कम हैं।

हदीस न.13 :– सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सख़ी क़रीब है अल्लाह से,क़रबी है जन्नत से, क़रीब है आदमियों से, दूर है जहन्नम से, और बख़ील दूर है अल्लाह से, दूर है जन्नत से,दूर है आदमियों से ,क़रीब है जहन्नम से,और जाहिल सख़ी अल्लाह के नज़्दीक ज़्यादा प्यारा है बख़ील आबिद से।

हदीस न.14 :– सुनने अबू दाऊद में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी का अपनी ज़िन्दगी (यअ्नी सेहत)में एक दिरहम सदक़ा करना मरते वक़्त के सौ दिरहम सदक़ा करने से ज़्यादा बेहतर है।

हदीस न.15 :– इमाम अहमद व नसई व दारमी व तिर्मिज़ी अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मरते वक़्त सदक़ा देता है या आज़ाद करता है उसकी मिसाल उस शख़्स की है कि जब आसूदा हो लिया तो हदया करता है। (मसलन किसी के पास पाँच रोटी थीं और उससे किसी ने सदक़ा माँगा उसने न दी अगर दो

दे देता और तीन पर गुज़ारा करता तो बेहतर था लेकिन चार खाईं और जब एक या कम जो पेट में जगह रहने से मजबूरन बची तो माँगने वाले को दे दी।)

हदीस न.16 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक शख़्स जंगल में था उसने अब्र में एक आवाज़ सुनी कि फुलाँ के बाग़ को सैराब करो वह अब्र एक किनारे को हो गया और उसने पानी संगिस्तान(पथरीली ज़मीन)में गिराया और एक नाली ने वह सारा पानी ले लिया वह शख़्स पानी के पीछे हो लिया, एक शख़्स को देखा कि अपने बाग़ में खड़ा हुआ खुरपिया से पानी फेर रहा है। इसने कहा ऐ अल्लाह के बन्दे! तेरा क्या नाम है? उसने कहा फ़ुलाँ नाम,वही नाम जो इसने अब्र में से सुना। उसने कहा ऐ अल्लाह के बन्दे। तू मेरा नाम क्यूँ पूछता है? इसने कहा मैंने उस अब्र में से जिस का यह पानी है एक आवाज़ सुनी कि वह तेरा नाम लेकर कहता है फ़ुलाँ के बाग़ को सैराब कर तो तू क्या करता है (कि तेरा नाम ले लेकर पानी भेजा जाता है) जवाब दिया कि जो कुछ पैदा होता है उसमें से एक तिहाई ख़ैरात करता हूँ और एक तिहाई मैं और मेरे बाल–बच्चे खाते हैं और एक तिहाई बोने के लिये रखता हूँ।

हदीस न.17 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बनी इस्राईल में तीन शख़्स थे एक बर्स़ (सफ़ेद दाग़) वाला, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह तआ़ला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा,उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। वह फ़रिश्ता बर्स़ वाले के पास आया। उससे पूछा तुझे क्या चीज़ ज़्यादा महबूब है। उसने कहा अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और यह बात जाती रहे जिससे लोग घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा वह घिन की चीज़ जाती रही और अच्छा रंग और अच्छी खाल उसे दी गई। फ़रिश्ते ने कहा तुझे कौन सा माल ज़्यादा महबूब है। उसने ऊँट कहा या गाय (रावी का शक है मगर बर्स़ वाले और गंजे में से एक ने ऊँट कहा दूसरे ने गाय)उसे दस महीने की हामिला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह तआ़ला तेरे लिए इसमें बरकत दे फिर गंजे के पास आया। उसे कहा तुझे क्या शय ज़्यादा महबूब है। उसने कहा खुबसूरत बाल और यह जाता रहे जिससे लोग मुझ से घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा वह बात जाती रही और खूबसूरत बाल उसे दिये गये। उससे कहा तुझे कौन सा माल महबूब है। उसने गाय बताई। एक गाभन गाय उसे दी गई और कहा अल्लाह तआ़ला तेरे लिए इसमें बरकत दे फिर अन्धे के पास आया और कहा तुझे क्या चीज़ महबूब है। उसने कहा यह कि अल्लाह तआ़ला मेरी निगाह वापस कर दे कि मैं लोगों को देखूँ। फ़रिश्ते ने हाथ फेरा अल्लाह तआ़ला ने उसकी निगाह वापस कर दी। फ़रिश्ते ने पूछा तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसन्द है। उसने कहा बकरी। उसे एक गाभन बकरी दी। अब ऊँटों से जंगल भर गया,दूसरे के लिए गाय से, तीसरे के लिए बकरियों से। फिर वही फ़रिश्ता बर्स़ वाले के पास उसकी सूरत और हैअ्त (बनावट)में होकर आया (यअ्नी बर्स़ वाला बनकर)और कहा मैं मिस्कीन मर्द हूँ मेरे सफ़र में वसाइल ख़त्म हो गये पहुँचने की सूरत मेरे लिए आज नज़र नहीं आती अल्लाह की मदद से फिर तेरी मदद से मैं उसके वास्ते से जिसने तुझे खूबसूरत रंग और अच्छा चमड़ा और माल दिया है एक ऊँट का सवाल करता हूँ। जिससे मैं सफ़र में मक़सद तक पहुँच जाऊँ,। उसने जवाब दिया हुकूक़ बहुत हैं। फ़रिश्ते ने कहा गोया मैं तुझे पहचानता हूँ, क्या तू कोढ़ी न था कि लोग तुझसे घिन करते थे फ़क़ीर न था फिर अल्लाह ने तुझे माल दिया। उस ने कहा मैं तो इस माल

का बाप–दादा से वारिस किया गया हूँ । फ़रिश्ते ने कहा अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआ़ला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। फिर गन्जे के पास उसी की सूरत बन कर आया। उससे भी वही कहा। उसने भी वैसा ही जवाब दिया । फ़रिश्ते ने कहा अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआ़ला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। फिर अन्धे के पास उसकी सूरत व हैयत बन कर आया और कहा मैं मिस्कीन शख़्स मुसाफ़िर हूँ मेरे सफ़र में वसाइल ख़त्म हो गये आज पहुँचने की सूरत नहीं मगर अल्लाह की मदद से फिर तेरी मदद से मैं उसके वसीले से जिसने तुझे निगाह दी एक बकरी का सवाल करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने सफ़र में मक़सद तक पहुँच जाऊँ। वह कहने लगा मैं अन्धा था अल्लाह तआ़ला ने मुझे आँखें दीं तू जो चाहे ले ले और जितना चाहे छोड़ दे ख़ुदा की क़सम अल्लाह के लिए तू जो कुछ लेगा मैं तुझ पर मशक़्क़त न डालूँगा। फ़रिश्ते ने कहा तू अपना माल अपने कब्ज़े में रख,बात यह है कि तुम तीनों शख़्सों का इम्तिहान था तेरे लिए अल्लाह की रज़ा है और उन दोनों पर नाराज़गी।

हदीस न.18 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी उम्मे बुजैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कहती हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह!मिस्कीन दरवाज़े पर खड़ा होता हैं और मुझे शर्म आती है कि घर में कुछ नहीं होता कि उसे दूँ। इरशाद फ़रमाया उसे कुछ दे दे अगर्चे जला हुआ खुर।

हदीस न.19 :–बैहक़ी ने दलाइले नुबुव्वत में रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा की ख़िदमत में गोश्त का टुकड़ा हदया में आया। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को गोश्त पसन्द था उन्होंने ख़ादिमा से कहा इसे घर में रख दे शायद हुज़ूर तनावुल फ़रमायें। उस ने ताक़ में रख दिया एक साइल आकर दरवाज़े पर खड़ा हुआ और कहा सदक़ा करो अल्लाह तआ़ला तुम में बरकत देगा। लोगों ने कहा तुझमें बरकत दे (साइल को वापस करना होता तो यह लफ़्ज़ बोलते थे)साइल चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया तुम्हारे यहाँ कुछ खाने की चीज़ है। उम्मुल मोमिनीन ने अ़र्ज़ की हाँ और ख़ादिमा से फ़रमाया जा वह गोश्त ले आ। वह गई तो ताक़ में पत्थर का एक टुकड़ा पाया। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया चूँकि तुमने साइल को न दिया लिहाज़ा वह गोश्त पत्थर हो गया।

हदीस न.20 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सख़ावत जन्नत में एक दरख़्त है जो सख़ी है उसने उसकी टहनी पकड़ ली है वह टहनी उसको न छोड़ेगी जब तक जन्नत में दाख़िल न कर ले और बुख़्ल जहन्नम में एक दरख़्त है जो बख़ील है उसने उसकी टहनी पकड़ ली है वह टहनी उसे जहन्नम में दाख़िल किए बग़ैर न छोड़ेगी।

हदीस न.21 :– रज़ीन ने हज़रते मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सदक़ा में जल्दी करो कि बला सदक़े को नहीं फलाँगती।

हदीस न.22 :– सहीहैन में अबू मुसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है हर मुसलमान पर सदक़ा है। लोगों ने अ़र्ज़ की अगर न पाये। फ़रमाया अपने हाथ से काम करे अपने को नफ़ा पहुँचाये और सदक़ा भी दे। फ़रमाया साहिबे हाजत परेशान (यानी जिस शख़्स को कुछ ज़रूरत हो या परेशान हो)की मदद करे। अ़र्ज़ की अगर यह भी न करे। फ़रमाया नेकी का हुक्म करे। अ़र्ज़ की अगर यह भी न करे। फ़रमाया शर

से बाज़ रहे कि यही उसके लिए सदक़ा है।

हदीस न.23 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं दो शख़्सों में अद्ल(इन्साफ़)करना सदक़ा है, किसी को जानवर पर सवार होने में मदद देना या उसका असबाब उठा देना सदक़ा है और अच्छी बात सदक़ा है और जो क़दम नमाज़ की तरफ़ चलेगा सदक़ा है,रास्ते से अज़ीयत की चीज़ दूर करना सदक़ा है।

हदीस न.24 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान पेड़ लगाये या खेत बोये उसमें से किसी आदमी या परिन्दे या चौपाए ने खाया वह सब उसके लिए सदक़ा है।

हदीस न. 25, 26 :–सुनने तिर्मिज़ी में अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदक़ा है,नेक बात का हुक्म करना सदक़ा है, बुरी बात से मना करना सदक़ा है,राह भूले हुए को राह बताना सदक़ा है,कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना सदक़ा है। रास्ते से पत्थर काँटा, हड्डी दूर करना सदक़ा है। अपने डोल में से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना सदक़ा है। इसी के मिस्ल इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.27 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक दरख़्त की शाख़ बीच रास्ते पर थी एक शख़्स गया और कहा मैं इसको मुसलमानों के रास्ते से दूर कर दुँगा कि उनको ईज़ा(तकलीफ़)न दे वह जन्नत में दाख़िल कर दिया गया।

हदीस न.28 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान नंगे को कपड़ा पहना दे अल्लाह तआला उसे जन्नत के सब्ज़ कपड़े पहनायेगा और जो मुसलमान किसी भूके मुसलमान को खाना खिलायेगा और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाये अल्लाह तआला उसे रहीक़े मख़तूम (यअ़नी जन्नत की मोहरबन्द शराब)पिलायेगा।

हदीस न.29 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो जब तक उसमें का उस शख़्स पर एक पैवन्द भी रहेगा यह अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त में रहेगा।

हदीस न.30,31 :– तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सदक़ा अल्लाह तआला के ग़ज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। नीज़ इसी के मिस्ल अबूबक सिद्दीक़ व दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.32 :– तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की लोगों ने एक बकरी ज़बह की थी,हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया उसमें से क्या बाक़ी रहा। अर्ज़ की सिवा शाने के कुछ बाक़ी नहीं। इरशाद फ़रमाया शाने के सिवा सब बाक़ी है। (मतलब यह है कि जो तुमने अपने खाने के लिए रोका वह तो दुनिया का है

और यहीं ख़त्म हो जायेगा और जो तुमने सदका कर दिया वह बाक़ी है यअ़नी आखिरत के लिए उसका सवाब बाक़ी रहा)

हदीस न.33 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तीन शख्सों को अल्लाह महबूब रखता है और तीन शख्सों को मबगूज़ (दुश्मन)जिनको अल्लाह महबूब रखता है उनमें एक यह है कि एक शख्स किसी क़ौम के पास आया और उनसे अल्लाह के नाम पर सवाल किया,उस क़राबत के वास्ते से सवाल न किया जो साइल और क़ौम के दरमियान है। उन्होंने न दिया। उनमें से एक शख्स चला गया और साइल को छुपा कर दिया कि उसको अल्लाह जानता है और वह शख्स जिसको दिया और किसी ने न जाना, और एक क़ौम रात भर चली यहाँ तक कि जब उन्हें नींद हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो गई सब ने सर रख दिये(यअ़नी सो गये)उनमें से एक शख़्स खड़ा होकर दुआ करने लगा और अल्लाह की आयतें पढ़ने लगा और एक शख़्स लश्कर में था, दुश्मन से मुक़ाबला हुआ और इन को शिकस्त हुई। उस शख़्स ने अपना सीना आगे कर दिया यहाँ तक कि क़त्ल किया जाये या फ़तह हो और वह तीन जिन्हें अल्लाह नापसन्द फ़रमाता है एक बूढ़ा ज़िनाकार, दूसरा फ़क़ीर मुतकब्बिर(घमंडी)तीसरा मालदार ज़ालिम।

हदीस न.34 :– तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब अल्लाह ने ज़मीन पैदा फ़रमाई तो उसने हिलना शुरूअ़ किया तो पहाड़ पैदा फ़रमा कर उस पर नसब फ़रमा दिये,अब ज़मीन ठहर गई। फ़रिश्तों को पहाड़ की सख़्ती देखकर तअ़ज्जुब हुआ। अर्ज़ की ऐ परवरदिगार तेरी मख़लूक़ में कोई ऐसी शय है कि वह पहाड़ से ज़्यादा सख़्त है फ़रमाया हाँ लोहा। अर्ज़ की ऐ रब! लोहे से ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ है। फ़रमाया हाँ आग। अर्ज़ की आग भी ज़्यादा कोई सख़्त है फ़रमाया हाँ पानी। अर्ज़ की पानी से भी ज़्यादा सख़्त कुछ है। फ़रमाया हाँ हवा । अर्ज़ की हवा से भी ज़्यादा सख़्त कोई शय है। फ़रमाया इब्ने आदम कि दाहिने हाथ से सदक़ा करता है और उसे बायें से छुपाता है।

हदीस न.35 :– नसई ने अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अपने कुल माल से अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करे जन्नत के दरबान उसका इस्तिक़बाल करेंगे। हर एक उसे उसकी तरफ़ बुलायेगा जो उसके पास है। मैंने अर्ज़ की इसकी क्या सूरत है। फ़रमाया अगर ऊँट दे तो दो ऊँट और गाय दे तो दो गाय।

हदीस न.36 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सदक़ा ख़ता को ऐसे दूर करता है जैसे पानी आग को बुझाता है।

हदीस न.37 :– इमाम अहमद बाज़ सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान का साया क़ियामत के दिन उसका सदक़ा होगा।

हदीस न.38 :–सही बुख़ारी में अबू हुरैरा व हकीम इब्ने हिज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बेहतर सदक़ा वह है कि पुश्ते गिना से

हो यअ्नी उसके बअ्द तवंगरी (मालदारी)बाक़ी रहे और उनसे शुरूअ् करो जो तुम्हारी इ़याल में हैं यअ्नी पहले उन को दो फिर औरों को।

हदीस न.39 :–अबू मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से स़हीहैन में मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान जो कुछ अपने अहल पर ख़र्च करता है अगर सवाब के लिए है तो यह भी स़दक़ा है।

हदीस न.40 :–ज़ैनब ज़ौजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से स़हीहैन में मरवी उन्होंने हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त कराया शौहर और यतीम बच्चे जो परवरिश में हैं उनको स़दक़ा देना काफ़ी हो सकता है। इरशाद फ़रमाया उनको देने में दूना अज्र है एक अज्रे क़राबत और एक अज्रे स़दक़ा। यानी क़रीब का होने की वजह से देने का सवाब और दूसरा स़दक़ा का

हदीस न.41 :– इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी सुलैमान इब्ने आ़मिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमाया मिस्कीन को स़दक़ा देना सिर्फ़ स़दक़ा है और रिश्ते वाले को देना स़दक़ा का भी है और सिलारहमी भी।

हदीस न.42 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम उम्मुल मोमिनीन सि़द्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं घर में जो खाने की चीज़ है अगर औ़रत उसमें से कुछ दे दे मगर ज़ाय़ करने के तौ़र पर न हो तो उसे देने का सवाब मिलेगा और शौहर को कमाने का सवाब मिलेगा और ख़ाज़िन(भण्डारी)को भी उतना ही सवाब मिलेगा। एक का अज्र दूसरे के अज्र को कम न करेगा यअ्नी उस सूरत में जहाँ ऐसी आ़दत जारी हों कि औ़रतें दिया करती हों और शौहर मना न करते हों और उसी ह़द तक जो आ़दत के मुवाफ़िक़ है मसलन रोटी दो रोटी जैसा हिन्दुस्तान में उ़मूमन रिवाज है और अगर शौहर ने मना कर दिया हो या वहाँ की ऐसी आ़दत न हो तो बग़ैर इजाज़त औ़रत को देना जाइज़ नहीं तिर्मिज़ी में अबू उ़मामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर ने ख़ुत़बए ह़ज्जतुलविदा (आख़िरी ह़ज के ख़ुत़बा) में फ़रमाया औ़रत शौहर के घर से बग़ैर इजाज़त कुछ ख़र्च न करे। अ़र्ज़ की गई खाना भी नहीं फ़रमाया यह तो बहुत अच्छा माल है।

हदीस न.43 :– स़हीहैन में अबू मूसा अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ाज़िन मुसलमान अमानतदार कि जो उसे हुक्म किया गया पूरा–पूरा–उसको दे देता है वह दो स़दक़ा देने वालों में का एक है।

हदीस न.44 :– हाकिम और त़बरानी औसत में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि एक लुक़मा रोटी और एक मुट्ठी ख़ुरमा (खजूर)और उसकी मिस्ल कोई और चीज़ जिससे मिस्कीन को नफ़ा पहुँचे इनकी वजह से अल्लाह तआ़ला तीन शख़्सों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाता है एक साहिबेख़ाना जिसने हुक्म दिया, दूसरी ज़ौजा कि उसे तैयार करती है, तीसरे ख़ादिम जो मिस्कीन को दे आता है फिर हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने हमारे ख़ादिमों को भी न छोड़ा।

हदीस न.45 :– इब्ने माजा जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कहते हैं कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खुत़बे में फ़रमाया ऐ लोगो! मरने से पहले अल्लाह की त़रफ़ रुजूअ़ करो और मशग़ूली से पहले अअ़माले स़ालेहा की त़रफ़ सबक़त करो और पोशीदा व अ़लानिया स़दक़ा देकर अपने और अपने रब के दरमियान के तअ़ल्लुक़ात को मिलाओ तो तुम्हें रोज़ी दी जायेगी और तुम्हारी मदद की जायेगी।

हदीस न.46 :– स़हीहैन में अ़दी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हर शख़्स से अल्लाह तआ़ला कलाम फ़रमायेगा उसके और अल्लाह तआ़ला के माबैन(बीच में)कोई तर्जमान न होगा यअ़नी डाइरेक्ट बात करेगा वह अपनी दाहिनी त़रफ़ नजर करेगा तो जो कुछ पहले कर चुका है दिखाई देगा फिर बाईं त़रफ़ देखेगा तो वही देखेगा जो पहले कर चुका है फिर अपने सामने नज़र करेगा तो मुँह के सामने आग दिखाई देगी तो आग से बचो अगर्चे खुरमे का एक टुकड़ा देकर और इसी के मिस्ल अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द व सिद्दीक़े अकबर व उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा व अनस व अबू हुरैरा व अबू उमामा व नोमान इब्ने बशीर वग़ैरहुम स़हाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से मरवी।

हदीस न.47 :– अबू यअ़ला जाबिर और तिर्मिज़ी मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ल अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया स़दक़ा ख़त़ा को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को।

हदीस न.48 :– इमाम अह़मद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हर शख़्स क़ियामत के दिन अपने स़दक़े के साए में होगा। उस वक़्त तक कि लोगों के दरमियान फ़ैस़ला हो जाये और त़बरानी की रिवायत में यह भी है कि स़दक़ा क़ब्र की हरारत (गर्मी) को दफ़ा करता है।

हदीस न.49 :– त़बरानी व बैहक़ी हसन बस़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रब तआ़ला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम! अपने ख़ज़ाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे न जलेगा, न डूबेगा न चोरी जायेगा। तुझे मैं पूरा दूँगा, उस वक़्त कि तू उसका ज़्यादा मुह़ताज होगा।

हदीस न. 50, 51 :– इमाम अह़मद व बज़्ज़ाज़ व त़बरानी व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम व बैहक़ी बुरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और बैहक़ी अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि आदमी जब कभी भी कुछ भी स़दक़ा निकालता है तो सत्तर शैत़ान के जबड़े चीर कर निकलता है।

हदीस न. 52 :– त़बरानी ने अ़म्र इब्ने औफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान का स़दक़ा उ़म्र में ज़्यादती का सबब है और बुरी मौत को दफ़ा करता है और अल्लाह तआ़ला उसकी वजह से तकब्बुर व फ़ख़्र को दूर फ़रमा देता है।

हदीस न.53 :– त़बरानी कबीर में राफ़ेअ़ इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से राती कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि स़दक़ा बुराई के सत्तर दरवाज़े को बन्द कर देता है।

हदीस न. 54 :– तिर्मिज़ी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम हारिस अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने यहया इब्ने ज़करिया अ़लैहिमस्सलातु वस्सलाम को पाँच बातों की वही भेजी कि खुद अ़मल करें और बनी इस्राईल को हुक्म फ़रमायें कि वह उन पर अ़मल करें और उन में एक यह है कि उसने तुम्हें सदके का हुक्म फ़रमाया है और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी को दुश्मन ने क़ैद किया और उसका हाथ गर्दन से मिलाकर बाँध दिया और उसे मारने के लिए लाये, उस वक़्त थोड़ा–बहुत जो कुछ था सब को देकर अपनी जान बचाई।

हदीस न.55 :– इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने हराम माल जमा किया फिर उसे सदक़ा किया तो उस में उसके लिए कुछ सवाब नहीं बल्कि गुनाह है।

हदीस न.56 :– अबू दाऊद इब्ने खुज़ैमा व हाकिम उन्हीं से रावी अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है फ़रमाया ग़रीब शख़्स को कोशिश करके सदक़ा देना।

हदीस न. 57 :–नसई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान उन्हीं से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक दिरहम लाख दिरहम से बढ़ गया। किसी ने अ़र्ज़ की यह क्यूँकर या रसूलल्लाह ! फ़रमाया एक शख़्स के पास ज़्यादा माल है उस ने उस में से लाख दिरहम लेकर सदक़ा किये और एक शख़्स के पास सिर्फ़ दो हैं उसने उनमें से एक को सदक़ा किया।

रोज़े का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो !तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा उन पर फ़र्ज़ हुआ था जो तुम से पहले हुए ताकि तुम गुनाहों से बचो चन्द दिनों का फिर तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो वह और दिनों में गिनती पूरी करे और जो ताक़त नहीं रखते वह फ़िदया दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो ज़्यादा भलाई करे तो यह उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। माहे रमज़ान जिस में क़ुर्आन उतारा गया लोगों की हिदायत को और हिदायत हक़ व बातिल में जुदाई बयान करने के लिए तो तुम में जो कोई यह महीना पाये उसका रोज़ा रखे और जो बीमार या सफ़र में हो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है सख़्ती का इरादा नहीं फ़रमाता और तुम्हें चाहिए कि गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत की और इस उम्मीद पर कि उसके शुक्रगुज़ार हो जाओ और ऐ महबूब ! जब मेरे बन्दे तुम से मेरे बारे में सवाल करें तो मैं नज़दीक हूँ दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ जब यह मुझे पुकारें तो उन्हें चाहिए कि मेरी बात क़बूल करें और मुझ पर ईमान लायें इस उम्मीद पर कि राह पायें। तुम्हारे लिए रोज़े की रात में औरतों से जिमा(हमबिस्तरी)हलाल किया गया वह तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास। अल्लाह को मअ़लूम है कि तुम अपनी जानों पर ख़ियानत करते हो तो तुम्हारी तौबा क़बूल की और तुम से मुआफ़ फ़रमाया तो अब उनसे जिमा करो और उसे चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा और खाओ और पियो उस वक़्त तक कि फ़ज्र का सफ़ेद डोरा सियाह डोरे से मुमताज़ हो जाये फिर रात तक रोज़ा पूरा करो और उनसे जिमा न करो उस हाल में कि तुम मस्जिद में मोअ्तकिफ़ हो यह अल्लाह की हदें हैं इनके क़रीब न जाओ अल्लाह अपनी निशानियाँ यूँही बयान फ़रमाता है कि कहीं वह बचें"। रोज़ा बहुत उ़मदा इ़बादत है उसकी फ़ज़ीलत में बहुत हदीसें आयीं उनमें से बाज़ ज़िक्र की जाती है।

हदीस न.1 :– सह़ी बुख़ारी व सह़ी मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं एक रिवायत में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान ज़न्जीरों में जकड़ दिये जाते हैं और इमाम अहमद और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा की रिवायत में है कि जब माहे रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्न क़ैद कर लिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं तो इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं तो इनमें से कोई दरवाज़ा बन्द नहीं किया जाता और मुनादी पुकारता है,ऐ ख़ैर त़लब करने वाले! मुतवज्जे हो,और ऐ शर के चाहने वाले! बाज़ रह और कुछ लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं और यह हर रात में होता हैं इमाम अहमद व नसई की रिवायत उन्हीं से है कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान आया यह बरकत का महीना है अल्लाह तआ़ला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किये इस में आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये ज़ाते हैं और सरकश शैत़ानों के तौक़ डाल दिये

जाते हैं और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बहतर है जो उसकी भलाई से महरूम रहा बेशक महरूम है।

हदीस न.2 :– इब्ने माजा हज़रते अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं रमज़ान आया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह महीना आया इसमें एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है जो इससे महरूम रहा हर चीज़ से महरूम रहा और उसकी ख़ैर से वही महरूम होगा जो पूरा महरूम है।

हदीस न.3 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कहते हैं जब रमज़ान का महीना आता रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ैदियों को रिहा फ़रमा देते और साइल को अ़ता फ़रमाते।

हदीस न.4 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि नबी सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जन्नत इब्तिदाए साल यअ़नी शुरूअ़ साल से साले आइन्दा (आने वाले साल)तक रमज़ान के लिए आरास्ता की जाती है (सजाई जाती है)जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अ़र्श के नीचे एक हवा हूरों पर चलती है वह कहती हैं ,ऐ रब ! तू अपने बन्दों से हमारे लिए उनको शौहर बना जिन से हमारी आँखें ठण्डी हों और उनकी आँखें हम से ठण्डी हों।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान की आख़िर शब में उम्मत की मग़फ़िरत होती है। अ़र्ज़ की गयी क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं लेकिन काम करने वाले को उस वक़्त मज़दूरी पूरी दी जाती है जब वह काम पूरा कर ले।

हदीस न.6 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने शाबान के आख़िर दिन में वअ़ज़ फ़रमाया, फ़रमाया ऐ लोगो! तुम्हारे पास अ़ज़मत वाला, बरकत वाला, महीना आया वह महीना जिसमें एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है उसके रोज़े अल्लाह तआ़ला ने फ़र्ज़ किये और उसकी रात में क़ियाम (नमाज़)व ततव्वोअ़ जो इसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में सत्तर फ़र्ज़ अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है और यह महीना मुवासात(हमदर्दी)का है और इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है जो इसमें रोज़ादार को इफ़्तार कराये उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जायेगी और इस इफ़्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वालों को मिलेगा बग़ैर इसके कि उसके अज्र में से कुछ कम हो । हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! हम में का हर शख़्स वह चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ़्तार कराये। हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला यह सवाब उस शख़्स को देगा जो एक घूँट दूध या एक खुरमा(छुआरा)या एक घूँट पानी से इफ़्तार कराये और जिसने रोज़ादार को भरपेट खाना खिलाया उसको अल्लाह तआ़ला मेरे हौज़ से पिलायेगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाख़िल हो जाये। यह वह महीना है कि

इसका अव्वल(शुरूअ् के दस दिन)रहमत है और इसका औसत(दरमियान के दस दिन)मग़फ़िरत है और इसका आख़िर जहन्नम से आज़ादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे यअ्नी काम में कमी करे अल्लाह तआला उसे बख़्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा।

हदीस न.7 :– सहीहैन व सुनने तिर्मिज़ी व नसई व सही इब्ने ख़ुजैमा में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जन्नत में आठ दरवाज़े हैं उनमें एक दरवाज़े का नाम रैहान है उस दरवाज़े से वही जायेंगे जो रोज़े रखते हैं।

हदीस न.8 :– बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए रोज़ा रखेगा उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे और जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए **शबे** क़द्र का क़ियाम करेगा उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व हाकिम और तबरानी कबीर में और इब्ने अबिद्दुनिया और बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ा व क़ुर्आन बन्दे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा ऐ रब! मैंने खाने और ख़्वाहिशों से इसे दिन में रोक दिया मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में क़बूल फ़रमा। क़ुर्आन कहेगा ऐ रब! मैंने इसे रात में सोने से बअ्ज़ रखा मेरी शफ़ाअत इसके बारे में क़बूल कर। दोनों की शफ़ाअतें क़बूल होंगी।

हदीस न.10 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं आदमी के हर नेक काम का बदला दस से सात सौ तक दिया जाता है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया मगर रोज़ा कि वह मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूँगा बन्दा अपनी ख़्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है रोज़ादार के लिए दो ख़ुशियाँ हैं एक इफ़्तार के वक़्त और अपने रब से मिलने के वक़्त और रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है और रोज़ा सिपर (ढाल)है और जब किसी के रोज़े का दिन हो तो न बेहूदा बके और न चीख़े फिर अगर उससे कोई गाली–गलौच करे या लड़ने पर अमादा हो तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ,इसी के मिस्ल इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत की।

हदीस न.11 :– तबरानी औसत में और बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला के नज़दीक अअ्माल सात क़िस्म के हैं दो अमल वाजिब करने वाले और दो का बदला उनके बराबर है और एक अमल का बदला दस गुना और एक अमल का मुआवज़ा सात सौ है एक वह अमल है जिसका सवाब अल्लाह ही जाने। वह दो जो वाजिब करने वाले हैं उनमें एक यह कि जो ख़ुदा से इस हाल में मिले कि ख़ालिस उसी की इबादत करता था किसी को उसके साथ शरीक न करता था उसके लिए जन्नत वाजिब। दूसरा यह कि जो ख़ुदा से मिला इस हाल में कि उसने शरीक किया है तो उसके लिये जहन्नम वाजिब और तीसरा यह कि जिसने बुराई की उसको उसी क़द्र सज़ा दी जायेगी और चौथा यह कि जिस ने नेकी का इरादा किया मगर अमल न किया तो उस को एक नेकी का बदला दिया जायेगा और पाँचवाँ यह कि जिसने नेकी की उसे दस गुना सवाब मिलेगा और छटा यह कि जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च किया उसको सात सौ का सवाब मिलेगा एक

दिरहम का सात सौ दिरहम एक दीनार का सवाब सात सौ दीनार और सातवाँ रोज़ा अल्लाह तआला के लिए है उसका सवाब अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता।

हदीस न.12 से 15 :– इमाम अहमद और बैहक़ी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा सिपर (ढाल) है और दोज़ख़ से हिफ़ाज़त का मज़बूत किला ,इसी के क़रीब–क़रीब जाबिर व उस्मान इब्ने अबिलआस व मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.16 से 17 :– अबू यअ़ला व बैहक़ी सलमा इब्ने कैस और अहमद बज़्ज़ार अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने अल्लाह तआला की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा जैसे कि कौआ कि जब बच्चा था उस वक़्त से उड़ता रहा यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मरा।

हदीस न.18 :– अबू यअ़ला व तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर किसी ने एक दिन नफ़्ल रोज़ा रखा और ज़मीन भर उसे सोना दिया जाये जब भी उसका सवाब पूरा न होगा उसका तो सवाब क़ियामत के दिन मिलेगा।

हदीस न.19 :–इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमााया हर शय के लिये ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा निस्फ़ (आधा)सब्र है ।

हदीस न.20 :– नसई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी अर्ज़ की ,या रसूलल्लाह! मुझे किसी अमल का हुक्म फ़रमायें। इरशाद फ़रमाया रोज़े को लाज़िम कर लो कि इसके बराबर कोई अमल नहीं। उन्होंने फिर वही अर्ज़ की ,वही जवाब इरशाद हुआ।

हदीस न. **21से 26** :–बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बन्दा अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखे अल्लाह तआला उसके मुँह को दोज़ख़ से सत्तर बरस की राह दूर फ़रमा देगा और इसी के मिस्ल नसई,तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी और तबरानी अबू दरदा और तिर्मिज़ी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं फ़रमाया कि उसके और जहन्नम के दरमियान अल्लाह तआला इतनी बड़ी ख़न्दक़ कर देगा जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान फ़ासिला है और तबरानी की रिवायत अम्र इब्ने अब्सा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि दोज़ख़ उससे सौ बरस की राह दूर होगी और अबू यअ़ला की रिवायत मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि रमज़ान के दिनों के अलावा अल्लाह तआला की राह में रोज़ा रखा तो तेज़ घोड़े की रफ़्तार से सौ बरस की मसाफ़त (दूरी) पर जहन्नम से दूर होगा।

हदीस न.27 :– बैहक़ी अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ादार की दुआ इफ़्तार के वक़्त रद नहीं की जाती।

हदीस न.28 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम

फ़रमाते हैं तीन शख़्स की दुआ रद नहीं की जाती रोज़ादार जिस वक़्त इफ़्तार करता है और बादशाहे आ़दिल और मज़लूम की दुआ इसको अल्लाह तआ़ला अब्र से ऊपर बलन्द करता है और इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और रब तआ़ला फ़रमाता है अपनी इ़ज़्ज़त व जलाल की क़सम ज़रूर तेरी मदद करूँगा अगर्चे थोड़े ज़माने बअ्द।

ह़दीस न.29 :– इब्ने ह़ब्बान व बैहक़ी अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी ह़दों को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा तो जो पहले कर चुका है उसका कफ़्फ़ारा हो गया।

ह़दीस न.30 :– इब्ने माजा अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने मक्के में माहे रमज़ान पाया और रोज़ा रखा और रात में जितना मयस्सर आया क़ियाम किया तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए और जगह के एक लाख रमज़ान का सवाब लिखेगा और दिन एक गर्दन आज़ाद करने का सवाब और हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब और हर दिन में ह़सना (नेकी)और हर रात में ह़सना लिखेगा।

ह़दीस न.31 :– बैहक़ी जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्ला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पाँच बातें दी गईं कि मुझसे पहले किसी नबी को न मिली अव्वल यह कि जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआ़ला उनकी तरफ़ नज़रे रह़मत फ़रमाता है और जिसकी त़रफ़ नज़रे रह़मत फ़रमायेगा उसे कभी अ़ज़ाब न करेगा। दूसरी यह कि शाम के वक़्त उनके मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा अच्छी है। तीसरी यह कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। चौथी यह कि अल्लाह तआ़ला जन्नत को हुक्म फ़रमाता है कहता है तैयार हो जा और मेरे बन्दों के लिए मुज़य्यन हो जा (सज जा) क़रीब है कि दुनिया की सख़्ती से यहाँ आकर आराम करें। पाँचवीं यह कि जब आख़िर रात होती है तो उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। किसी ने अ़र्ज़ की क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं जब काम से फ़ारिग़ होते हैं उस व़क़्त मज़दूरी पाते हैं।

ह़दीस न.32,34 :– ह़ाकिम ने कअ़्ब इब्ने अ़जरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब लोग मिम्बर के पास ह़ाज़िर हों। हम ह़ाज़िर हुए जब हुज़ूर स़ल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मिम्बर के पहले दर्जे पर चढ़े कहा आमीन,दूसरे पर चढ़े कहा आमीन तीसरे पर चढ़े कहा आमीन। जब मिम्बर से तशरीफ़ लाये हमने अ़र्ज़ की आज हमने हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी कि कभी न सुनते थे। फ़रमाया जिब्रील ने आकर अ़र्ज़ की वह शख़्स दूर हो जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत न कराई। मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो कहा वह शख़्स दूर हो जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा कहा वह शख़्स दूर हो जिसके माँ–बाप दोनों या एक को बुढ़ापा आये और उनकी ख़िदमत करके जन्नत में न जाये मैंने कहा आमीन। इसी के मिस्ल अबू हुरैरा व ह़सन इब्ने मालिक इब्ने हुवैरस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से इब्ने ह़ब्बान ने रिवायत की।

हदीस न.35 :— अस्बहानी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाता है और जब अल्लाह किसी बन्दे की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाये तो उसे कभी अज़ाब न देगा और हर रोज़ दस लाख को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाता है और जब उन्तीसवीं रात होती है तो महीने भर जितने आज़ाद किये उनके मजमुए के बराबर उस एक रात में आज़ाद करता है। फिर जब ईदुल फ़ित्र की रात आती है मलाइका (फ़रिश्ते)खुशी करते हैं और अल्लाह तआला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फ़रमाता है फ़रिश्तों से फ़रमाता है ऐ गिरोहे मलाइका उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं उसको पूरा अज्र दिया जाये। अल्लाह तआला फ़रमाता है तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने उन सब को बख़्श दिया।

हदीस न.36 :— इब्ने खुज़ैमा ने अबू मसऊद गफ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत की उसमें यह भीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर बन्दों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़े है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो।

हदीस न.37 :— बज़्ज़ार व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अम्र इब्ने मुर्रा जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने अर्ज़ की,या रसूलल्लाह! फ़रमाईये तो अगर मैं इसकी गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और पाँचों नमाज़ें पढ़ूँ और ज़कात अदा करूँ और रमज़ान के रोज़े रखूँ और उसकी रातों का क़ियाम करूँ तो मैं किन लोगों में से होऊँगा। फ़रमाया सिद्दीक़ीन और शोहदा में से।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला :— रोज़ा शरीअत की बोलचाल में मुसलमान का इबादत की नियत से सुबहे सादिक़ से गुरूब आफ़ताब तक अपने को क़स्दन (जानबूझ कर)खाने पीने जिमा (हमबिस्तरी)से बाज़ रखना। औरत का हैज़ व निफ़ास से ख़ाली होना शर्त है। (आम्मए कुतुब)

मसअला :— रोज़े के तीन दर्जे हैं एक आम लोगों का रोज़ा कि यही पेट और शर्मगाह को खाने पीने, जिमा हमबिस्तरी से रोकना,दूसरा ख़्वास का रोज़ा कि उनके अलावा कान,आँख ज़बान हाथ, पाँव और तमाम आज़ा को गुनाह से बाज़ रखना, तीसरा ख़ासुलख़ास का रोज़ा कि अल्लाह तआला के अलावा तमाम चीज़ों से अपने को पूरी तरह जुदा करके सिर्फ़ उसी की तरफ़ मुतवज्जेह रहना। (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :— रोज़ की पाँच किस्में हैं 1.फ़र्ज़ 2. वाजिब 3.नफ़्ल,4,मकरूहे तनज़ीही 5. मकरूहे तहरीमी **फ़र्ज़ व वाजिब** की दो किस्में हैं मुअय्यन व ग़ैरे मुअय्यन। फ़र्ज़े मुअय्यन जैसे क़ज़ाए रमज़ान यअ्नी रमज़ान का रोज़ा जो छूट गया और रोज़ए कफ़्फ़ारा जो कफ़्फ़ारा लाज़िम होने पर रखा जाये वाजिबे मुअय्यन जैसे नज़रे मुअय्यन वाजिबे गैरे मुअय्यन जैसे नज़रे मुतलक़ **नफ़्ल** दो हैं नफ़्ले मसनून नफ़्ले मुसतहब **नफ़्ले मसनून** जैसे आशूरा यअ्नी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा और उसके साथ नवीं का भी और **नफ़्ले मुस्तहब** हर महीने में तेरहवीं, चौदहवीं पन्द्रहवीं और अरफ़े का रोज़ा पीर

और जुमेरात का रोज़ा। शश ईद के रोज़े यअ्नी ईद के छह रोज़े ,दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े यअ्नी एक दिन रोज़ा एक दिन इफ़्तार **मकरूहे तनज़ीही** जैसे सिर्फ़ हफ़्ते के दिन रोज़ा रखना,नैरोज़ मेहरगान के दिन का रोज़ा सौमे दहर यअ्नी हमेशा रोज़ा रखना सौमे सुकूत यअ्नी जिसमें कुछ बात न करे, सौमे विसाल कि रोज़ा रखकर इफ़्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूहे तनज़ीही हैं। मकरूहे तहरीमी जैसे ईद और अय्यामे तशरीक़ (बक़रीद और उसके बअ्द के तीन दिन)के रोज़े। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रोज़े के मुख़्तलिफ़ असबाब (वजहें)हैं रोज़ए रमज़ान का सबब माहे रमज़ान का आना। रोज़ए नज़र का सबब मन्नत मानना। रोज़ए कफ़्फ़ारा का सबब क़सम तोड़ना या क़त्ल या ज़िहार वग़ैरा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– माहे रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ जब होगा कि वह वक़्त जिसमें रोज़े की इब्तिदा (शुरूआत) कर सके यअ्नी सुबहे सादिक से ज़हवए कुबरा तक कि इसके बाद रोज़े की नियत नहीं हो सकती लिहाज़ा रोज़ा नहीं हो सकता और रात में नियत हो सकती है मगर रोज़े की महल नहीं। (यअ्नी रात रोज़े का वक़्त नहीं मगर नियत हो जायेगी)लिहाज़ा अगर मजनून को रमज़ान की किसी रात में होश आया और सुबह जुनून की हालत में हुई या ज़हवए कुबरा के बाद किसी दिन होश आया तो उस पर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा नहीं जबकि पूरा रमज़ान इसी जुनून में गुज़र जाये और एक दिन भी ऐसा वक़्त मिल गया जिसमें नियत कर सकता है तो सारे रमज़ान की क़ज़ा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रात में रोज़े की नियत की और सुबह ग़शी की हालत में हुई और यह ग़शी कई दिन तक रही तो सिर्फ़ पहले दिन का रोज़ा हुआ बाक़ी दिनों का क़ज़ा रखे अगर्चे पूरे रमज़ान भर ग़शी रही अगर्चे नियत का वक़्त न मिला। (जौहरा,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रमज़ान के रोज़े की अदा और नज़रे मुअय्यन और नफ़्ल के रोज़ों की नियत का वक़्त ग़ुरूबे आफ़ताब से ज़हवए कुबरा तक है इस वक़्त में जब नियत कर ले यह रोज़े हो जायेंगे। लिहाज़ा आफ़ताब डूबने से पहले नियत की कल रोज़ा रखूँगा फिर बेहोश हो गया और ज़हवए कुबरा के बाद होश आया तो यह रोज़ा न हुआ और आफ़ताब डूबने के बअ्द नियत की थी तो हो गया। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़हवए कुबरा नियते वक़्त नहीं बल्कि इससे पेश्तर (पहले)नियत हो जाना ज़रूरी है और अगर ख़ास वक़्त यअ्नी जिस वक़्त आफ़ताब ख़त्ते निस्फ़ुन्नहारे शरई पर पहुँच गया नियत की तो रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नियत के बारे में नफ़्ल आम है सुन्नत व मुसतहब व मकरूह सब को शामिल है कि इन सब के लिए नियत का वही वक़्त है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस तरह और जगह बताया गया कि नियत दिल के इरादे का नाम है ज़बान से कहना शर्त नहीं यहाँ भी वही मुराद है मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है अगर रात में नियत करे तो यूँ कहे :–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا

तर्जमा :– " मैंने नियत की कि अल्लाह तआ़ला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूँगा"। और दिन में नियत करे तो यह कहे :–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

तर्जमा :– "मैंने नियत की कि अल्लाह तआ़ला के लिए आज रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा"। और अगर तबर्रुक व तलबे तौफ़ीक़ के लिए नियत के अल्फ़ाज़ में इन्शाअल्लाह तआ़ला भी मिला लिया तो हरज नहीं और अगर पक्का इरादा न हो मुज़बज़ब हो यअ्नी कभी हाँ कभी न हो तो नियत ही कहाँ हुई। (जौहरा)

मसअ्ला :– दिन में नियत करे तो यह ज़रूर है क यह नियत करे कि मैं सुबहे सादिक़ से रोज़ादार हूँ और अगर यह नियत है कि अब से रोज़ादार हूँ सुबह से नहीं तो रोज़ा न हुआ। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर्चे उन तीन क़िस्म के रोज़े की नियत दिन में भी हो सकती है मगर रात में नियत कर लेना मुसतहब है। (जौहरा) यूँ नियत की कि कल कहीं दअ्वत हुई तो रोज़ा नहीं और न हुई तो रोज़ा है यह नियत सही नहीं बहरहाल वह रोज़ादार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान के दिन में न रोज़े की नियत है न यह कि रोज़ा नहीं अगर्चे मालूम है कि यह महीना रमज़ान का है तो रोज़ा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रात में नियत की और फिर उसके बअ्द रात ही में खाया पिया तो नियत जाती न रही वही पहली काफ़ी है फिर से नियत करना ज़रूरी नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– हैज व निफ़ास वाली थी उसने रात में कल रोज़ा रखने की नियत की और सुबहे सादिक़ से पहले हैज़ व निफ़ास से पाक हो गई तो रोज़ा सही हो गया। (जौहरा)

मसअ्ला :– दिन में वह नियत काम की है कि सुबहे सादिक़ से नियत करते वक़्त तक रोज़े के ख़िलाफ़ कोई अम्र (काम) न पाया गया हो । लिहाज़ा अगर सुबहे सादिक़ के बअ्द भूलकर भी खा पी लिया हो या जिमा (हमबिस्तरी) कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती। (जौहरा) मगर मोअ्तमद यह है कि भूलने की हालत में अब भी नीयत सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस तरह नमाज़ में कलाम की नियत की मगर बात न की तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यूँही रोज़ा में तोड़ने की नियत से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक तोड़ने वाली चीज़ न करे। (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर रात में रोज़े की नियत की फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा तो वह नियत जाती रही अगर नई नियत न की और दिन भर भूका प्यासा रहा और जिमा (हमबिस्तरी) से बचा तो रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सहरी खाना भी नियत है ख़्वाह रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए मगर जब सहरी खाते वक़्त यह इरादा है कि सुबह को रोज़ा न होगा तो सहरी खाना नियत नहीं। (जौहरा,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नियत की ज़रूरत है पहली या किसी तारीख़ में पूरे रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो यह नियत सिर्फ़ उसी एक दिन के हक़ में है बाक़ी दिनों के लिए नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– यह तीनों यअ्नी रमज़ान के अदा और नफ़्ल व नज़रे मुअ़य्यन मुतलक़न रोज़े की नियत से हो जाते हैं ख़ास इन्हीं की नियत ज़रूरी नहीं। यूँही नफ़्ल की नियत से भी अदा हो जाते हैं बल्कि ग़ैरे मरीज़ व ग़ैरे मुसाफ़िर ने रमज़ान में किसी और वाजिब की नियत की जब भी उसी रमज़ान का होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर और मरीज़ अगर रमज़ान शरीफ़ में नफ़्ल या किसी दूसरे वाजिब की नियत करें तो जिसकी नियत करेंगे वह होगा रमज़ान का नहीं (तनवीरूल अबसार)और मुतलक़ रोज़े की नियत करे तो रमज़ान का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नज़रे मुअय्यन यअ्नी फलाँ दिन रोज़ा रखूँगा इसमें अगर उस दिन किसी और वाजिब की नियत से रोज़ा रखा तो जिस की नियत से रोज़ा रखा यह हुआ,मन्नत की क़ज़ा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान के महीने में कोई रोज़ा रखा और उसे यह मअ्लूम न था कि यह माहे रमज़ान है जब भी रमज़ान ही का रोज़ा हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कोई मुसलमान दारुलहरब में कैद था और हर साल यह सोचकर कि रमज़ान का महीना आ गया रमज़ान के रोज़े रखे बअ्द को मअ्लूम हुआ कि किसी साल भी रमज़ान में न हुए बल्कि हर साल रमज़ान से पेश्तर (पहले) हुए तो पहले साल का तो हुआ ही नहीं कि रमज़ान से पेश्तर रमज़ान का रोज़ा हो नहीं सकता और दूसरे तीसरे साल की निस्बत यह है कि अगर मुतलक़ रमज़ान की नियत की थी तो हर साल के रोज़े गुज़रे हुए साल के रोज़े की क़ज़ा हैं और अगर हर साल के रमज़ान की नियत से रखे तो किसी साल के न हुए। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– अगर सूरते मज़कूरा में (यअ्नी ऊपर जो सूरत ज़िक्र हुई उसमें)तहर्री की यअ्नी सोचा और दिल में यह बात जमी कि यह रमज़ान का महीना है और रोज़ा रखा मगर हक़ीक़त में रोज़े शव्वाल के महीने में हुए तो अगर रात से नियत की तो हो गये क्यूँकि क़ज़ा में क़ज़ा की नियत शर्त नहीं बल्कि अदा की नियत से भी क़ज़ा हो जाती है फिर अगर रमज़ान व शव्वाल दोनों तीस–तीस दिन या उन्तीस–उन्तीस दिन के हैं तो एक रोज़ा और रखे कि ईद का रोज़ा मना है और अगर रमज़ान तीस का था और शव्वाल उन्तीस का तो दो और रखे और रमज़ान उन्तीस का था और यह तीस का तो हो गये और अगर वह महीना ज़िलहिज्जा का था तो अगर दोनों तीस तीस या उन्तीस के हैं तो चार रोज़े और रखे और रमज़ान तीस का था यह उन्तीस का तो पाँच और बिलअ्क्स यअ्नी इसका उल्टा हुआ तो तीन रखे ग़रज़ मना किये हुए रोज़े निकालकर तअ्दाद पूरी करनी होगी जितने रमज़ान के दिन थे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अदाए रमज़ान और नज़रे मुअय्यन और नफ़्ल के अलावा बाक़ी रोज़े मसलन क़ज़ाए रमज़ान नज़रे ग़ैरे मुअय्यन और नफ़्ल की क़ज़ा(यअ्नी नफ़्ली रोज़ा रखकर तोड़ दिया था उसकी क़ज़ा) नज़रे मुअय्यन की क़ज़ा और कफ़्फ़ारे का रोज़ा और हरम में शिकार करने की वजह से जो रोज़ा वाजिब हुआ वह और हज में वक़्त से पहले सर मुन्डाने का रोज़ा और तमत्तोअ् का रोज़ा इन सब में बिल्कुल सुबहे सादिक़ चमकते वक़्त या रात में नियत करना ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उस मुअय्यन की नियत करे और इस रोज़ों की नियत अगर दिन में की तो नफ़्ल हुए फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी अगर्चे यह उसके इल्म में हो कि जो रोज़ा रखना चाहता है वह नहीं होगा बल्कि नफ़्ल होगा।

मसअ्ला :– यह गुमान करके कि उसके ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा है रोज़ा रखा अब मअ्लूम हुआ कि गुमान ग़लत था तो अगर फ़ौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है अगर्चे बेहतर यह है कि पूरा कर ले और अगर फ़ौरन न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब है।(रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– रात में क़ज़ा रोज़े की नियत की सुबह को उसे नफ़्ल करना चाहता है तो नहीं कर सकता। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ते में रोज़े की नियत की तो यह नियत सही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कई रोज़े कज़ा हो गये तो नियत में यह होना चाहिए कि इस रमज़ान के पहले रोज़े की कज़ा दूसरे की क़ज़ा और अगर कुछ इस साल के कज़ा हो गये कुछ पिछले साल के बाक़ी हैं तो यह नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की और उस रमज़ान की क़ज़ा और अगर दिन और साल को मुअय्यन न किया जब भी हो जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :- रमज़ान का रोज़ा जानबूझ कर तोड़ा था तो उस पर उस रोज़े की क़ज़ा है और साठ रोज़े कफ़्फ़ारे के अब उसने इक्सठ रोज़े रख लिए क़ज़ा का दिन मुअ़य्यन न किया तो हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यौमे शक (शक के दिन)यअ्नी शअ्बान की तीसवीं तारीख़ को नफ़्ले ख़ालिस की नियत से रोज़ा रख सकते हैं और नफ़्ल के सिवा कोई और रोज़ा रखा तो मकरूह है ख़्वाह नियत मुअय्यन की हो या तरद्दुद(यानी शक वाली हालत)के साथ यह सब सूरतें मकरूह हैं फिर अगर रमज़ान की नियत है तो मकरूहे तहरीमी है वरना मुक़ीम के लिये तन्ज़ीही और मुसाफ़िर ने अगर किसी वाजिब की नियत की तो कराहत नहीं फिर अगर उस दिन का रमज़ान होना साबित हो जाये तो मुक़ीम के लिए बहरहाल रमज़ान का रोज़ा है और यह ज़ाहिर हुआ कि वह शाबान का दिन था और नियत किसी वाजिब की थी तो जिस वाजिब की नियत थी वह हुआ और अगर कुछ हाल न खुला तो वाजिब की नियत बेकार गई और मुसाफ़िर ने जिसकी नियत की बहरहाल वही हुआ। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर तीसवीं तारीख़ ऐसे दिन हुई कि उस दिन रोज़ा रखने को आदी था तो उसे रोज़ा रखना अफ़ज़ल है मसलन कोई शख़्स पीर या जुमेरात का रोज़ा रखा करता है और तीसवीं उसी दिन पड़ी तो रखना अफ़ज़ल है। यूँही अगर चन्द रोज़ पहले से रख रहा था तो अब शक वाले दिन में कराहत नहीं,कराहत उसी सूरत में है कि रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा रखा जाये यअ्नी सिर्फ़ तीस शअ्बान को या उन्तीस और तीस को। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर न तो उस दिन रोज़ा रखने का आदी था न कई रोज़ पहले से रोज़े रखे तो अब ख़ास लोग रोज़ा रखें और अवाम न रखें बल्कि अवाम के लिए यह हुक्म है कि ज़हवए कुबरा तक रोज़े की तरह रहें अगर उस वक़्त तक चाँद का सुबूत हो जाये तो रमज़ान के रोज़े की नियत कर लें वरना खा पी लें। ख़वास से मुराद यहाँ उलमा ही नहीं बल्कि जो शख़्स यह जानता हो कि शक वाले दिन में इस तरह रोज़ा रखा जाता है वह ख़वास में है वरना अवाम में। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शक वाले दिन के रोज़े में यह पक्का इरादा कर ले कि यह रोज़ा नफ़्ल है तरद्दुद (यअ्नी शक वाली हालत)न रहे,यूँ न हो कि अगर रमज़ान है तो यह रोज़ा रमज़ान का वरना नफ़्ल का या यूँ कि अगर आज रमज़ान का दिन है तो यह रोज़ा रमज़ान का है वरना किसी और वाजिब का कि यह दोनों सूरतें मकरूह हैं फिर अगर उस दिन का रमज़ान होना साबित हो जाये तो फ़र्ज़े रमज़ान अदा होगा वरना दोनों सूरतों में नफ़्ल है और गुनाहगार बहरहाल हुआ और यूँ भी नियत न करे कि यह दिन रमज़ान का है तो रोज़ा हुआ और अगर नफ़्ल का पूरा इरादा है मगर कभी दिल में यह ख़्याल गुज़र जाता है कि शायद आज रमज़ान का दिन हो तो इसमें हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अवाम को जो यह हुक्म दिया गया कि ज़हवए कुबरा तक इन्तिज़ार करें जिसने इस पर अमल किया मगर भूल कर खा लिया फिर उस दिन का रमज़ान होना ज़ाहिर हुआ तो रोज़े की नियत कर लें हो जायेगा कि इन्तिज़ार करने वाला रोज़ादार के हुक्म में है और भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टुटता। (दुर्रे मुख़्तार)

चाँद देखने का बयान

अल्लाह ताआ़ल फ़रमाता है :–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ

तर्जमा :– " ऐ महबूब! तुमसे हिलाल के बारे में लोग सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह लोगों के कामों और हज के लिए औक़ात हैं।

हदीस न.1:– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ा न रखो जब तक चाँद न देख लो और इफ़्तार न करो जब तक चाँद न देख लो और अगर अब्र हो तो(तीस की)मिक़दार पूरी कर लो।

हदीस न.2 :– नीज़ सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं चाँद देखकर रोज़ा रखना शुरूअ़ करो और चाँद देखकर इफ़्तार करो और अगर अब्र हो तो शअ़बान की गिनती तीस पूरी कर लो।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से एक अअ़राबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं। अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हाँ। इरशाद फ़रमाया,ऐ बिलाल ! लोगों में एलान कर दो कि कल रोज़ा रखें।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद, व दारमी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि लोगों ने बाहम (मिलकर)चाँद देखना शुरूअ़ किया,मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मैंने चाँद देखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम शाबान का इस क़द्र तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त) करते यअ़नी रोज़ा वग़ैरा इबादत में भी लगे रहते और दिन–तारीख़ भी याद रखते और सहाबए किराम को भी याद दिलाते रहते थे कि उतना और किसी का न करते फिर रमज़ान का चाँद देखकर रोज़ा रखते और अब्र होता तो तीस दिन पूरे करके रोज़ा रखते।

हदीस न.6 :– मुस्लिम में अबिल बख़्तरी से मरवी कहते हैं कि हम उमरा के लिए गये जब बत़्ने नख़्ला में पहुँचे तो चाँद देख कर किसी ने कहा तीन रात का है,किसी ने कहा दो रात का है। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से हम मिले और उनसे वाक़िआ बयान किया। फ़रमाया तुमने देखा किस रात में। हम ने कहा फ़ुलाँ रात में,फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने उसकी मुद्दत देखने से मुक़र्रर फ़रमाई, लिहाज़ा उस रात का क़रार दिया जायेगा जिस रात को तुमने देखा।

मसअ्ला :– पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिबे किफ़ाया है:– शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा। शाबान का इसलिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक़्त अब्र या गुबार हो तो तीस

पूरे कर के रमज़ान शुरू करें और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए और शव्वाल का रोज़ा ख़त्म करने के लिए और ज़ीक़ादा का ज़िलहिज्जा के लिए और ज़िलहिज्जा का बक़रईद के लिये।(फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– शअ्बान की उन्तीस को शाम के वक़्त चाँद देखें दिखाई दे तो कल रोज़ा रखें वरना शअ्बान के तीस दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरूअ् करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने रमज़ान या ईद का चाँद देखा मगर उसकी गवाही किसी वजहे शरई से रद कर दी गयी मसलन फ़ासिक़ है या ईद का चाँद उसने तन्हा देखा तो उसे हुक्म है रोज़ा रखे अगर्चे अपने आप ईद का चाँद देख लिया है और इस रोज़े को तोड़ना जाइज़ नहीं मगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और इस सूरत में अगर रमज़ान का चाँद था और उसने अपने हिसाब की वजह से तीस रोज़े पूरे किये मगर ईद के चाँद के वक़्त फिर अब्र या गुबार है तो उसे भी एक दिन और रखने का हुक्म है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तन्हा उसने चाँद देखकर रोज़ा रखा फिर रोज़ा तोड़ दिया या क़ाज़ी के यहाँ गवाही भी दी थी और अभी उसने उसकी गवाही पर हुक्म नहीं दिया था कि उसने रोज़ा तोड़ दिया तो भी कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं सिर्फ़ उस रोज़े की क़ज़ा दे और अगर क़ाज़ी ने उसकी गवाही क़बूल कर ली उसके बाद उसने रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर्चे यह फ़ासिक़ हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स इल्मे हैअ्त जानता है उसका अपने इल्मे हैयत के ज़रिए से कह देना कि आज चाँद हुआ या नहीं हुआ कोई चीज़ नहीं अगर्चे वह आदिल हो अगर्चे कई शख़्स ऐसा कहते हों कि शरीअ़त में चाँद देखना या गवाही से सुबूत का एअ्तिबार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हर गवाही में यह कहना ज़रूरी है कि "मैं गवाही देता हूँ" कि बग़ैर इसके शहादत नहीं मगर अब्र में रमज़ान के चाँद की गवाही में इसे कहने की ज़रूरत नहीं इतना कह देना काफ़ी है कि मैंने अपनी आँख से इस रमज़ान का चाँद आज या कल या फ़लाँ दिन देखा है। यूँही उसकी गवाही में दावा और मजलिसे क़ज़ा (फ़ैसले की या हुक्म सुनाने की मजलिस)और हाकिम का हुक्म भी शर्त नहीं यहाँ तक कि अगर किसी ने हाकिम के यहाँ गवाही दी तो जिसने उसकी गवाही सुनी और उसको ब–ज़ाहिर मअ्लूम हुआ कि यह आदिल है उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है अगर्चे हाकिम का हुक्म उसने न सुना हो मसलन हुक्म देने से पहले ही चला गया हो। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– अब्र और गुबार में रमज़ान का सुबुत एक मुसलमान आक़िल ,बालिग़ मस्तूर जो ज़ाहिर में शरीअ़त के मुताबिक़ हो या आदिल शख़्स से हो जाता है वह मर्द हो ख़्वाह औरत आज़ाद हो या बांदी,ग़ुलाम या उस पर तोहमते ज़िना की हद मारी गई हो जबकि तौबा कर चुका है। आदिल होने के मअ्ना यह हैं कि कम से कम मुत्तक़ी हो यअ्नी कबाइर गुनाह(बड़े–बड़े गुनाह)से बचता हो और सग़ीरा(यअ्नी छोटे गुनाह)पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो मुरव्वत के ख़िलाफ़ हो मसलन बाज़ार में खाना। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़ासिक़ अगर्चे रमज़ान के चाँद की शहादत दे उसकी गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं रहा यह कि उसके ज़िम्मे गवाही देना लाज़िम है या नहीं अगर उम्मीद है कि उसकी गवाही क़ाज़ी क़बूल कर लेगा तो उसे लाज़िम है कि गवाही दे। मस्तूर यअ्नी जिसका ज़ाहिर हाल शरई है मगर बातिन का हाल मअ्लूम नहीं उसकी गवाही भी ग़ैरे रमज़ान में क़ाबिले क़बूल नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस आदिल शख़्स ने रमज़ान का चाँद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे यहाँ तक कि अगर लौंडी या पर्दानशीन औरत ने चाँद देखा तो उस पर गवाही

देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है,लौंडी को इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि अपने आक़ा से इजाज़त ले। यूँही आज़ाद औरत(यअ़नी जो बांदी न हो)को गवाही के लिए जाना वाजिब ,इसके लिए शौहर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं मगर यह हुक्म उस वक़्त है जब उसकी गवाही पर सुबूत मौक़ूफ़ हो कि बे उसकी गवाही के काम न चले वरना क्या ज़रूरत। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसके पास रमज़ान के चाँद की शहादत गुज़री उसे यह ज़रूरी नहीं कि गवाह से यह दरयाफ़्त करे कि तुमने कहाँ से देखा और किस तरफ़ था और कितने ऊँचे पर था वग़ैरा –वग़ैरा (आलमगीरी वग़ैरा) मगर जबकि उसका बयान मुशतबेह (शुबहा पैदा करने वाला)हो तो सवालात करे,ख़ुसूसन ईद में कि लोग ख़्वामख़्वाह उसका चाँद देख लेते हैं।

मसअ्ला :– तन्हा इमाम(बादशाहे इस्लाम)या क़ाज़ी ने चाँद देखा तो उसे इख़्तियार है ख़्वाह ख़ुद ही रोज़ा रखने का हुक्म दे या किसी को शहादत लेने के लिए मुक़र्रर करे और उसके पास शहादत अदा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गाँव में चाँद देखा और यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके पास गवाही दे तो गाँव वालों पर रोज़ा रखना लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने ख़ुद तो चाँद नहीं देखा मगर देखने वाले ने उसे अपनी शहादत का गवाह बनाया तो उसे उसकी शहादत का वही हुक्म है जो चाँद देखने वाले की गवाही का है जबकि शहादत अ़लश्शहादत यअ़नी गवाही पर गवाह बनाने की तमाम शर्तें पाई जायें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर मत्ला साफ़ हो (यअ़नी आसमान साफ़ हो)तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें चाँद का सुबूत नहीं हो सकता,रहा यह कि उसके लिए कितने चाहिए यह क़ाज़ी के मुतअ़ल्लिक़ है जितने गवाहों से उसे ग़ालिब गुमान हो जाये हुक्म दे देगा मगर जबकि शहर के बाहर या बलन्द जगह से चाँद देखना बयान करता है तो एक मस्तूर का क़ौल भी रमज़ान के चाँद में क़बूल कर लिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जमाअ़ते कसीरा (बड़ी जमाअ़त यानी बहुत से लोगों) की शर्त उस वक़्त है जब रोज़ा रखने या ईद करने के लिए शहादत गुज़रे और अगर किसी और मामले के लिए दो मर्द या एक मर्द दो औरतों सिक़ा (आ़दिल) की शहादत गुज़री और क़ाज़ी ने शहादत की बिना पर हुक्म दे दिया तो अब यह शहादत काफ़ी है रोज़ा रखने या ईद करने के लिए भी सुबूत हो गया मसलन एक शख़्स ने दूसरे पर दअ़्वा किया कि उसके ज़िम्मे इतना दैन है और उसकी मीआ़द यह ठहरी थी कि जब रमज़ान आ जाये तो दैन अदा कर देगा और रमज़ान आ गया मगर यह नहीं देता मुद्दआ़ अ़लैह(जिस पर दअ़्वा किया गया हो) ने कहा बेशक इसका दैन मेरे ज़िम्मे है और मीआ़द भी यही ठहरी थी मगर अभी रमज़ान नहीं आया उस पर मुद्दई ने दो गवाह गुज़ारे जिन्होंने चाँद देखने की शहादत दी क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि दैन अदा कर अगर्चे मत्ला साफ़ था और दो ही की गवाहियाँ हुई मगर अब रोज़ा रखने और ईद करने के हक़ में भी यह दो गवाहियाँ काफ़ी हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यहाँ मत्ला साफ़ था मगर दूसरी जगह साफ़ नहीं था वहाँ क़ाज़ी के सामने शहादत गुज़री। क़ाज़ी ने चाँद होने का हुक्म दिया, (अब दो या चन्द आदमियों ने यहाँ आकर जहाँ मत्ला साफ़ था इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ क़ाज़ी के यहाँ दो शख़्सों ने फ़ुलाँ रात में चाँद देखने की गवाही दी और उस क़ाज़ी ने हमारे सामने हुक्म दे दिया और दअ़्वे के शराइत भी पाये जाते हैं तो यहाँ का क़ाज़ी भी इन शहादतों की बिना पर हुक्म दे देगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कुछ लोग आकर यह कहें कि फ़ुलाँ जगह चाँद हुआ बल्कि शहादत भी दें कि फ़ुलाँ जगह चाँद हुआ बल्कि अगर यह शहादत दें कि फ़ुलाँ–फ़ुलाँ ने देखा बल्कि अगर यह शहादत दें कि फ़ुलाँ–फ़ुलाँ जगह के क़ाज़ी ने रोज़ा या इफ़्तार के लिए लोगों से कहा यह सब तरीक़े नाकाफ़ी हैं।(मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी शहर में चाँद हुआ और वहाँ से बहुत सी जमाअ़तें दूसरे शहर में आईं और सब ने उसकी ख़बर दी कि वहाँ फ़ुलाँ दिन चाँद हुआ है और तमाम शहर में यह बात मशहूर है और वहाँ के लोगों ने चाँद दिख जाने की बिना पर फ़ुलाँ दिन से रोज़े शुरूअ़ किये तो यहाँ वालों के लिए भी सुबूत हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रमज़ान की चाँद–रात को अब्र था एक शख़्स ने गवाही दी उसकी बिना पर रोज़े का हुक्म दे दिया गया और अब ईद का चाँद अब्र की वजह से नहीं देखा गया तो तीस रोज़े पूरे करके ईद कर लें और अगर मतला साफ़ है तो ईद न करें मगर जबकि दो आ़दिलों की गवाही से रमज़ान साबित हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मतला न साफ़ हो तो अलावा रमज़ान के शव्वाल, ज़िलहिज्जा बल्कि तमाम महीनों के लिए दो मर्द या एक मर्द दो औ़रतें गवाही दें और सब आ़दिल हों और आज़ाद हों और उनमें किसी पर तोहमते ज़िना की हद न क़ाइम की गई हो अगर्चे तौबा कर चुका हो और यह भी शर्त है कि गवाह गवाही देते वक़्त यह लफ़्ज़ कहे "मैं गवाही देता हूँ"। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– गाँव में दो शख़्सों ने ईद का चाँद देखा और मतला साफ़ है और वहाँ ऐसा नहीं जिसके पास यह शहादत दें तो गाँव वालों से कहें अगर यह आ़दिल हों तो लोग ईद कर लें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तन्हा इमाम या क़ाज़ी ने ईद का चाँद देखा तो उन्हें ईद करना या ईद का हुक्म देना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– उन्तीसवें रमज़ान को कुछ लोगों ने यह शहादत दी कि हमने लोगों से एक दिन पहले चाँद देखा जिसके हिसाब से आज तीस है तो अगर यह लोग यहीं थे तो इनकी गवाही मक़बूल नही कि वक़्त पर गवाही क्यों न दी और यहाँ न थे और आ़दिल हों तो क़बूल कर ली जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान का चाँद दिखाई न दिया या शअ़बान के तीस दिन पूरे करके रोज़े शुरूअ़ कर दिये। अट्ठाईस ही रोज़े रखे थे ईद का चाँद हो गया तो अगर शअ़बान का चाँद देखकर तीस दिन का महीना क़रार दिया था तो एक रोज़ा क़ज़ा रखें और अगर शअ़बान का भी चाँद दिखाई न दिया था बल्कि रजब की तीस तारीख़ पूरी करके शाबान का महीना शुरू किया तो दो रोज़े क़ज़ा रखें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दिन में हिलाल (चाँद)दिखाई दिया ज़वाल से पहले या बअ़्द बहरहाल वह आइन्दा रात का क़रार दिया जायेगा यअ़्नी अब जो रात आयेगी उससे महीना शुरूअ़ होगा तो अगर तीसवें रमज़ान के दिन में देखा तो यह दिन रमज़ान ही का है शव्वाल का नहीं और रोज़ा पूरा करना फ़र्ज़ है और अगर शअ़बान की तीसवीं तारीख़ के दिन में देखा तो यह दिन शअ़बान का है रमज़ान का नहीं। लिहाज़ा आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– एक जगह चाँद हुआ तो वह सिर्फ़ वहीं के लिए नहीं बल्कि तमाम जहान के लिए है मगर दूसरी जगह के लिए इसका हुक्म उस वक़्त है कि उन के नज़दीक उस दिन तारीख़ में चाँद होना शरई सुबूत से साबित हो जाये यअ़्नी देखने की गवाही या क़ाज़ी के हुक्म की शहादत

गुज़रे या बहुत सी जमाअत वहाँ से आकर ख़बर दें कि फुलाँ जगह चाँद है और वहाँ लोगों ने रोज़ा रखा या ईद की है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तार या टेलीफ़ोन से चाँद का हो जाना नहीं साबित हो सकता, न बाज़ारी अफ़वाह और जन्तरियों और अख़बारों में छपा होना कोई सुबूत है। आजकल उमूमन देखा जाता है कि उन्तीस रमज़ान को बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तार भेजे जाते हैं कि चाँद हुआ या नहीं अगर कहीं से तार आ गया बस लो ईद आ गई ,यह महज़ नाजाइज़ व हराम है। तार क्या चीज़ है अव्वलन तो यही मअ़लूम नहीं कि जिसके नाम लिखा है वाक़ई उसी का भेजा हुआ है और फ़र्ज़ करो उसी का हो तो तुम्हारे पास क्या सुबूत और यह भी सही तो तार में अकसर ग़लतियाँ होती ही रहती हैं हाँ का नहीं ,नहीं का हाँ मअ़मूली बात है और माना कि बिल्कुल सही पहुँचा तो यह महज़ एक ख़बर है शहादत नहीं और वह भी बीसों वास्तों से अगर तार देने वाला अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ नहीं तो किसी और से लिखवायेगा मअ़लुम नहीं कि उसने क्या लिखवाया इसने क्या लिखा आदमी को दिया,उसने तार वाले के हवाले किया। अब यहाँ के तार–घर में पहुँचा तो उसने तक़सीम करने वाले को दिया उसने अगर किसी और के हवाले कर दिया तो मअ़लूम नहीं कितने वास्तों से इसको मिले और अगर इसी को दिया जब भी कितने वास्ते हैं फिर यह देखिये कि मुसलमान मस्तूर जिसका आ़दिल व फ़ासिक़ होना मअ़लूम न हो उस तक की गवाही मोअ़तबर(एअ़तिबार के क़ाबिल)नहीं और यहाँ जिन–जिन ज़रीओं से तार पहुँचा उनमें सब के सब मुसलमान ही हों यह एक अक़्लीए हतिमाल है जिसका वुजूद मअ़लूम नहीं होता और अगर यह मकतूब इलैह (जिसको ख़त लिखा गया)साहब भी अंग्रेज़ी पढ़े न हों तो किसी से पढ़वायेंगे अगर किसी काफ़िर ने पढ़ा तो क्या एअ़तिबार और मुसलमान ने पढ़ा तो क्या एअ़तिमाद कि सही पढ़ा। ग़रज़ शुमार कीजिए तो ब–कसरत(बहुत सी)ऐसी वजहें हैं जो तार के एअ़तिबार को ख़त्म करती हैं। फुक़हा ने ख़त का तो एअ़तिबार ही न किया अगर्चे कातिब के दस्तख़त व तहरीर पहचानता हो और उस पर उसकी मोहर भी हो कि اَلْخَطُّ يَشْبَهُ الْخَطَّ وَ الْخَاتَمُ يَشْبَهُ الْخَاتَمَ ख़त ख़त के मुशाबेह होता है और मोहर मोहर के और यहाँ तो तार है,और अल्लाह ज़्यादा जानता है।

मसअला :– हिलाल देखकर उसकी तरफ़ उंगली से इशारा करना मकरूह है अगर्चे दूसरों को बताने के लिए हो। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

उन चीज़ो का बयान जिनसे रोज़ा नहीं जाता

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस पर क़ै ने ग़लबा किया उस पर क़ज़ा नहीं और जिसने क़स्दन क़ै की उस पर रोज़ा क़ज़ा है।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक शख़्स ने ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की मेरी आँख में मरज़ है क्या रोज़े की हालत में सुर्मा लगाऊँ। फ़रमाया हाँ।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीचें रोज़ा नहीं तोड़तीं पछना (ख़ून निकलवाना)और क़ै और एहतिलाम।

तम्बीह :– इस बाब में उन चीजों का बयान है जिन से रोज़ा नहीं टूटता रहा यह अम्र (बात)कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं उससे इस बाब को तअ़ल्लुक़ नहीं न यह कि फ़ेल जाइज़ है या नाजाइज़।

मसअ्ला :– भूलकर खाया या पिया या जिमा़ किया रोज़ा फ़ासिद न हुआ ख़्वाह वह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़्ल और रोज़े की नियत से पहले यह चीज़ें पाई गयीं या बअ्द में मगर जब याद दिलाने पर भी याद न आया कि रोज़ादार है तो अब फ़ासिद हो जायेगा ब–शर्ते कि याद दिलाने के बअ्द यह अफ़आल वाक़ेअ् हुए हों मगर इस सूरत में कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी रोज़ादार को इन अफ़आ़ल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है याद न दिलाया तो गुनाहगार होगा मगर जबकि वह रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो कि याद दिलायेगा तो वह खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जायेगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी त़रह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी ब–ख़ूबी अदा कर लेगा तो इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है। बा़ज़ मशाइख़ ने कहा ज़वान को देखे तो याद दिला दे और बूढ़े को देखे तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं मगर यह हुक्म अकसर के लिहाज़ से है कि जवान अकसर क़वी होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर और अस्ल हुक्म यह है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दख़्ल नहीं बल्कि कुव्वत व ज़ुअ्फ़ (कमज़ोरी)का लिहाज़ है। लिहाज़ा अगर जवान इस क़द्र कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं और बूढ़ा क़वी हो तो याद दिलाना वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मक्खी या धूल या ग़ुबार ह़ल्क़ में जाने से रोज़ा नहीं टूटता ख़्वाह वह ग़ुबार आटे का हो कि चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है या ग़ल्ले का ग़ुबार हो या हवा से ख़ाक उड़ी या जानवरों के खुर या टाप से ग़ुबार उड़ कर ह़ल्क़ में पहुँचा अगर्चे रोज़ादार होना याद था और अगर खुद क़स्दन धुआँ पहुँचाया तो फ़ासिद हो गया जबकि रोज़ादार होना याद हो ख़्वाह वह किसी चीज़ का धुआँ हो और किसी त़रह पहुँचाया हो यहाँ तक कि अगर की बत्ती वग़ैरा ख़ुशबू सुलगती थी उसने मुँह क़रीब करके धुँए को नाक से खींचा रोज़ा जाता रहा। यूँही हुक़्क़ा पीने से भी रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ा याद हो और हुक़्क़ा पीने वाला अगर पीये तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम आयेगा।

मसअ्ला :– भरी सिंगी लगवायी या तेल या सुर्मा लगाया तो रोज़ा न गया अगर्चे तेल या सुर्मे का मज़ा ह़ल्क़ में मह़सूस होता हो बल्कि थूक में सुर्मे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं टूटा।

मसअ्ला :– बोसा लिया मगर इन्ज़ाल न हुआ तो रोज़ा नहीं। टूटा यूहीं औरत की त़रफ़ बल्कि उसकी शर्मगाह की त़रफ़ नज़र की मगर हाथ न लगाया और इन्ज़ाल हो गया अगर्चे बार–बार नज़र करने या जिमा़ वग़ैरा के ख़्याल करने से इन्ज़ाल हुआ अगर्चे देर तक ख़्याल जमाने से ऐसा हुआ हो उन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा। (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ग़ुस्ल किया और पानी की खुनकी अन्दर मह़सूस हुई या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया सिर्फ़ कुछ तरी मुँह में बाक़ी रह गयी थी थूक के साथ उसे निगल गया या दवा कूटी और ह़ल्क़ में उसका मज़ा मह़सूस हुआ या हड़ चूसी और थूक निगल गया मगर थूक के साथ हड़ का कोई जुज़ ह़ल्क़ में न पहुँचा या कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला अगर्चे चन्द बार किया

हो या दाँत या मुँह में ख़फ़ीफ़ (बहुत थोड़ी) चीज़ मअ़मूली सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जायेगी और वह उतर गई या दाँतों से खून निकलकर हल्क़ तक पहुँचा मगर हल्क़ से नीचे न उतरा तो उन सब सूरतों में रोज़ा न गया। (दुर्रे मुख़्तार फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :- रोज़ादार के पेट में किसी ने नेज़ा या तीर भोंक दिया अगर्चे उसकी भाल या पैकान (फ़ल) पेट के अन्दर रह गई, या उसके पेट में झिल्ली तक ज़ख़्म था किसी ने कंकरी मारी कि अन्दर चली गयी तो रोज़ा नहीं टूटा और अगर खुद उसने यह सब किया और भाल या पैकान या कंकरी अन्दर रह गयी तो जाता रहा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :- बात करने में थूक से होंट तर हो गये और उसे पी गया, मुँह से राल टपकी मगर तार टूटा न था उसे चढ़ा कर पी गया, नाक में रेंठ आ गयी बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ता (अलग) न हुई थी कि उसे चढ़ा कर निगल गया या खंकार मुँह में आया और खा गया अगर्चे कितना ही हो रोज़ा न जायेगा मगर इन बातों से एहतियात चाहिये। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :- मक्खी हल्क़ में चली गयी रोज़ा न गया और क़स्दन निगली तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :- ग़ैरे सबीलैन में जिमा किया (शर्म गाहों के अलावा मज़ा हासिल किया) तो जब तक इन्ज़ाल न हो रोज़ा न टूटेगा। यूँही हाथ से मनी निकालने में अगर्चे यह सख़्त हराम हैं कि हदीस में उसे मलऊन फ़रमाया। (दुर्रे मख़्तार)

मसअ्ला :- चौपाया या मुर्दा से जिमा किया और इन्ज़ाल न हुआ तो रोज़ा न गया और इन्ज़ाल हुआ तो जाता रहा मादा जानवर का बोसा लिया या उसकी फर्ज (फ़र्ज पेशाब की जगह) को छुआ तो रोज़ा न गया अगर्चे इन्ज़ाल हो गया। (दुर्रे मुख़्तार) (अगर्चे यह काम ग़ैर इस्लामी व नाजाइज़ हैं। (क़ादरी)

मसअ्ला :- एहतिलाम हुआ या गीबत की तो रोज़ा न गया अगर्चे ग़ीबत बहुत सख़्त कबीरा गुनाह है क़ुर्आन मजीद में ग़ीबत करने की निस्बत ग़ीबत ज़िना से भी सख़्त तर है अगर्चे ग़ीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :- जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर्चे सारे दिन जुनुब रहा रोज़ा न गया मगर इतनी देर तक क़स्दन (जान बूझ कर) गुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाये गुनाह व हराम है। हदीस में फ़रमाया कि जुनुब (बे-गुस्ला) जिस घर में होता है उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- जिन्न यअ्नी परी से जिमाअ् किया तो जब तक इन्ज़ाल न हो रोज़ा न टूटेगा। (रद्दुल मुहतार) यअ्नी जबकि इन्सानी शक्ल में न हो और इन्सानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इन्सान से जिमा करने का है।

मसअ्ला :- तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्क़ से उतर गई तो रोज़ा न गया मगर जबकि उसका मज़ा हल्क़ में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। (फ़तहुल क़दीर)

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

हदीस न.1 :- बुख़ारी व अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत बग़ैर मरज़ के न रखा तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता अगर्चे रख भी ले यअ्नी वह फ़ज़ीलत जो रमज़ान में रखने की थी

किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। तो जब रोज़ा न रखने में यह सख़्त वईद है,रखकर तोड़ देना इससे सख़्ततर है।

हदीस न.2 :– इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि हुज़ूर फ़रमाते हैं मैं सो रहा था दो शख़्स हाज़िर हुए और मेरे बाज़ू पकड़ कर एक पहाड़ के पास ले गये और मुझसे कहा चढ़िये। मैंने कहा मुझमें इस की ताक़त नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो सख़्त आवाज़ें सुनाई दीं,मैंने कहा यह कैसी आवाज़ें हैं। उन्होंने कहा यह जहन्नमियों की आवाज़ें हैं फिर मुझे आगे ले गये। मैंने एक क़ौम को देखा वह लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिससे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं कहा यह वह लोग हैं कि वक़्त से पहले रोज़ा इफ़्तार कर देते हैं।

हदीस न.3 :– अबू यअ्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि इस्लाम के कड़े (बुनियाद) और दीन के क़वाइद तीन हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद मज़बूत की गई जो उनमें एक को तर्क करे वह काफ़िर है उसका खून हलाल है कलिमए तौहीद की शहादत और नमाज़े फ़र्ज़ और रोज़ए रमज़ान और एक रिवायत में है जो उनमें से एक को तर्क करे वह अल्लाह के साथ कुफ़्र करता है और उसका फ़र्ज़ व नफ़्ल कुछ मक़बूल नहीं।

मसअ्ला :– खाने–पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– हुक़्क़ा ,सिगार ,सिगरेट, चर्स पीने से रोज़ा जाता रहता है अगर्चे अपने ख़्याल में हल्क़ तक धूआँ न पहुँचाता हो बल्कि पान या सिर्फ़ तम्बाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगर्चे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अजज़ा ज़रूर हल्क़ में पहुँचते हैं।

मसअ्ला :– शकर वग़ैरा ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं मुँह में रखीं और थूक निगल गया रोज़ा जाता रहा। यूँही दाँतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली या दाँतों से खून निकल कर हल्क़ से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हल्क़ में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा और अगर कम था और मज़ा भी महसूस न हुआ तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़े में दाँत उखड़वाया और खून निकल कर हल्क़ से नीचे उतरा अगर सोते में ऐसा हुआ तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई चीज़ पाख़ाने के मक़ाम में रखी अगर उसका दूसरा सिरा बाहर रहा तो नहीं टूटा वरना जाता रहा, लेकिन अगर वह तर है और उसकी रुतूबत (तरी) अन्दर पहुँची तो मुतलक़न जाता रहा यही हुक्म औरत की शर्मगाह का है। शर्मगाह से मुराद इस बाब में फर्जे दाख़िल है, यूँही अगर डोरे में बोटी बाँधकर निगल ली और डोरे का दूसरा किनारा बाहर रहा और जल्द निकाल ली कि गलने न पाई तो नहीं गया और अगर दूसरा किनारा भी अन्दर चला गया या बोटी का कुछ हिस्सा अन्दर रह गया तो रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने पेशाब के मक़ाम में रूई या कपड़ा रखा और बिल्कुल बाहर न रहा रोज़ा जाता रहा,और खुश्क उंगली पाखाने के मक़ाम में रखी या औरत ने शर्मगाह में तो रोज़ा न गया और भीगी थी या उस पर कुछ लगा था तो जाता रहा बशर्ते कि पाख़ाने के मक़ाम में उस जगह रखी हो जहाँ अमल देते यअ्नी पाखाने के मक़ाम में दवा डालते वक़्त हुक़ना का सिरा रखते हैं।

मसअला :— मुबालगे के साथ इस्तिन्जा किया यहाँ तक कि हुक़ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया रोज़ा जाता रहा और इतना मुबालग़ा चाहिए भी नहीं कि इससे सख़्त बीमारी का अन्देशा है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— मर्द ने पेशाब के सूराख़ में पानी या तेल डाला तो रोज़ा न गया अगर्चे मसाने तक पहुँच गया हो और औरत ने शर्मगाह में टपकाया तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअला :— दिमाग़ या शिकम (पेट)की झिल्ली तक ज़ख़्म है उसमें दवा डाली अगर दिमाग़ या शिकम तक पहुँच गई रोज़ा जाता रहा ख़्वाह वह दवा तर हो या ख़ुश्क और अगर मअ्लूम न हो कि दिमाग़ या शिकम तक पहुँची या नहीं और दवा तर थी जब भी जाता रहा और ख़ुश्क थी तो नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :— हुक़ना लिया या नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया रोज़ा जाता रहा और पानी कान में चला गया या डाला तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :— कुल्ली कर रहा था कि बिलाक़स्द पानी हल्क़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया रोज़ा जाता रहा मगर जब कि रोज़ा होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगर्चे क़स्दन (जानबूझ कर) हो। यूहीं किसी ने रोज़ादार की तरफ़ कोई चीज़ फेंकी वह उसके हल्क़ में चली गयी रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअला :— सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुँह खुला था और पानी का क़तरा या ओला हल्क़ में जा रहा रोज़ा जाता रहा। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअला :— दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअला :— डोरा बटा उसे तर करने के लिए मुँह पर गुज़ारा फिर दोबारा व तिबारा यूँही किया रोज़ा न जायेगा मगर जबकि डोरे से कुछ रुतूबत जुदा होकर मुँह में रही और थूक निगल गया तो रोज़ा जाता रहा। (जौहरा)

मसअला :— आँसू मुँह में चला गया और निगल लिया अगर क़तरा दो क़तरा है तो रोज़ा न गया और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुँह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीना का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअला :— पाख़ाने का मक़ाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म है कि कपड़े से ख़ूब पोंछकर उठे कि तरी बिल्कुल बाक़ी न रहे और अगर पानी उस पर बाक़ी था और ख़ड़ा हो गया कि पानी अन्दर चला गया तो रोज़ा फ़ासिद हो गया। इसी वजह से फ़ुक़हाए किराम फ़रमाते हैं रोज़ादार इस्तिन्जा करने में साँस न ले। (आलमगीरी)

मसअला :— औरत का बोसा लिया या छूआ या मुबाशरत (यहाँ मुबाशरत से मुराद चूमना वग़ैरा है) की या गले लगाया और इन्ज़ाल हो गया यानी मनी बाहर हो गई तो रोज़ा जाता रहा। और औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इन्ज़ाल हो गया तो रोज़ा न गया। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फ़ासिद न हुआ अगर्चे इन्ज़ाल हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :— क़स्दन भर मुँह "क़ै" की और रोज़ादार होना याद है तो मुतलक़न रोज़ा जाता रहा और उससे कम की तो नहीं और बिला इख़्तियार 'क़ै' हो गई तो भर मुँह है या नहीं और बहरहाल वह लौट कर हल्क़ में चली गयी या उसने ख़ुद लौटाई या क़ै न लौटी न लौटाई तो अगर भर मुँह न हो रोज़ा न गया अगर्चे लौट गई या उसने ख़ुद लौटाई और भर मुँह है और उसने ख़ुद लौटाई तो

अगर उस में से सिर्फ़ चने बराबर हल्क़ से उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कै के अहकाम उस वक़्त हैं कि कै में खाना आये या सफ़रा (पित्त) या खून और अगर बलग़म आया तो मुतलक़न रोज़ा न टूटा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान में बिला उज़्र जो शख़्स अलानिया क़स्दन यअ्नी खुलेआम खाये–पिये तो हुक्म है उसे क़त्ल किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

उन सूरतों का बयान जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है

मसअ्ला :– यह गुमान था कि सुबहे सादिक़ नहीं हुई और खा लिया या पी लिया या जिमा किया बअ्द को मअ्लूम हुआ कि सुबहे सादिक़ हो चुकी थी,या खाने–पीने पर मजबूर किया गया यअ्नी इकराहे शरई पाया गया यअ्नी ज़बरदस्ती या सख़्त धमकी देकर खिलाया गया अगर्चे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है यअ्नी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– भूलकर खाया या पिया या जिमा किया था या नज़र करने से इन्ज़ाल हुआ था या एहतिलाम हुआ या कै हुई और इन सब सूरतों में यह गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा अब क़स्दन खा लिया तो सिर्फ़ क़ज़ा फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग़ की झिल्ली तक ज़ख़्म था उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग़ तक पहुँच गयी या हुक़ना लिया नाक से चढ़ाई, या पथरी, कंकरी, मिट्टी, रूई, काग़ज़, घास वग़ैरा ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं या रमज़ान में बिला नियते रोज़ा रोज़े की तरह रहा या सुबहे सादिक़ को नियत–नहीं की थी दिन में ज़वाल से पहले नियत की और नियत के बाद खा लिया या रोज़े की नियत थी मगर रोज़ए रमज़ान की नियत न थी या उसके हल्क़ में मेंह की बूँद या ओला जा रहा या बहुत सा आँसू या पसीना निगल गया या बहुत छोटी लड़की से जिमा किया जो क़ाबिले जिमा न थी या मुर्दा या जानवर से वती की या रान या पेट पर जिमा किया या बोसा या औरत के होंट चूसे या औरत का बदन छूआ अगर्चे कोई कपड़ा बीच में हाइल (आड़) हो मगर बदन की गर्मी महसूस होती हो और इन सब सूरतों में इन्ज़ाल भी हो गया या हाथ से मनी निकाली या मुबाशरते फ़ाहिशा (ज़कर के शर्मगाह से छू जाने को मुबाशरते फ़ाहिशा कहते हैं) से इन्ज़ाल हो गया या अदाये रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फ़ासिद कर दिया अगर्चे वह रमज़ान ही की क़ज़ा हो या औरत रोज़ादार सो रही थी सोते में उससे वती की गई या सुबहे सादिक़ को होश में थी और रोज़े की नियत कर ली थी फिर पागल हो गयी और उसी हालत में उससे वती की गयी या यह गुमान कर के कि रात है सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालाँकि सुबहे सादिक़ हो चुकी थी या यह गुमान करके कि आफ़ताब डूब गया है इफ़्तार कर लिया हालाँकि डूबा न था या दो शख़्सों ने शहादत दी आफ़ताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है और उसने रोज़ा इफ़्तार कर लिया बअ्द को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था इन सब सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है कफ़्फ़ारा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने इक़ामत की, हैज़ व निफ़ास वाली पाक हो गयी,मजनून को होश हो गया, मरीज़ था अच्छा हो गया जिसका रोज़ा जाता रहा अगर्चे जबरन किसी ने तुड़वा दिया या ग़लती से पानी वग़ैरा कोई चीज़ हल्क़ में जा रही, काफ़िर था मुसलमान हो गया, नाबालिग़ था बालिग़ हो

गया रात समझकर सहरी खाई थी हालाँकि सुबहे सादिक हो चुकी थी गुरूब समझकर इफ़्तार कर लिया हालाँकि दिन बाकी था तो इस सब सूरतों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े की मिस्ल गुजारना वाजिब है और नाबालिग़ जो बालिग़ हुआ या काफ़िर था मुसलमान हुआ उन पर उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं बाकी सब पर कज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नाबालिग़ दिन में बालिग़ हुआ या काफ़िर दिन में मुसलमान हुआ और वह वक़्त ऐसा था कि रोज़े की नियत हो सकती है और नियत कर भी ली फिर वह रोज़ा तोड दिया तो उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चे की उम्र दस साल की हो जाये और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाये न रखे तो मार कर रखवायें अगर पूरी ताक़त देखी जाये और रखकर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म न देंगे और नमाज़ तोड़े तो फिर पढ़वायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हैज़ व निफ़ास वाली सुबहे सादिक के बअ्द पाक हो गई अगर्चे ज़हवए कुबरा से पहले और रोज़े की नियत कर ली तो आज का रोज़ा न हुआ न फ़र्ज़ न नफ़्ल और मरीज़ या मुसाफ़िर ने नियत की या मजनून था होश में आकर नियत की तो उन सब का रोज़ा हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सुबहे सादिक से पहले या भूलकर जिमा में मशगूल था सुबहे सादिक होते ही याद आने पर फ़ौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं और उसी हालत पर रहा तो कज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मय्यत के रोज़े कज़ा हो गये तो उसका वली उसकी तरफ़ से फ़िदिया अदा कर दे यअ्नी जबकि वसीयत की और माल छोड़ा हो वरना वली पर ज़रूरी नहीं, कर दे तो बेहतर है।

उन सूरतों का बयान जिन में कफ़्फ़ारा भी लाज़िम है

मसअला :– रमज़ान में रोज़ादार मुकल्लफ़ मुकीम ने कि अदाए रमज़ान के रोज़े की नियत से रोज़ा रखा और किसी आदमी के साथ जो काबिले शहवत है उसके आगे–पीछे के मकाम में जिमा किया इन्ज़ाल हुआ हो या नहीं या उस रोज़ादार के साथ जिमा किया गया या कोई गिज़ा या दवा खाई या पानी पिया या कोई चीज़ लज़्ज़त के लिए खाई या पी या कोई ऐसा फ़ेल (काम)किया जिससे इफ़्तार का गुमान न होता हो और उसने गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा फिर जानबूझ कर खा पी लिया मसलन फ़स्द या पछना लिया या सुर्मा लगाया या जानवर से वती की या औरत को छुआ या बोसा लिया या साथ लिटाया या मुबाशरते फ़ाहिशा की मगर इन सब सूरतों में इन्ज़ाल न हुआ या पाख़ाने के मकाम मे अन्दर खुश्क उंगली रखी अब इन अफ़आल(कामों) के बाद कस्दन खा लिया तो इन सब सूरतों में रोज़े की कज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम हैं और अगर उन सूरतों में कि इफ़्तार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया अगर किसी मुफ़्ती ने फ़तवा दे दिया था कि रोज़ा जाता रहा और मुफ़्ती ऐसा हो कि अहले शहर का उस पर एअ्तिमाद हो उसके फ़तवा देने पर उसने कस्दन खा लिया या उसने कोई हदीस सुनी थी जिसके सही मअ्ना न समझ सका और उस ग़लत मअ्ना के लिहाज़ से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और कस्दन खा लिया तो अब कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं अगर्चे मुफ़्ती ने ग़लत फ़तवा दिया या जो हदीस उसने सुनी साबित न हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जिस जगह रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रमज़ान के रोज़े की नियत की हो अगर दिन में नियत की और तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर सुबहे सादिक़ के बअ्द ज़हवए कुबरा से पहले वतन को आया और रोज़े की नियत कर ली फिर तोड़ दिया या मजनून इस वक़्त होश में आया और रोज़े की नियत कर के फिर तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसा काम न हुआ हो जो रोज़े के मुनाफ़ी खिलाफ़ हो या बग़ैर इख़्तियार ऐसा काम न पाया गया हो जिसकी वजह से रोज़ा इफ़्तार करने (तोड़ने)की रुख़सत होती मसलन औरत को उसी दिन हैज़ या निफ़ास आ गया या रोज़ा तोड़ने के बअ्द उसी दिन ऐसा बीमार हो गया जिसमें रोज़ा न रखने की इजाज़त है तो कफ़्फ़ारा साक़ित है और सफ़र से साक़ित न होगा कि यह इख़्तियारी अम्र(काम)है यअ्नी अगर कोई जानबूझ कर रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रख कर बिला वजहे शरई तोड़ दे फिर ख़्याल करके मुझ पर कफ़्फ़ारा फ़र्ज़ न हो शरई सफ़र में चला जाये मसलन बरेली शरीफ़ से मारहरा शरीफ़ सफ़र करे बीच में कहीं न रुके जब भी कफ़्फ़ारा फ़र्ज़ है इसलिए कि उस शख़्स ने यह सफ़र खुद से इख़्तियार किया ताकि अपनी हरामकारी पर सज़ा पाने से बच जाये मगर बचेगा हरगिज़ नहीं। यूँही अगर अपने को ज़ख़्मी कर लिया और हालत यह हो गई कि रोज़ा नहीं रख सकता कफ़्फ़ारा साक़ित न होगा। (जौहरा)

मसअ्ला :– वह काम किया जिससे कफ़्फ़ारा वाजिब होता है फिर बादशाह ने उसे सफ़र पर मजबूर किया कफ़्फ़ारा न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला : – मर्द को मजबूर करके जिमा कराया या औरत को मर्द ने मजबूर किया फिर जिमा ही के दरमियान में अपनी खुशी से मशग़ूल रहा या रही तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं कि रोज़ा तो पहले ही टूट चुका है। (जौहरा) मजबूरी से मुराद इकराहे शरई है जिसमें क़त्ल या उज़्व काट डालने या ज़र्बे शदीद (बहुत सख़्त मार) की सही धमकी दी जाये और रोज़ादार भी समझे कि अगर मैं इस का कहना न मानूँगा तो जो कहता है कर गुज़रेगा।

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए भर पेट खाना ज़रूरी नहीं थोड़ा सा खाने से भी वाजिब हो जायेगा। (जौहरा)

मसअ्ला :– तेल लगाया या ग़ीबत की फिर यह गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा या किसी आलिम ही ने रोज़ा जाने का फ़तवा दे दिया अब उसने खा पी लिया जब भी कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–"क़ै" आयी या भूलकर खाया पिया या जिमा किया और इन सब सूरतों में उसे मअ्लूम था कि रोज़ा न गया फ़िर उसके बाद खा लिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और अगर एहतिलाम हुआ और उसे मअ्लूम था कि रोज़ा न गया फिर उसके बाद खा लिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं उनमें शर्त है कि एक ही बार ऐसा हुआ हो और मअ्सीयत (गुनाह) का इरादा न किया हो वरना उनमें कफ़्फ़ारा देना होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कच्चा गोश्त खाया अगर्चे मुर्दार का हो तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है मगर जबकि सड़ा हो या उसमें कीड़े पड़ गये हों,तो कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मिट्टी खाने से कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर गुले अरमनी या वह मिट्टी जिसके खाने

की उसे आदत है खाई तो कफ़्फ़ारा वाजिब है ज़्यादा खाया तो नहीं। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअला :– नजिस शोरबे में रोटी भिगोकर खाई या किसी की कोई चीज़ ग़सब करके खायी तो कफ़्फ़ारा वाजिब है और थूक में ख़ून था अगर्चे ख़ून ग़ालिब हो निगल लिया या ख़ून पी लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।(जौहरा)

मसअला :– कच्चा अमरूद खाया या पिस्ता या अख़रोट मुसल्लम (साबुत) या खुश्क बादाम मुसल्लम निगल लिया या छिलके समेत अण्डा या छिलके के साथ अनार खा लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं और खुश्क पिस्ता या खुश्क बादाम अगर चबाया और उसमें मग़ज़ भी हो तो कफ़्फ़ारा है और मुसल्लम निगल लिया हो तो नहीं अगर्चे फटा हुआ हो और तर बादाम निगलने में भी कफ़्फ़ारा है। (आलमगीरी)

मसअला :– चने का साग खाया तो कफ़्फ़ारा वाजिब यही हुक्म दरख़्त के पत्तों का है जबकि खाये जाते हों वरना नहीं।

मसअला :– ख़रबूज़ा या तरबूज़ का छिलका खाया अगर खुश्क हो या ऐसा हो कि लोग उसके खाने से घिन करते हों तो कफ़्फ़ारा नहीं वरना है। कच्चे चावल बाजरा,मसूर,मूँग खाई तो कफ़्फ़ारा नहीं यह हुक्म कच्चे जौ का है और भुने हुए हों तो कफ़्फ़ारा लाज़िम। (आलमगीरी)

मसअला :– तिल या तिल बराबर खाने की कोई चीज़ बाहर से मुँह में डाल कर बग़ैर चबाये निगल गया तो रोज़ा गया और कफ़्फ़ारा वाजिब। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दूसरे ने निवाला चबाकर दिया उसने खा लिया या उसने खुद अपने मुँह से निकालकर खा लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)ब–शर्ते कि उसके चबाये हुए को लज़्ज़त या तबर्रुक न समझता हो।

मसअला :– सहरी का निवाला मुँह में था कि सुबहे सादिक़ तुलू हो गयी या भूलकर खा रहा था तो निवाला मुँह में था कि याद आ गया और निगल लिया तो दोनों सूरतों में कफ़्फ़ारा वाजिब मगर जब मुँह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने नाबालिग़ या मजनून से वती कराई या मर्द को वती करने पर मजबूर किया तो औरत पर कफ़्फ़ारा वाजिब है मर्द पर नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– मुश्क, ज़अ्फ़रान, काफ़ूर, सिरका खाया या ख़रबूज़ा, तरबूज़,ककड़ी, खीरा, बाक़ला(एक सब्ज़ी का नाम)का पानी पिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– रमज़ान में रोज़ादार क़त्ल के लिए लाया गया उसने पानी माँगा किसी ने उसे पानी पिला दिया फिर वह छोड़ दिया गया तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– बारी से बुख़ार आता था यअ्नी हफ़्ते में एक दिन मुक़र्रर था आज बारी का दिन था उसने वह गुमान करके कि बुख़ार आयेगा रोज़ा क़स्दन तोड़ दिया तो इस सूरत में कफ़्फ़ारा साक़ित है और यूँही औरत को किसी मुअय्यन तारीख़ पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था उसने क़स्दन रोज़ा तोड़ दिया और हैज़ न आया तो कफ़्फ़ारा साक़ित हो गया यूँही अगर यक़ीन था कि दुश्मन से आज लड़ना है और रोज़ा तोड़ डाला और लड़ाई न हुई तो कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा यह है कि मुमकिन हो तो एक रक़बा यअ्नी बांदी या गुलाम आज़ाद कर दे और यह न कर सके मसलन उसके पास न लौंडी गुलाम है न इतना माल कि ख़रीदे या माल तो है मगर रक़बा मयस्सर नहीं जैसे आजकल यहाँ हिन्दुस्तान में,तो पै–दर पै साठ रोज़े यह भी न कर सके तो साठ मसाकीन को भर–भर पेट दोनों वक़्त खाना खिलाये

और रोज़े की सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी छूट गया तो अब से साठ रोज़े रखे पहले के रोज़े महसूब (शुमार)न होंगे अगर्चे उनसठ रख चुका था अगर्चे बीमारी वग़ैरा किसी उज़्र के सबब छूटा हो मगर औरत को हैज़ आ जाये तो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए यह नागे नहीं शुमार किये जायेंगे यअ्नी पहले के रोज़े और हैज़ के बअ्द वाले दोनों मिलाकर साठ हो जाने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा। (फ़तुहे क़दीर)

मसअ्ला :– अगर दो रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए दो कफ़्फ़ारा दे अगर्चे पहले का अभी कफ़्फ़ारा अदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)यअ्नी जबकि दोनों दो रमज़ान के हों और अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हों और पहले का कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो एक ही कफ़्फ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है। (जौहरा) कफ़्फ़ारे के मुतअ़ल्लिक़ दीगर जुज़यात किताबुत्तलाक़ बाबुल ज़िहार में इन्शाअल्लाह तआ़ला मअ्लूम होंगे।

मसअ्ला :– आज़ाद व ग़ुलाम, मर्द व औरत बादशाह व फ़क़ीर सब पर रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होता है यहाँ तक कि बांदी को अगर मअ्लूम था कि सुबहे सादिक़ हो गई उसने अपने आक़ा को ख़बर दी कि अभी सुबहे सादिक़ न हुई. उसने उसके साथ जिमा किया तो लौंड़ी पर कफ़्फ़ारा वाजिब होगा और उसके मौला पर क़ज़ा है कफ्फारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

रोज़े के मकरूहात का बयान

हदीस न.1व 2 :– बुख़ारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बुरी बात कहना और उस पर अ़मल करना न छोड़े तो अल्लाह तआ़ला को इसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना–पीना छोड़ दिया है और उसके मिस्ल तबरानी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु सेरिवायत की।

हदीस न.3व4 :– इब्ने माजा व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम व बैहक़ी व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि उन्हें रोज़े से सिवा प्यास के कुछ नहीं और बहुत से रात में क़ियाम करने वाले ऐसे हैं कि उन्हें जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं और इसी के मिस्ल तबरानी ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.5व 6 :– बैहक़ी अबू उ़बैदा और तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा सिपर (ढाल)है जब तक उसे फाड़ा न हो। अ़र्ज़ की गई किस चीज़ से फाड़ेगा। इरशाद फ़रमाया झूट या ग़ीबत से।

हदीस न.7 :– इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने और पीने से बाज़ रहना हो रोज़ा तो यह है कि बेहूदा बातों से भी बचा जाये।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से रोज़ादार को मुबाशरत करने के बारे में सवाल किया हुज़ूर ने उन्हें इजाज़त दी,फिर एक दूसरे सहाबी ने हाज़िर होकर यही सवाल किया तो उन्होंने मना फ़रमाया और जिन को इजाज़त दी थी बूढ़े थे और जिन को मना फ़रमाया जवान थे। (इस

हदीस में मुबाशरत से मुराद बोसा और चूमना वग़ैरा है जिमा नहीं।
हदीस न.9 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी आमिर इब्ने रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने बेशुमार बार नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े में मिस्वाक करते देखा।
मसअला :– झूट, चुग़ली, ग़ीबत,गाली देना, बेहूदा बात,किसी को तकलीफ़ देना कि यह चीज़ें वैसे भी नाजाइज़ व हराम हैं ,रोज़े में और ज़्यादा हराम और इन की वजह से रोज़े में कराहत आती है।
मसअला :– रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है,चखने के लिए उज़्र यह है कि मसलन औरत का शौहर या बांदी या गुलाम का आक़ा बदमिज़ाज है कि नमक कम या ज़्यादा होगा तो आक़ा बहुत नाराज़ होगा तो इस वजह से चखने में हरज नहीं। चबाने के लिए यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये न हैज़ व निफ़ास वाली या न कोई और बे–रोज़ेदार ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वग़ैरा चबाना मकरूह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअला :– चखने के वह मअ़्ना नहीं जो आजकल आम मुहावरा है यअ़्नी किसी चीज़ का मज़ा दरयाफ़्त करने के लिये उसमें से थोड़ा खा लेना कि यूँ हो तो कराहत कैसी, रोज़ा ही जाता रहेगा बल्कि कफ़्फ़ारा के शराइत पाये जायें तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा बल्कि चखने से मुराद यह है कि ज़बान पर रखकर मज़ा दरयाफ़्त कर ले और उसे थूक दे उसमें से हल्क़ में कुछ न जाने पाये।
मसअला :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि न चखेगा तो नुक़सान होगा तो चखने में हरज नहीं वरना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– बिला उज़्र चखना जो मकरूह बताया गया यह फ़र्ज़ रोज़े का हुक्म है नफ़्ल में कराहत नहीं जबकि उसकी हाजत हो। (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है जबकि यह अन्देशा हो कि इन्ज़ाल हो जायेगा या जिमा में मुबतला होगा और होंट और ज़बान चूसना रोज़ा में मुतलक़न मकरूह है, यूँही मुबाशरते फ़ाहिशा (ज़कर के शर्मगाह से छू जाने को मुबाशरते फ़ाहिशा कहते हैं)
मसअला :– गुलाब या मुश्क वग़ैरा, सूँघना दाढ़ी मूँछ में तेल लगाना और सुर्मा लगाना मकरूह नहीं मगर जबकि ज़ीनत के लिए सुर्मा लगाया या इस लिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाये हालाँकि एक मुश्त दाढ़ी है तो ये दोनों बातें बग़ैर रोज़े के भी मकरूह हैं और रोज़ा में और ज़्यादा मकरूह।(दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– रोज़े में मिस्वाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है रोज़े में भी मसनून है मिस्वाक ख़ुश्क हो या तर अगर्चे पानी से तर हो ज़वाल से पहले करे या बाद किसी वक़्त मकरूह नहीं (आम्मए कुतुब)अक्सर लोगों में मशहूर है कि दोपहर बअ़्द रोज़ादार के लिए मिस्वाक करना मकरूह है यह हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है।
मसअला :– फ़स्द ख़ुलवाना,पछने लगवाना मकरूह नहीं जबकि कमज़ोरी का अन्देशा न हो और अन्देशा हो तो मकरूह है उसे चाहिए कि ग़ुरूब तक रुका रहे। (आलमगीरी)
मसअला :– रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना मकरूह है कुल्ली में मुबालग़ा करने के यह मअ़्ना हैं कि भर मुँह पानी ले और वुज़ू व ग़ुस्ल के अलावा ठंड पहुँचाने की ग़रज़ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठंड के लिए नहाना बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं,हाँ अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटा तो

मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पानी के अन्दर रियाह (हवा)ख़ारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है और रोज़ादार को इस्तिन्जा में मुबालग़ा करना भी मकरूह है। (आलमगीरी)यअ्नी और दिनों में हुक्म यह है कि इस्तिन्जा करने में नीचे को ज़ोर दिया जाये और रोज़े में यह मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जाइज़ नहीं जिससे ऐसी कमज़ोरी आ जाये कि रोज़ा तोड़ने का ज़न (गुमान)ग़ालिब हो लिहाज़ा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाक़ी दिन में आराम कर ले। (दुर्रे मुख़्तार)यही हुक्म राज,मज़दूर और मशक़्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा कमज़ोरी का अन्देशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें।

मसअ्ला :– अगर रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जायेगा खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज़ पढ़े (दुर्रेमुख़्तार)जबकि खड़ा होने से उतना ही आजिज़ हो जो मरीज़ के बयान में गुज़रा।

मसअ्ला :– सहरी का खाना और उसमें ताख़ीर (देर)करना मुसतहब है मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबहे सादिक़ होने का शक हो जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इफ़्तार में जल्दी करना मुसतहब है मगर इफ़्तार उस वक़्त करे कि ग़ुरूब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़्तार न करे अगर्चे मुअज़्ज़िन ने अज़ान कह दी है और अब्र के दिनों में इफ़्तार में जल्दी न चाहिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक आदिल के क़ौल पर इफ़्तार कर सकता है जबकि उसकी बात सच्ची मानता हो और अगर उसकी तस्दीक़ न करे तो उसके क़ौल की बिना पर इफ़्तार न करे यूँ ही मस्तूर (जिसके बारे में ठीक मअ्लूम न हो कि शरीअ़त पर अ़मल करता है या नहीं मगर ज़ाहिर में बा–शरा हो)के कहने पर भी इफ़्तार न करे और आजकल अकसर इस्लामी मक़ामात में इफ़्तार के वक़्त तोप चलने का रिवाज़ है उस पर इफ़्तार कर सकता है अगर्चे तोप चलाने वाले फ़ासिक़ हों जबकि किसी आलिमे मुहक़्क़िक़ वक़्तों के जानने वाले, दीन में एहतियात करने वाले के हुक्म पर चलती हो। आज कल के आम उ़लमा भी इस फ़न को बिल्कुल नहीं जानते हैं और जो जन्तरियाँ शाए होती हैं अक्सर ग़लत होती हैं उन पर अ़मल जाइज़ नहीं। यूँही सहरी के वक़्त अकसर जगह नक़्क़ारा बजता है इन्हीं शराइत़ के साथ इसका भी एअ्तिबार है अगर्चे बजाने वाले कैसे ही हों।

मसअ्ला :– सहरी के वक़्त मुर्ग़े की अज़ान का एअ्तिबार नहीं कि अकसर देखा गया है कि सुबह से बहुत पहले अज़ान शुरूअ् कर देते हैं। बल्कि जाड़े के दिनों में तो बाज़ मुर्ग़े दो बजे से अज़ान कहना शुरूअ् कर देते हैं हालाँकि उस वक़्त सुबहे सादिक़ होने में बहुत वक़्त बाक़ी रहता है। यूँही बोल चाल सुनकर और रौशनी देखकर बोलने लगते हैं। (रद्दुल मुहतार ज़्यादती के साथ)

मसअ्ला :– सुबहे सादिक़ को रात का मुतलक़न छटा या सातवाँ हिस्सा समझना ग़लत है, रहा यह कि सुबहे सादिक़ किस वक़्त होती है इसे हम तीसरे हिस्से नमाज़ के वक़्तों के बयान में बयान कर आये वहाँ से मअ्लूम करें।

सहरी व इफ़्तारी का बयान

हदीस न.1 :— बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अनस रदियल्लल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है।

हदीस न. 2 :— मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने खुज़ैमा अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी का लुक़मा है।

हदीस न.3 :— तबरानी ने कबीर में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ों में बरकत है जमाअत और सरीद(एक —तरह का खाना)और सहरी में।

हदीस न.4 :— तबरानी औसत में और इब्ने हब्बान सही में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं।

हदीस न.5 :— इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी खाने से दिन के रोज़े पर इस्तिआनत करो (मदद चाहो)और क़ैलूला (दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर लेटने को क़ैलूला कहते हैं और यह सुन्नत है)से रात के क़ियाम पर।

हदीस न.6 :— नसई एक सहाबी से रावी कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुजूर सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे इरशाद फ़रमाया यह बरकत है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें दी तो इसे न छोड़ना।

हदीस न.7 :— तबरानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्सों पर खाने में इन्शा अल्लाह तआला हिसाब नहीं जबकि हलाल खाया,रोज़ादार और सहरी खाने वाला और सरहद पर घोड़ा बाँधने वाला।

हदीस न.8से 10 :— इमाम अहमद अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी कुल की कुल बरकत है इसे न छोड़ना अगर्चे एक घूँट पानी ही पी ले क्यूँकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दूरूद भेजते हैं नीज़ अब्दुल्लाह इब्ने उमर व साइब इब्ने यज़ीद व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी इसी क़िस्म की रिवायतें आयीं।

हदीस न.11 :— बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी सहल इब्ने सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हमेशा लोग ख़ैर के साथ रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे।

हदीस न.12 :– इब्ने हब्बान सहीह में उन्हीं से रावी कि फ़रमाया उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ़्तार में सितारों का इन्तिज़ार न करे।

हदीस न.13 :– अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्ललाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया मेरे बन्दों में मुझे ज़्यादा प्यारा वह है जो इफ़्तार में जल्दी करता है।

हदीस न.14 :– तबरानी औसत में यअ्ला इब्ने मुर्रह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया तीन चीज़ों को अल्लाह महबूब रखता है इफ़्तार में जल्दी करना और सहरी में ताख़ीर (देरी)और नमाज़ में हाथ पर हाथ रखना।

हदीस न.15: – अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं यह दीन हमेशा ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे और यहूद व नसारा(ईसाई)ताख़ीर करते हैं।

हदीस न.16 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी सलमान इब्ने आमिर ज़बी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब तुम में कोई, रोज़ा इफ़्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ़्तार करे कि वह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है।

हदीस न. 17 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़ से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते तर खजूरें न होतीं तो चन्द ख़ुश्क ख़जूरों से और यह भी न होतीं तो चन्द चुल्लू पानी पीते अबू दाऊद ने रिवायत की कि हुज़ूर इफ़्तार के वक़्त यह दुआ पढ़ते। اَللّٰھُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

हदीस न.18 :– नसई व इब्ने खुज़ैमा ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया जो रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराये या ग़ाज़ी का सामान करदे तो उसे भी उतना ही मिलेगा

हदीस न.19 :– तबरानी कबीर में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ़्तार कराया फ़रिश्ते माहे रमज़ान के औक़ात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे क़द्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और एक रिवायत में है जो हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा इफ़्तार करायेगा रमज़ान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और शबे क़द्र में जिब्रील उससे मुसाफ़ा करते हैं और एक रिवायत में है जो रोज़ादार को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसे मेरे हौज़ से पिलायेगा कि जन्नत में दाख़िल होने तक प्यासा न होगा।

बयान उन वजहों का जिनसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी" कहती हैं हमज़ा इब्ने अम्र असलमी बहुत रोज़े रखा करते थे, उन्होंने नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि सफ़र में रोज़ा रखूँ । इरशाद फ़रमाया चाहे रखो और चाहे न रखो।

हदीस न.2 :– सही मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं सोलहवें रमज़ान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हम जिहाद में गये हम में

बाज़ ने रोज़ा रखा और बाज़ ने न रखा तो न रोज़ादारों ने ग़ैर रोज़ादारों पर ऐब लगाया और न इन्होंने उन पर।

हदीस न.3 :— अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक कअ़बी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर से आधी नमाज़ मुआ़फ़ फ़रमा दी(यअ़नी चार रकअ़ात वाली दो पढ़े)और मुसाफ़िर और दूध पिलाने वाली और हामिला से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया(कि इनको इजाज़त है कि उस वक़्त न रखें बाद में वह मिक़दार पूरी कर लें।)

मसअ्ला :— सफ़र व हमल और बच्चे को दूध पिलाना और मरज़ और बुढ़ापा और ख़ौफ़े हलाक व इकराह व नुक़्साने अ़क़्ल और जिहाद सब रोज़ा न रखने के लिए उ़ज़्र हैं इन वजहों से अगर कोई रोज़ा न रखे तो गुनाहगार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— सफ़र से मुराद सफ़रे शरई है यअ़नी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक तीन दिन की मसाफ़त(दूरी)हो अगर्चे वह सफ़र किसी नाजाइज़ काम के लिए हो।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— दिन में सफ़र, किया तो उस दिन का रोज़ा इफ़्तार करने (तोड़ने)के लिए आज का सफ़र उ़ज़्र नहीं अलबत्ता अगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न आयेगा मगर गुनाहगार होगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया फिर सफ़र किया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम और अगर दिन में सफ़र किया और मकान पर कोई चीज़ भूल गया था उसे लेने वापस आया और मकान पर आकर रोज़ा तोड़ डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मुसाफ़िर ने ज़हवए कुबरा से पहले इक़ामत की और अभी कुछ खाना नहीं तो रोज़े की नियत कर लेना वाजिब है। (जौहरा)

मसअ्ला :— हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या अपने बच्चे का सही अन्देशा है यअ़नी बच्चे को खिलाने–पिलाने के लिए कोई चीज़ है नहीं और यही दूध पिलाती है तो अगर दूध न पिलायेगी तो बच्चे की जान को ख़तरा है तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे ख़्वाह दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई अगर्चे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मरीज़ को मरज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो या ख़ादिम व ख़ादिमा को ना–क़ाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो उन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— इन सूरतों में ग़ालिब गुमान की क़ैद है महज़ वहम ना–काफ़ी है। ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं उसकी ज़ाहिर निशानियाँ पाई जाती हैं उस शख़्स का ज़ाती तजर्बा है या किसी मुसलमान तबीबे हाज़िक़ मस्तूर यानी ग़ैरे फ़ासिक़ ने उसकी ख़बर दी हो और अगर न कोई अ़लामत हो न तजर्बा न उस क़िस्म के तबीब ने उसे बताया बल्कि किसी काफ़िर या फ़ासिक़ तबीब के कहने से इफ़्तार कर लिया तो इस ज़माने में हाज़िक़ तबीब नायाब से हो रहे हैं उन लोगों का कहना कुछ क़ाबिले एअ़तिबार नहीं। न उनके कहने पर रोज़ा इफ़्तार किया जाये। उन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा–ज़रा सी बीमारी में रोज़ा मना कर देते हैं इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किस मरज़ में रोज़ा मुज़िर(नुक़सान देने वाला)है और किस में नहीं।

मसअ्ला :— बाँदी को अपने मालिक की इताअ़त में फ़राइज़ का मौक़ा न मिले तो यह कोई उ़ज़्र

नहीं, फ़राइज़ अदा करे और इतनी देर के लिए उस पर इताअ़त नहीं मसलन नमाज़ का वक़्त तंग हो जायेगा तो काम छोड़ दे और फ़र्ज़ अदा करे और अगर इताअ़त की और रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा दे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को जब हैज़ व निफ़ास आ गया तो रोज़ा जाता रहा। हैज़ से पूरे दस दिन दस रात में पाक हुई तो बहरहा़ल आने वाले कल का रोज़ा रखे और कम में पाक हुई तो अगर सुबहे सादिक़ होने को इतना अ़रसा है कि नहा कर ख़फ़ीफ़ (थोड़ा)सा वक़्त बचेगा तो भी रोज़ा रखे और अगर नहा कर फ़ारिग़ होने के वक़्त सुबहे सादिक़ चमकी तो रोज़ा नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– हैज़ व निफ़ास वाली के लिए इख़्तियार है कि छुप कर खाये या ज़ाहिर में, रोज़ा की त़रह रहना उस पर ज़रूरी नहीं। (जौहरा)मगर छुप कर खाना औला (ज़्यादा अच्छा)है ख़ुसूसन हैज़ वाली के लिए।

मसअ्ला :– भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाक का सही ख़ौफ़ या अ़क़्ल जाती रहने का अन्देशा हो तो रोज़ा न रखे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे इख़्तियार है और सब्र किया तो उसे अज्र मिलेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– साँप ने काटा और जान का अन्देशा हो तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिन लोगों ने इन उ़ज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें और उन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं। लिहाज़ा अगर उन रोज़ों के पहले नफ़्ल रोज़े रखे तो यह नफ़्ल रोज़े हो गये मगर हुक्म यह है कि उ़ज़्र जाने के बा़द दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें ह़दीस में फ़रमाया जिस पर अगले रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी है और वह न रखे उसके इस रमज़ान के रोज़े क़बूल न होंगे और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आगया तो अब पहले इस रमज़ान के रोज़े रख ले क़ज़ा न रखे बल्कि अगर ग़ैरे मरीज़ व मुसाफ़िर ने क़ज़ा की नियत की जब भी क़ज़ा नहीं बल्कि इसी रमज़ान के रोज़े हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुद उस मुसाफ़िर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने में नुक़सान न पहुँचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है वरना न रखना बेहतर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर यह लोग अपने उसी उ़ज़्र में मर गये इतना मौक़ा न मिला कि क़ज़ा रखते तो इन पर यह वाजिब नहीं कि फ़िदये की व़सियत कर जायें फिर भी वसियत की तो तिहाई माल में जारी होगी और अगर इतना मौक़ा मिला कि क़ज़ा रोज़े रख लेते मगर न रखे तो वसियत कर जाना वाजिब है और जानबूझ कर न रखे हों तो वसियत करना और सख़्त वाजिब है और वसियत न की बलिक वली ने अपनी त़रफ़ से दे दिया तो भी जाइज़ है मगर वली पर देना वाजिब न था। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हर रोज़े का फ़िदया शख़्स के सदक़ए फ़ित्र के बराबर है यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या 4 किलो 90 ग्राम जौ या इनकी क़ीमत और तिहाई माल में वसियत उस वक़्त जारी होगी जब उस मय्यत के वारिस भी हों और अगर वारिस न हों और सारे माल से फ़िदया अदा होता हो तो सब फ़िदये में सर्फ़ (ख़र्च)कर देना लाज़िम है। यूँही अगर वारिस सिर्फ़ शौहर या ज़ौजा (बीवी)है तो तिहाई निकालने के बा़द उन का ह़क़ दिया जाये उसके बाद जो कुछ बचे अगर फ़िदये में सर्फ़ हो सकता है तो स़र्फ़ कर दिया जायेगा। वसियत करना सिर्फ़ उतने ही रोज़ों के ह़क़ में वाजिब है जिन रोज़ों के रखने पर क़ादिर हुआ था मसलन दस क़ज़ा हुए थे और उ़ज़्र जाने के बअ़्द पाँच पर

क़ादिर हुआ था कि इन्तिक़ाल हो गया तो पाँच ही की वसियत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स की तरफ़ से दूसरा शख़्स रोज़ा नहीं रख सकता। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़े वाजिब और सदक़ए फ़ित्र का बदला अगर वुरसा अदा कर दें तो जाइज़ है और उनकी मिक़दार वही ब–क़द्रे सदक़ए फ़ित्र है और ज़कात देना चाहें तो जितनी वाजिब थी उस क़द्र निकालें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शैख़े फ़ानी यअ्नी वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गयी कि अब रोज़–ब–रोज़ कमज़ोर होता जायेगा जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यअ्नी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फ़िदया यअ्नी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले में सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को देदे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकेगा तो अब इफ़्तार कर ले और इनके बदले में जाड़ों में रखना फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर फ़िदया देने के बअ्द इतनी ताक़त आ गई कि रोज़ा रख सके तो फ़िदया सदक़ए नफ़्ल होकर रह गया उन रोज़ों की क़ज़ा रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह इख़्तियार है कि रमज़ान ही मे पूरे रमज़ान का एक दम फ़िदया दे दे या आख़िर में दे और इसमें तमलीक शर्त नहीं। (यअ्नी मिस्कीन को मालिक बनाना शर्त नहीं) बल्कि इबाहत भी काफ़ी है मसलन खाना मिस्कीन को अपने घर बुला कर खिला दिया और यह भी ज़रूर नहीं कि जितने फ़िदये हों उतने ही मिस्कीनों को दे बल्कि एक मिस्कीन को कई दिन के फ़िदये दे सकते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम या क़त्ल के कफ़्फ़ारे का इस पर रोज़ा है और बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता तो उस रोज़े का फ़िदया नहीं और रोज़ा तोड़ने या जिहार का कफ़्फ़ारा इस पर है तो अगर रोज़ा न रख सके साठ मिसकीनों को खाना खिला दे। (आलमगीरी)

नोट :– ज़िहार का बयान बहारे शरीअ़त के आठवें हिस्से में देखें या किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम से समझ लें तब यह मसअ्ला समझ में आयेगा।

मसअ्ला :– किसी ने हमेशा रोज़ा रखने की मन्नत मानी और बराबर रोज़े रखे तो कोई काम नहीं कर सकता जिससे गुज़र–बसर हो तो उसे ब–क़द्रे ज़रूरत इफ़्तार की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फ़िदया और इसकी भी क़ुव्वत न हो तो इस्तिग़फ़ार करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ल रोज़ा क़स्दन शुरूअ़ करने से लाज़िम हो जाता है कि तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी और यह गुमान कर के कि उसके ज़िम्मे कोई रोजा है शुरूअ़ किया बअ्द को मअ्लूम हुआ कि नहीं है अब अगर फ़ौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं और यह मअ्लूम करने के बअ्द न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नफ़्ल रोज़ा क़स्दन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख़्तियार टूट गया मसलन रोज़े के दरमियान में हैज़ आ गया जब भी क़ज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईदैन या अय्यामे तशरीक़(बक़रईद और उसके बाद के तीन दिन को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं) में रोज़ा नफ़्ल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब बल्कि इस रोज़े का तोड़ देना वाजिब है और अगर इन दिनों में रोज़ा रखने की मन्नत मानी

तो मन्नत पूरी करनी वाजिब है मगर इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नफ़्ल रोज़ा बिला उज़्र तोड़ देना नाजाइज़ है मेहमान के साथ अगर मेज़बान न खायेगा तो उसे नागवार होगा या मेहमान अगर खाना न खाये तो मेज़बान को तकलीफ होगी तो नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने के लिए यह उज़्र है बशर्ते कि यह भरोसा हो कि उस की कज़ा रख लेगा बशर्त कि ज़हवए कुबरा से पहले तोड़े बअ्द को नहीं ज़वाल के बअ्द माँ बाप की नाराज़ी के सबब तोड़ सकता है और इस में भी अस्र के पहले तक तोड़ सकता है अस्र के बअ्द नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— किसी ने यह कसम खाई कि अगर तू रोज़ा न तोड़े तो मेरी औरत को तलाक है तो इसे चाहिए कि उसकी कसम सच्ची कर दे यअ्नी रोज़ा तोड़ दे अगर्चे रोज़ा कज़ा का हो अगर्चे ज़वाल के बाद हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— उसके किसी भाई ने दअ्वत की तो ज़हवए कुबरा से पहले नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफ़्ल और मन्नत व कसम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है मगर तोड़ेगी तो कज़ा वाजिब होगी मगर उसकी कज़ा में भी शौहर की इजाज़त दरकार है या शौहर और उसके दरमियान जुदाई हो जाये यअ्नी तलाके बाइन दे दे या मर जाये। हाँ अगर रोज़ा रखने में शौहर का कुछ हरज न हो मसलन वह सफ़र में है या बीमार है या एहराम में है तो इन हालतों में बग़ैर इजाज़त के भी कज़ा रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी और इन दिनों में भी बे उसकी इजाज़त के नफ़्ल नहीं रख सकती। रमज़ान औरकज़ाए रमज़ान के लिए शौहर की इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मनाही पर भी रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बांदी, गुलाम भी अलावा फराइज़ के मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं रख सकते उनका मालिक चाहे तो तुड़वा सकता है फिर उसकी कज़ा मालिक की इजाज़त पर या आज़ाद होने के बाद रखे अलबत्ता गुलाम ने अगर अपनी औरत से ज़िहार किया तो कफ़्फ़ारे के रोज़े बग़ैर मौला की इजाज़त के रख सकता है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— मज़दूर या नौकर अगर नफ़्ल रोज़ा रखे तो काम पूरा नहीं कर सकेगा तो मुस्ताजिर (यअ्नी जिसका नौकर है या जिसने मज़दूरी पर उसे रखा है)की इजाज़त की ज़रूरत है और काम पूरा कर सके तो कुछ ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— लड़की को बाप और माँ को बेटे और बहन को भाई से इजाज़त लेने की कुछ ज़रूरत नहीं और माँ–बाप अगर बेटे को नफ़्ल रोज़े से मना कर दें इस वजह से कि मरज़ का अन्देशा है तो माँ–बाप की इताअत करे। (रद्दुल मुहतार)

रोज़ए नफ़्ल के फ़ज़ाइल

(1)आशूरा यअ्नी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा और बेहतर यह है कि नवीं को भी रखे।

हदीस न.1 :— सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा ख़ुद रखा और उसके रखने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.2 :— मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ सलातुल्लैल यअ्नी तहज्जुद की नमाज़ है।

हदीस न.3 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी फ़रमाते हैं मैंने नबी सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़े को औरों पर फ़ज़ीलत देकर जुस्तजू फ़रमाते न देखा मगर यह कि आशूरा का दिन और यह कि रमज़ान का महीना।

हदीस न.4 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये यहूद को आशूरा के दिन रोज़ादार पाया इरशाद फ़रमाया यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो। अर्ज़ की यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तआला ने निजात दी और फ़िरऔन और उसकी कौम को डुबो दिया लिहाज़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने ब–तौरे शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं, इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़कत करने में ब–निस्बत तुम्हारे हम ज़्यादा हकदार और ज़्यादा करीब हैं तो हुज़ूर सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म भी फरमाया।

नोट :– इस हदीस से मअलूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह तआला कोई ख़ास नेमत अता फ़रमाये उसकी यादगार काइम करना दुरुस्त व महबूब है कि वह नेमते ख़ास्सा याद आयेगी और उसका शुक्र अदा करने का सबब होगा। खुद कुर्आने पाक ने इरशाद फ़रमाया कि "खुदा के इनाम के दिनों को याद करो" और हम मुसलमानों के लिए विलादते अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन सा दिन होगा जिसकी यादगार काइम करें कि तमाम नेमतें उन्हीं के तुफ़ैल में हैं और यह दिन ईद से भी बेहतर कि उन्हीं के सदके में तो ईद ईद हुई। इसी वजह से पीर के दिन का रोज़ा रखने का सबब इरशाद फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई।

हदीस न.5 :– सही मुस्लिम में अबू कतादा रदियल्ललाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा एक साल कब्ल के गुनाह मिटा देता है।

2.अरफ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा।

हदीस न.6 से10 :– मुस्लिम व सुनने अबी दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा में अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुझे अल्लाह पर गुमान है कि अरफ़ा का रोज़ा एक साल कब्ल और एक साल बाद के गुनाह मिटा देता है और इसी के मिस्ल सहल इब्ने सअद व अबू सईद खुदरी व अब्दुल्लाह इब्ने उमर व ज़ैद इब्ने अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

नोट :– अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के गुमान भी यकीन के दर्जे में होते हैं।

हदीस न.11 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से बैहकी व तबरानी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरफ़े के रोज़े को हज़ार दिन के बराबर बताते मगर हज करने वाले पर जो अरफ़ात में है उसे अरफ़े के दिन का रोज़ा मकरूह है कि अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफ़े के दिन अरफ़ात में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया।

(3) शव्वाल में 6 दिन के रोज़े जिन्हें लोग शशईद के रोज़े कहते हैं।

हदीस न.12 व 13 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व तबरानी अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उनके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर यअ्नी साल भर का रोज़ा रखा और इसी के मिस्ल अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.14व15 :– नसई व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इमाम अहमद व तबरानी व बज़्ज़ार जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने ईदुल फ़ित्र के बाद छः रोज़े रख लिए तो उसने पूरे साल का रोज़ा रखा कि जो एक नेकी लायेगा उसे दस मिलेंगी तो माहे रमज़ान का रोज़ा दस महीने के बराबर है और इन छः दिनों के बदले में दो महीने तो पूरे साल के रोज़े हो गये।

हदीस न.16 :– तबरानी औसत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बअ्द छः दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है।

नोट :– बेहतर यह है कि यह रोज़े मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)रखे जायें और अगर एक साथ भी रख ले तो कोई हरज नहीं।

(4)शअ्बान का रोज़ा और पन्द्रहवीं शाबान के फ़ज़ाइल।

हदीस न.17 :– तबरानी व इब्ने हब्बान मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं शअ्बान की पन्द्रहवीं शब में अल्लाह तआला तमाम मख़लूक़ की तरफ़ तजल्ली फ़रमाता है और सब को बख़्श देता है मगर काफ़िर और अदावत वाले को।

नोट :– जिन दो शख़्सो में कोई दुनयवी अदावत हो तो उस रात के आने से पहले उन्हें चाहिए कि हर एक दूसरे से मिल जाये और हर एक दूसरे की ख़ता मुआफ़ कर दे ताकि मग़फ़िरते इलाही उन्हें भी शामिल हो। इन्हीं अहादीस की बिना पर बिहम्दिल्लाह तआला यहाँ बरेली शरीफ़ में हुज़ूर आलाहज़रत क़िब्ला (रदियल्लाहु तआला अन्हु)ने यह तरीक़ा मुक़र्रर फ़रमाया है कि चौदह शअ्बान को रात आने से पहले मुसलमान आपस में मिलते और एक दूसरे से अपनी ख़तायें मुआफ़ कराते हैं,और जगह के मुसलमान भी ऐसा ही करें तो बहुत बेहतर होगा।

हदीस न.18 व 19 :– बैहक़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरे पास जिब्रील आये और कहा यह शअ्बान की पन्द्रहवीं रात है इसमें अल्लाह तआला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फ़रमा देता है जितने बनी कल्ब (अरब में बनी कल्ब एक क़बीला है जिनके यहाँ बकरियाँ बहुत होती थीं) की बकरियों के बाल हैं मगर काफ़िर व अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फ़रमाता इमाम अहमद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से जो रिवायत की उस में क़ातिल का भी ज़िक्र है।

हदीस न.20 :– बैहक़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला शअ़्बान की पन्द्रहवीं शब में तजल्ली फ़रमाता है इस्तिग़फ़ार करने वालों को बख़्श देता है और तालिबे रहमत पर रहम फ़रमाता है और अ़दावत वालों को जिस हाल पर हैं उसी पर छोड़ देता है।

हदीस न.21 :– इब्ने माजा मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जब शअ़्बान की पन्द्रहवीं रात आ जाये तो उस रात को क़ियाम करो और दिन में रोज़ा रखो कि रब तबारक व तआ़ला गुरूबे आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है कि है कोई बख़्शिश चाहने वाला कि उसे बख़्स दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ है कोई मुबतला कि उसे आफ़ियत दूँ है कोई ऐसा है कोई ऐसा और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि फ़ज्र यअ़्नी सुबहे सादिक़ तुलू हो जाये।

हदीस न. 22 :उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैंने हुज़ूरे अक़दस सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को शअ़्बान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते नहीं देखा।

(5)हर महीने में तीन रोज़े ख़ुसूसन अय्यामे बीज़ यानी 13,14,15 तारीख़ को।

हदीस न.23 व 24 :– बुख़ारी व मुस्लिम व नसई अबू हुरैरा और मुस्लिम अबू दरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसियत फ़रमाई उनमें एक यह है कि हर महीने में तीन रोज़े रखूँ।

हदीस न.25 व 26 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आ़स रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह ने फ़रमाया हर महीने में तीन दिन के रोज़े ऐसे हैं जैसे दहर (हमेशा)का रोज़ा इसी के मिस्ल क़ुर्रह इब्ने अयास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी।

हदीस न.27व 28 :– इमाम अहमद व इब्ने ह़ब्बान इब्ने अ़ब्बास और बज़्ज़ाज़ मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान के रोज़े और हर महीने में तीन दिन के रोज़े सीने की ख़राबी को दूर करते हैं।

हदीस न.29 :– तबरानी मैमूना बिन्ते सअ़्द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिससे हो सके हर महीने में तीन रोज़े रखे कि हर रोज़ा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसा पानी कपड़े को।

हदीस न. 30 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब महीने में तीन रोज़े रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो।

हदीस न. 31 :– नसई ने उम्मुल मोमिनीन हफ़सा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम चार चीजों को नहीं छोड़ते थे आ़शूरा और अ़शरा ज़िलहिज्जा(बक़रईद में पहली तारीख़ से नौ तारीख़ तक के रोज़े)और हर महीने में तीन दिन के रोज़े और फ़ज्र के पहले दो रकअ़तें।

हदीस न.32 :– नसई इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लललल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अय्यामे बीज़ में बग़ैर रोज़ा के न होते न सफ़र में न हज़र में।

पीर और जुमेरात के रोज़े

हदीस न.33 व 35 :– सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पीर और जुमेरात को अअ्माल पेश होते हैं तो मैं पसन्द करता हूँ कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ इसी के मिस्ल उसामा इब्ने ज़ैद व जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.36 :– इब्ने माजा उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़े रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज़ की गई तो फ़रमाया इन दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाता है मगर वह दो शख़्स जिन्होंने बाहम (एक दूसरे में) जुदाई कर ली है उनकी निस्बत मलाइका से फ़रमाता है इन्हें छोड़ो यहाँ तक कि सुलह कर लें।

हदीस न.37 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को ख़्याल करके रोज़ा रखते थे।

हदीस न.38 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़े का सबब दरयाफ़्त किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत हुई और इसी में मुझ पर वही नाज़िल हुई।

बअ्ज़ और दिनों के रोज़े।

हदीस न. 39:– अबू यअ्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो चहार शम्बा (बुध)और पंजशम्बा (जुमेरात)को रोज़े रखे उसके लिए दोज़ख़ से बराअत(आज़ादी)लिख दी जायेगी।

हदीस न. 40 से 42 :– तबरानी औसत में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने चहार शम्बा व पंजशम्बा व जुमे को रोज़े रखे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा जिसका बाहर का हिस्सा अन्दर से दिखाई देगा और अन्दर का बाहर से और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि जन्नत में मोती और याकूत व ज़बरजद का महल बनायेगा और उसके लिए दोज़ख़ से बराअत लिख दी जायेगी और इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है कि जो इन तीन दिनों के रोज़े रखे फिर जुमे को थोड़ा या ज़्यादा सदक़ा करे तो जो गुनाह किया है बख़्श दिया जायेगा और ऐसा हो जायेगा जैसा उस दिन कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ मगर ख़ुसूसियत के साथ जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है।

हदीस न.43– : मुस्लिम व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रातों में से जुमे की रात को क़ियाम के लिए और दिनों में जुमे के दिन को रोज़ा के लिए ख़ास न करो, हाँ कोई किसी दिन का रोज़ा रखता था और जुमे का दिन रोज़ा में आ गया तो हरज नहीं।

हदीस न.44 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा उन्हीं से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमे के दिन और रोज़ा न रखे मगर उस सूरत में कि उसके पहले या बअ्द एक ईद है लिहाज़ा ईद के दिन को रोज़े का दिन न करो मगर उसके पहले या बाद रोज़ा रखे।

हदीस न.45 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में मुहम्मद इब्ने इबाद से है कि जाबिर रदियल्लाहु तआला

अन्हु खानए कअ्बा का तवाफ़ करते थे मैंने उनसे पूछा क्या नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुमे के रोज़ा से मना फ़रमाया। कहा हाँ इस घर के रब की क़सम।

मन्नत के रोज़े का बयान

शरई मन्नत जिसके मानने से शरअ्न उसका पूरा करना वाजिब होता है उसके लिए मुतलक़न चन्द शर्ते हैं :–

(1)ऐसी चीज़ों की मन्नत हो कि उसकी जिन्स से कोई वाजिब हो। इयादते मरीज़ और मस्जिद में जाने और जनाज़े के साथ जाने की मन्नत नहीं हो सकती। (यअ्नी कोई अगर ऐसा कहे कि मेरा काम हो जायेगा तो मरीज़ को देखने जाऊँगा या मस्जिद या जनाज़े के साथ जाऊँगा तो इस तरह मन्नत न हुई)(2)वह इबादत ब–ज़ाते खुद मक़सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला न हो लिहाज़ा वुज़ू व गुस्ल व नज़रे मुसहफ़ (यअ्नी कुर्आन को देखने)की मन्नत सही नहीं। (यअ्नी अगर ऐसा कहा कि मेरा काम हो गया तो वुज़ू करूँगा या गुस्ल करूँगा या कुर्आन शरीफ़ देखूँगा ऐसी बातों से मन्नत न होगी)(3)उस चीज़ की मन्नत न हो जो शरीअत ने खुद उस पर वाजिब की हो ख़्वाह फ़िलहाल या आइन्दा मसलन आज की ज़ोहर या किसी फ़र्ज़ नमाज़ की मन्नत सही नहीं कि यह चीज़े तो खुद ही वाजिब हैं। (यअ्नी अगर यह कहा कि मेरा काम हो गया तो ज़ोहर की नमाज़ या कोई फ़र्ज़ इबादत अदा करूँगा यह मन्नत सही नहीं क्यूँकि फ़र्ज़ तो सिवा उ़ज़्र के हर हाल में बजा लाना ज़रूरी है लिहाज़ा मन्नत यूँ नहीं मान सकते)

(4)जिस चीज़ की मन्नत मानी वह ब–ज़ाते खुद कोई गुनाह की बात न हो और अगर किसी और वजह से गुनाह हो तो मन्नत सही हो जायेगी मसलन ईद के दिन रोज़ा रखना मना है कि अगर इसकी मन्नत मानी तो मन्नत हो जायेगी अगर्चे हुक्म यह है कि उस दिन न रखे बल्कि किसी दूसरे दिन रखे कि यह मनाही आरिज़ी है यअ्नी ईद के दिन होने की वजह से खुद रोज़ा एक जाइज़ चीज़ है।

(5)ऐसी चीज़ की मन्नत न हो जिसका होना मुहाल हो मसलन मन्नत मानी कि गुज़रे हुए कल रोज़ा रखूँगा कि यह मन्नत सही नहीं। (यअ्नी चूँकि गुज़रा हुआ कल तो अब आ ही नहीं सकता लिहाज़ा मन्नत सही नहीं)

मसअ्ला :– मन्नत सही होने के लिए कुछ यह ज़रूरी नहीं कि दिल में उसका इरादा भी हो अगर कहना कुछ चाहता था ज़बान से मन्नत के अल्फ़ाज़ जारी हो गये मन्नत सही होगी या कहना यह चाहता था कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक दिन का रोजा रखना है और जबान से एक महीना निकला तो महीने भर का रोज़ा वाजिब हो गया। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– अय्यामे मनहिया (वह दिन जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है) यअ्नी ईद व बक़रईद और ज़िलहिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं के रोज़े रखने की मन्नत मानी और उन्हीं दिनों में रख भी लिये तो अगर्चे यह गुनाह हुआ मगर मन्नत अदा हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस साल के रोज़े की मन्नत मानी तो अय्यामे मनहिय्या छोड़ कर बाक़ी दिनों में रोज़े रखे और इन दिनों के बदले के और दिनों में रखे और अगर अय्यामे मनहिय्या में भी रख लिये तो मन्नत पूरी हो गई मगर गुनाहगार हुआ। यह हुक्म उस वक़्त है कि अय्यामे मनहिय्या से पहले मन्नत मानी और अगर अय्यामे मनहिय्या गुज़रने के बाद मसलन ज़िलहिज्जा की चौदहवीं शब में इस साल के रोज़े रखने की मन्नत मानी तो ख़त्म ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखने से मन्नत पूरी हो

गई कि यह साल ज़िलहिज्जा पर ख़त्म हो जाता है और रमज़ान से पहले इस सन् के रोज़े की मन्नत मानी थी तो रमज़ान के बदले के रोज़े उसके नहीं और अगर मन्नत में पै–दर पै रोज़ा की शर्त या नियत की जब भी जिन दिनों में रोज़े की मनाही है उनमें रोज़े न रखे मगर बाद में पै दर–पै उन दिनों की क़ज़ा रखे और अगर एह दिन भी रोज़ा रहा तो उस दिन के पहले जितने रोज़े रखे थे उन सब का इआ़दा करे यअ्नी लौटाये अगर एक साल के रोज़े की मन्नत की तो साल भर रोज़े रखने के बाद पैंतीस या चौंतीस दिन के और रखे यअ्नी माहे रमज़ान और पाँच दिन अय्यामे ममनूआ़(मनाही के दिनों)के बदले कि अगर्चे इन दिनों में भी उसने रोज़े रखे हों कि इस सूरत में यह नाकाफ़ी हैं अलबत्ता अगर यूँ कहा कि एक साल के रोज़े पै–दर–पै रखूँगा तो अब उन पैंतीस दिनों के रोज़ों की ज़रूरत नहीं मगर इस सूरत में अगर पै–दर–पै न होंगे तो सिरे से फ़िर रखने होंगे मगर अय्यामे ममनूआ़ में न रखे बल्कि साल पूरा होने पर पाँच दिन अ़ललइत्तिसा़ल यअ्नी लगातार रख ले। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत के अल्फ़ाज़ में यमीन (क़सम) का भी एहतिमाल है लिहाज़ा यहाँ छः सूरतें होंगी।

1.उन लफ़्ज़ों से कुछ नियत न की न मन्नत की न य़मीन (क़सम)की।

2.फ़कत मन्नत की नियत की यअ्नी यमीन होने न होने किसी का इरादा न किया।

3.मन्नत की नियत की और यह कि यमीन नहीं।

4.यमीन की नियत की और यह कि मन्नत नहीं।

5.मन्नत और यमीन दोनों की नियत की।

6.फ़कत यमीन की नियत की और मन्नत होने या न होने किसी की नहीं। पहली तीन सूरतों में फ़कत मन्नत है कि पूरी न करे तो क़ज़ा दे और चौथी सूरत में यमीन है कि अगर पूरी न की तो कफ़्फ़ारा देना होगा। पाँचवीं और छठी सूरतों में मन्नत और यमीन दोनो हैं पूरी न करे तो मन्नत की क़ज़ा दे और यमीन का कफ़्फ़ारा। (तनवीरुल अबसार)

मसअ्ला :– उस महीने के रोज़े की मन्नत मानी और उसमें अय्यामे मनहिय्या हैं तो उनमें रोज़े न रखे बल्कि उनके बदले के बअ्द में रखे और रख लिये तो गुनाहगार हुआ मगर मन्नत पूरी हो गई और इस सूरत में पूरे एक महीने में जितने दिन बाक़ी हैं उन दिनों में रोज़े वाजिब हैं और अगर वह महीना रमज़ान का था तो मन्नत ही न हुई कि रमज़ान के रोज़े तो ख़ुद ही फ़र्ज़ हैं, हाँ अगर माहे रमज़ान के रोज़े की मन्नत मानी और रमज़ान आने से पहले इन्तिक़ाल हो गया तो एक माह तक मिस्कीन को खाना खिलाने की वसीयत वाजिब है और अगर किसी मुअय्यन महीने की मन्नत मानी मसलन रजब या शाबान की तो पूरे महीने का रोज़ा ज़रूरी है वह महीना उन्तीस का हो तो उन्तीस रोज़े और तीस का हो तो तीस रोज़े और नाग़ा न करे फिर अगर कोई रोज़ा छूट गया तो उसको बअ्द में रख ले पूरे महीने के लौटाने की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक महीने के रोज़े की मन्नत मानी तो पूरे तीस दिन के रोज़े वाजिब हैं अगर्चे जिस महीने में रखे वह उन्तीस ही का हो और यह भी ज़रूर है कि कोई रोज़ा अय्यामे मनहिय्या में न हो कि इस सूरत में अगर अय्यामे मनहिय्या में रोज़े रखे तो गुनाहगार तो हुआ ही वह रोज़े भी नाकाफ़ी हैं और पै–दर–पै की शर्त लगाई या दिल में नियत की तो यह भी ज़रूर है कि नाग़ा न होने पाये अगर नाग़ा हुआ अगर्चे अय्यामे मनहिय्या में तो अब से एक महीने के अ़ललइत्तिसा़ल (लगातार)रोज़े रखे यअ्नी यह ज़रूरी है कि इन तीस दिनों में कोई दिन ऐसा न हो जिस में रोज़े की मनाही है

और पै–दर–पै की न शर्त लगाई न नियत में है तो मुतफ़र्रिक़ तौर पर (अलग–अलग)तीस रोज़े रख लेने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी, और अगर औरत ने एक माह पै–दर–पै रोज़े रखने की मन्नत मानी तो अगर एक महीना या ज़्यादा तहारत का ज़माना उसे मिलता है तो ज़रूर है कि ऐसे वक़्त शुरूअ़ करे कि हैज़ आने से पहले तीस दिन पूरे हो जायें वरना हैज़ आने के बअ़्द अब से तीस दिन पूरे करने होंगे और अगर महीना पूरा होने से पहले उसे हैज़ आ जाया करता है तो हैज़ से पहले जितने रोज़े रख चुकी है उन्हें हिसाब कर ले जो बाक़ी रह गये उन्हें हैज़ ख़त्म होने के बाद लगातार बिना नाग़ा पूरा करे ले। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पै–दर–पै रोज़े की मन्नत मानी तो नाग़ा करना जाइज़ नहीं और मुतफ़र्रिक़ तौर पर मसलन दस रोज़े की मन्नत मानी तो लगातार रखना जाइज़ है। (बहर)

मसअ्ला : – मन्नत दो क़िस्म है एक मुअ़ल्लक़ कि मेरा फ़ुलाँ काम हो जायेगा या फ़ुलाँ शख़्स सफ़र से आ जाये तो मुझ पर अल्लाह के लिए इतने रोजे या नमाज़ या सदक़ा वग़ैरा है। दूसरी ग़ैर मुअ़ल्लक़ जो किसी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़ नहीं बल्कि यह कि अल्लाह के लिए मैं अपने ऊपर इतने रोज़े या नमाज़ या सदक़ा वग़ैरा वाजिब करता हूँ। ग़ैर मुअ़ल्लक़ में अगर्चे वक़्त या जगह वग़ैर मुअय्यन करे मगर मन्नत पूरी करने के लिए यह ज़रूर नहीं कि उससे पहले या उसके ग़ैर में न हो सके बल्कि अगर उस वक़्त से पहले रोज़े रख ले या नमाज़ पढ़ ले वग़ैरा–वग़ैरा तो मन्नत पूरी हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस रजब के रोज़े की मन्नत मानी और जुमादल उख़रा में रोज़े रख लिये और यह महीना उन्तीस का हुआ अगर यह रजब भी उन्तीस का हो तो पूरी हो गई और रोज़े की ज़रूरत नहीं और तीस का हो तो एक रोज़ा और रखे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस रजब के रोज़े की मन्नत मानी और रजब में बीमार रहा तो दूसरे दिनों में उनकी क़ज़ा रखे और क़ज़ा में इख़्तियार है कि लगातार रोज़े हों या नाग़ा देकर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुअ़ल्लक़ में शर्त पाई जाने से पहले मन्नत पूरी नहीं कर सकता अगर पहले ही रोज़े रख ले बअ़्द में शर्त पाई गई तो अब फिर रखना वाजिब होगा पहले के रोज़े उसके क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो इख़्तियार है कि अय्यामे मनहिय्या के सिवा जिस दिन चाहे रोज़ा रख ले। यूँही दो दिन तीन दिन में भी इख़्तियार है अलबत्ता अगर इन में पै–दर–पै की नियत की तो पै दर पै रखना वाजिब होगा वरना इख़्तियार है कि एक साथ रखे या नाग़ा देकर और मुतफ़र्रिक़ की नियत की और पै–दर–पै रख लिए जब भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक साथ दस रोज़ों की मन्नत मानी और पन्द्रह रोज़े रखे बीच में एक दिन इफ़्तार किया और यह याद नहीं कि कौन से दिन रोज़ा न था तो लगातार पाँच दिन और रख ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने एक माह रोज़ा रखने की मन्नत मानी और सेहत न हुई मर गया तो उस पर कुछ नहीं और अगर एक दिन के लिए भी अच्छा हो गया था और रोज़ा न रखा तो पूरे महीने भर के फ़िदये की वसीयत करना वाजिब है और उस दिन रोज़ा रख लिया जब भी बाक़ी दिनों के लिए वसीयत चाहिये। यूँही अगर तन्दुरुस्त ने मन्नत मानी और महीना पूरा होने से पहले मर गया उस पर भी वसीयत करना वाजिब है और अगर रात में मन्नत मानी थी और रात ही में मर गया जब भी वसीयत कर देना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह मन्नत मानी कि जिस दिन फ़ुलाँ शख़्स आयेगा उस दिन अल्लाह के लिए मुझ पर

रोज़ा रखना वाजिब है तो अगर ज़हवए कुबरा से पहले आया और उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो रोज़ा रख ले और अगर रात में आया तो कुछ नहीं। यूँही अगर ज़वाल के बाद आया या खाने के बाद आया या मन्नत मानने वाली औरत थी और उस दिन उसे हैज़ था तो इन सूरतों में भी कुछ नहीं और अगर यह कहा था कि जिस दिन फुलाँ आयेगा उस दिन का अल्लाह के लिए मुझे हमेशा रोज़ा रखना है और खाना खाने के बअ्द आया तो उस दिन का रोज़ा तो नहीं मगर आइन्दा हर हफ़्ते में उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब हो गया मसलन पीर के दिन आया तो हर पीर को रोज़ा रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह मन्नत मानी कि जिस दिन फुलाँ आयेगा उस रोज़ का रोज़ा मुझ पर हमेशा है और दूसरी मन्नत यह मानी कि जिस दिन फुलाँ को सेहत हो जाये उस दिन का रोज़ा मुझ पर हमेशा है इत्तिफ़ाक़न जिस दिन वह आया उसी दिन वह अच्छा भी हो गया तो हर हफ़्ते में सिर्फ़ उसी एक दिन का रोज़ा रखना उस पर हमेशा वाजिब हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आधे दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं। (आलमगीरी)

एअ्तिकाफ़ का बयान

अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया है :–

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ

तर्जमा :– " औरतों से मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किये हुए हो"।

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के आख़िर अशरा (यअ्नी रमज़ान के आख़िरी दस दिन) का एअ्तिकाफ़ फ़रमाया करते थे।

हदीस न.2:– अबू दाऊद उन्हीं से रावी कहती हैं मोअ्तकिफ़ पर सुन्नत (यअ्नी हदीस से साबित) यह है कि न मरीज़ की इयादत को जाये न जनाज़ा में हाज़िर हो न औरत को हाथ लगाये और न उस से मुबाशरत करे और न किसी हाजत के लिए जाये मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है और एअ्तिकाफ़ बग़ैर रोज़ा के नहीं और एअ्तिकाफ़ जमाअ़त वाली मस्जिद में करे।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मोअ्तकिफ़ के बारे में फ़रमाया वह गुनाहों से बाज़ रहता है और नेकियों से उसे इस क़द्र सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियाँ कीं।

हदीस न.4 :– बैहक़ी इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने रमज़ान में दस दिनों का एअ्तिकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे दो हज और दो उ़मरे किये।

मसअ्ला :– मस्जिद में अल्लाह के लिए नियत के साथ ठहरना एअ्तिकाफ़ है और इसके लिए मुसलमान आ़क़िल और जनाबत व हैज़ व निफ़ास से पाक होना शर्त है। बुलूग़ शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ जो तमीज़ रखता है अगर ब–नियते एअ्तिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो यह एअ्तिकाफ़ सही है, आज़ाद होना भी शर्त नहीं। लिहाज़ा गुलाम भी एअ्तिकाफ़ कर सकता है मगर उसे मौला से इजाज़त लेनी होगी और मौला को बहरहाल मना करने का हक़ हासिल है।(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जामे मस्जिद होना एअ्तिकाफ़ के लिए शर्त नहीं बल्कि मस्जिदे जमाअ़त में भी हो

सकता है। मस्जिदे जमाअ़त वह है जिस में इमाम व मुअज़्ज़िन मुक़र्रर हों अगर्चे उसमें पन्जगना नमाज़ न होती हो और आसानी इसमें है कि मुतलक़न हर मस्जिद में एअ़्तिकाफ़ सही है अगर्चे वह मस्जिदे जमाअ़त न हो ख़ुसूसन इस ज़माने में कि बहुतेरी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें न इमाम हैं न मुअज़्ज़िन। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सबसे अफ़ज़ल मस्जिदे हरम शरीफ़ में एअ़्तिकाफ़ है फिर मस्जिदे नबवी शरीफ़ में अ़ला साहिबिहिस्सलातु वत्तसलीम, फिर मस्जिदे अक़सा में फिर उस में जहाँ बड़ी जमाअ़त होती हो। (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को मस्जिद में एअ़्तिकाफ़ मकरूह है बल्कि वह घर में ही एअ़्तिकाफ़ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी है जिसे मस्जिदे बैत कहते हैं और औरत के लिए मुसतहब भी है कि घर में नमाज़ पढ़ने के लिये कोई जगह मुक़र्रर कर ले और चाहिये कि उस जगह को पाक साफ़ रखे और बेहतर यह कि उस जगह को चबूतरा वग़ैरा की तरह बलन्द कर ले बल्कि मर्द को भी चाहिए कि नवाफ़िल के लिए घर में कोई जगह मुक़र्रर कर ले कि नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर औरत ने नमाज़ के लिए कोई जगह मुक़र्रर नहीं कर रखी है तो घर में एअ़्तिकाफ़ नहीं कर सकती अलबत्ता अगर उस वक़्त यअ्नी जबकि एअ़्तिकाफ़ का इरादा किया किसी जगह को नमाज़ के लिए ख़ास कर लिया तो उस जगह एअ़्तिकाफ़ कर सकती है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुनसा (हिजड़ा)मस्जिदे बैत में एअ़्तिकाफ़ नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

मसेहनत के सवाब मिल रहा है कि फ़क़त नियत कर लेने से एअ़्तिकाफ़ का सवाब मिलता है, इसे तो न **खअ्ला** :– एअ़्तिकाफ़ तीन क़िस्म है (1) **वाजिब** :– कि एअ़्तिकाफ़ की मन्नत मानी यअ्नी ज़बान से कहा महज़ दिल में इरादे से वाजिब न होगा।

(2) सुन्नते मुअक्कदा :– कि रमज़ान के पूरे अशरए अख़ीर यअ्नी आख़िर के दस दिन में एअ़्तिकाफ़ किया जाये यानी बीसवीं रमज़ान को सूरज डूबते वक़्त ब–नियत एअ़्तिकाफ़ मस्जिद में हो और तीसवीं तारीख़ को ग़ुरूब के बअ़्द या उन्तीस को चाँद होने के बअ़्द निकले अगर बीसवीं तारीख़ को बअ़्द नमाज़े मग़रिब एअ़्तिकाफ़ की नियत की तो सुन्नत मोअक्कदा अदा हुई और यह एअ़्तिकाफ़ सुन्नते किफ़ाया है कि अगर सब तर्क करें तो सबसे मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब बरीउज़्ज़िम्मा।

(3)इन दोनों के अ़लावा और जो एअ़्तिकाफ़ किया जाये वह **मुस्तहब व सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा** है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एअ़्तिकाफ़े मुस्तहब के लिए न रोज़ा शर्त है न उसके लिए कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर बल्कि जब मस्जिद में एअ़्तिकाफ़ की नियत की जब तक मस्जिद में है मोअ़्तकिफ़ है, चला आया एअ़्तिकाफ़ ख़त्म हो गया। (आलमगीरी वग़ैरा)

नोट :– जब भी मस्जिद में जाये एअ़्तिकाफ़ की नियत कर ले। नियत करते वक़्त यह कहे "नवैतु सुन्नतल एअ़्तिकाफ़"और उसके बअ़्द थोड़ी देर कुछ इबादत भी ज़रूर करे और इसके बअ़्द जितनी देर मस्जिद में रहेगा उतनी देर इबादत का सवाब पायेगा। बग़ैर सोना चाहिए मस्जिद में अगर दरवाज़े पर यह इबारत लिख दी जाये कि एअ़्तिकाफ़ की नियत कर लो एअ़्तिकाफ़ का सवाब पाओगे तो बेहतर है कि जो इस से नावाक़िफ़ हैं उन्हें मअ़्लूम हो जाये और जो जानते हैं उन के लिए याददेहानी हो।

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ सुन्नत यअ्नी रमज़ान की पिछली दस तारीख़ों में जो किया जाता है उसमें रोज़ा शर्त है। लिहाज़ा अगर किसी मरीज़ या मुसाफ़िर ने एअ्तिकाफ़ तो किया मगर रोज़ा न रखा तो सुन्नत अदा न हुई बल्कि नफ़्ल हुआ। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत के एअ्तिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है यहाँ तक कि अगर एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और यह कहा कि रोज़ा न रखेगा जब भी रोज़ा रखना वाजिब है और अगर रात के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता और अगर यूँ कहा कि एक दिन रात का मुझ पर एअ्तिकाफ़ है तो यह मन्नत सही है और अगर आज के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और खाना खा चुका है तो मन्नत सही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)यूँही अगर ज़हवए कुबरा के बाद मन्नत मानी और रोज़ा न था तो यह मन्नत सही नहीं कि अब रोज़े की नियत नहीं कर सकता बल्कि अगर रोज़े की नियत कर सकता हो मसलन ज़हवए कुबरा से क़ब्ल (पहले)जब भी मन्नत सही नहीं कि यह रोज़ा नफ़्ल होगा और इस एअ्तिकाफ़ में रोज़ा वाजिब दरकार।

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि ख़ास एअ्तिकाफ़ ही के लिए रोज़ा हो बल्कि रोज़ा होना ज़रूरी है अगर्चे एअ्तिकाफ़ की नियत से न हो मसलन इस रमज़ान के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो वही रमज़ान के रोज़े इस एअ्तिकाफ़ के लिए काफ़ी हैं और अगर रमज़ान के रोज़े तो रखे मगर एअ्तिकाफ़ न किया तो अब एक माह के रोज़े और इसके साथ एअ्तिकाफ़ करे और अगर यूँ न किया यअ्नी रोज़े रखकर एअ्तिकाफ़ न किया और दूसरा रमज़ान आ गया तो इस रमज़ान के रोज़े उस एअ्तिकाफ़ के लिए काफ़ी नहीं। यूँही अगर किसी और वाजिब के रोज़े रखे तो यह एअ्तिकाफ़ उन रोज़ों के साथ भी अदा नहीं हो सकता बल्कि अब उसके लिए ख़ास एअ्तिकाफ़ की नियत से रोज़े रखना ज़रूरी है और अगर उस सूरत में कि रमज़ान के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी थी न रोज़े रखे न एअ्तिकाफ़ किया अब उन रोज़ों की क़ज़ा रख रहा है तो इन क़ज़ा रोज़ों के साथ वह एअ्तिकाफ़ की मन्नत भी पूरी कर सकता है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ली रोज़ा रखता था और उस दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि एअ्तिकाफ़े वाजिब के लिये नफ़्ली रोज़ा काफ़ी नहीं और यह रोज़ा वाजिब हो नहीं सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह इस रमज़ान में पूरी नहीं कर सकता बल्कि ख़ास एअ्तिकाफ़ के लिए रोज़े रखने होंगें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो शौहर मन्नत पूरी करने से रोक सकता है और अब बाइन होने या शौहर की मौत के बाद मन्नत पूरी करे। यूँही लौंडी, गुलाम को उनका मालिक मना कर सकता है यह आज़ाद होने के बअ्द पूरी करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने एक महीने के एअ्तिकाफ़ की इजाज़त दी और औरत लगातार पूरे महीने का एअ्तिकाफ़ करना चाहती है तो शौहर को इख़्तियार है कि यह हुक्म दे कि थोड़े–थोड़े करके एक महीना पूरा करे और अगर किसी ख़ास महीने की इजाज़त दी है तो अब इख़्तियार न रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़े वाजिब में मोअ्तकिफ़ को मस्जिद से बग़ैर उ़ज्र निकलना ह़राम है अगर निकला तो एअ्तिकाफ़ जाता रहा अगर्चे भूलकर निकला हो। यूँही एअ्तिकाफ़े सुन्नत भी बग़ैर उ़ज्र निकलने से जाता रहता है। यूँही औरत ने मस्जिदे बैत(घर में बनाई गई वह जगह जो औरत नमाज़ के लिए बना ले)में एअ्तिकाफ़े वाजिब या मसनून किया तो बग़ैर उ़ज्र वहाँ से नहीं निकल सकती

अगर वहाँ से निकलीं अगर्चे घर ही में रही एअ्तिकाफ़ जाता रहा। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ के मस्जिद से निकलने के दो उज़्र हैं एक हाजते तबई कि मस्जिद में पूरी न हो सके जैसे पाखाना, पेशाब इस्तिन्जा, वुज़ू और ग़ुस्ल की ज़रूरत हो तो ग़ुस्ल। मगर ग़ुस्ल व वुज़ू में यह शर्त है कि मस्जिद में न हो सकें यअ्नी कोई ऐसी चीज़ न हो जिसमें वुज़ू व ग़ुस्ल का पानी ले सके इस तरह कि मस्जिद में पानी की कोई बूँद न गिरे कि वुज़ू व ग़ुस्ल का पानी मस्जिद में गिराना ना–जाइज़ है और लगन वग़ैरा मौजूद हो कि उसमें वुज़ू इस तरह कर सकता है कि कोई छींट मस्जिद में न गिरे तो वुज़ू के लिए मस्जिद से निकलना जाइज़ नहीं, निकलेगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा। यूँही अगर मस्जिद में वुज़ू व ग़ुस्ल के लिए जगह बनी हो या हौज़ हो तो बाहर जाने की अब इजाज़त नहीं। दूसरा उज़्र हाजते शरई मसलन ईद या जुमा के लिए जाना या अज़ान कहने के लिए मीनार पर जाना जबकि मीनार पर जाने के लिए बाहर ही से रास्ता हो और अगर मीनार का रास्ता अन्दर से है तो मुअज़्ज़िन ही नहीं ग़ैरे मुअज़्ज़िन भी मीनार पर जा सकता है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कज़ाए हाजत यअ्नी पेशाब–पाखान को गया तो तहारत करके फ़ौरन चला आये ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर मोअ्तकिफ़ का मकान मस्जिद से दूर है और उसके दोस्त का मकान करीब तो यह ज़रूरी नहीं कि दोस्त के यहाँ कज़ाए हाजत को जाये बल्कि अपने मकान पर भी जा सकता है और अगर उसके खुद दो मकान हैं एक नज़दीक दूसरा दूर तो नज़दीक वाले मकान में जाये बअ्ज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं दूर वाले में जायेगा तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।

मसअ्ला :– जुमा अगर करीब की मस्जिद में होता है तो आफ़ताब ढलने के बअ्द उस वक़्त जाये कि अज़ाने सानी(जुमे के खुतबे से पहले होने वाली अज़ान)से पहले सुन्नतें पढ़ ले और अगर दूर हो तो आफ़ताब ढलने से पहले भी जा सकता है मगर इस अन्दाज़ से जाये कि अज़ाने सानी के पहले सुन्नतें पढ़ सके ज़्यादा पहले न जाये और यह बात उसकी राय पर है जब उसकी समझ में आ जाये कि पहुँचने के बअ्द सिर्फ़ सुन्नतों को वक़्त रहेगा चला जाये और फ़र्ज़ जुमा के बअ्द चार या छः रकअ्तें सुन्नतों की पढ़कर चला आये और ज़ोहरे एहतियाती पढ़नी है तो एअ्तिकाफ़ वाली मस्जिद में आकर पढ़े और अगर पिछली सुन्तों के बअ्द वापस न आया वहीं जामे मस्जिद में ठहरा रहा अगर्चे एक दिन–रात वहीं रह गया या अपना एअ्तिकाफ़ वहीं पूरा किया तो भी वह एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ मगर यह मकरूह है और यह सब उस सूरत में है कि जिस मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किया वहाँ जुमा न होता हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर ऐसी मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किया जहाँ जमाअ्त नहीं होती तो जमाअ्त के लिये निकलने की इजाज़त है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ के ज़माने में हज या उमरा का एहराम बाँधा तो एअ्तिकाफ़ पूरा कर के जाये और अगर वक़्त कम है कि एअ्तिकाफ़ पूरा करेगा तो हज जाता रहेगा तो हज को चला जाये फिर सिरे से एअ्तिकाफ़ करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर वह मस्जिद गिर गई या किसी ने मजबूर करके वहाँ से निकाल दिया और फ़ौरन दूसरी मस्जिद में चला गया तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर डूबने या जलने वाले को बचाने के लिए मस्जिद से बाहर गया या गवाही देने के

लिए गया या जिहाद में सब लोगों का बुलावा हुआ और यह भी निकला या मरीज़ की इयादत या नमाज़े जनाज़ा के लिए गया अगर्चे कोई दूसरा पढ़ने वाला न हो तो इन सब सूरतों में एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो गया। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत मस्जिद में मोअ्तकिफ़ थी उसे तलाक़ दी गयी तो घर चली जाये और उसी एअ्तिकाफ़ को पूरा कर ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मन्नत मानते वक़्त यह शर्त कर ली कि मरीज़ की इयादत और नमाज़े जनाज़ा और मज्लिसे इल्म में हाज़िर होगा तो यह शर्त जाइज़ है अगर इन कामों के लिए जाये तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न होगा मगर ख़ाली दिल में नियत कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि ज़बान से कह लेना ज़रूरी है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पाख़ाना, पेशाब के लिए गया था क़र्ज़ख़्वाह ने रोक लिया एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो गया।

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ को वती यअ्नी जिमा करना और औरत को बोसा लेना या छूना या गले लगाना हराम है,जिमा से बहरहाल एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा इन्ज़ाल हो या न हो क़स्दन हो या भूले से,मस्जिद में हो या बाहर,रात में हो या दिन में। जिमाअ् के अलावा औरों में अगर इन्ज़ाल हो तो फ़ासिद वरना नहीं। एहतिलाम हो गया या ख़्याल जमाने या नज़र करने से इन्ज़ाल हुआ तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ ने दिन में भूल कर खा लिया तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ गाली–गलौच या झगड़ा करने से एअ्तिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता मगर बे–नूर व बे–बरकत होता है।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ निकाह कर सकता है और औरत को रजई तलाक़ दी है तो रजअ्त भी कर सकता है मगर इन उमूर (कामों)के लिए अगर मस्जिद से बाहर होगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार) मगर जिमा और बोसा वग़ैरा से उसको रजअ्त हराम है अगर्चे रजअ्त हो जायेगी।

मसअ्ला :– मोअ्तिकफ़ ने हराम माल या नशे की चीज़ रात में खाई तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी)मगर इस हराम का गुनाह हुआ तौबा करे।

मसअ्ला :– बेहोशी और जुनून तवील (ज़्यादा)हो कि रोज़ा न हो सके तो एअ्तिकाफ़ जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है अगर्चे कई साल के बअ्द सेहत हो और अगर मातुव्वा यअ्नी बुहरा (यअ्नी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जो अजीब–अजीब बातें करे) हो गया जब भी अच्छे होने के बाद क़ज़ा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ मस्जिद में ही खाये, पिये और सोये इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर होगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) मगर खाने पीने में यह एहतियात लाज़िम है कि मस्जिद आलूदा न हो यअ्नी मस्जिद में खाना–पीना न गिराये।

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने, पीने, सोने की इजाज़त नहीं और अगर यह काम करना चाहे तो एअ्तिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में जाये और नमाज़ पढ़े या ज़िक्रे इलाही करे फिर यह काम कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ अगर ब–नियते इबादत सुकूत करे यअ्नी चुप रहने को सवाब की बात समझे तो मकरूहे तहरीमी है और अगर चुप रहना सवाब की बात समझकर न हो तो हरज़ नहीं और बुरी बात से चुप रहा तो यह मकरूह नहीं बल्कि यह तो अअ्ला दर्जे की चीज़ है क्यूँकि बुरी

बात ज़बान से न निकालना वाजिब है और ज़िस बात में न सवाब हो न गुनाह यअ्नी मुबाह बात भी मोतकिफ़ को मकरूह है मगर ब–वक़्ते ज़रूरत और बे–ज़रूरत मस्जिद में मुबाह कलाम (मुबाह कलाम वह गुफ़्तगू जिसके करने से न गुनाह हो न सवाब) नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मोअ्तकिफ़ न चुप रहे न कलाम करे तो क्या करे यह करे कुर्आन मजीद की तिलावत, हदीस शरीफ़ की किरात, और दुरूद शरीफ़ की कसरत, इल्मे दीन का दर्स व तदरीस (पढ़ना–पढ़ाना)नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम व दीगर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सीरत व ज़िक्र और औलिया व सालेहीन की हिकायत और उमूरे दीन की किताबत (दीन की बातों की लिखाई)। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— एक दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो उसमें रात दाख़िल नहीं तुलूए फ़ज्र से पहले मस्जिद में चला जाये और गुरूब के बाद चला आये और अगर 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा दिनों की मन्नत मानी या दो या तीन या ज़्यादा रातों की एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो इन दोनों सूरतों में अगर सिर्फ़ दिन या सिर्फ़ रातें मुराद लें तो नियत सही है। लिहाज़ा पहली सूरत में मन्नत सही और सिर्फ़ दिनों में एअ्तिकाफ़ वाजिब हुआ और इस सूरत में इख़्तियार है कि उतने दिनों का लगातार एअ्तिकाफ़ करे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर,और दूसरी सूरत में मन्नत सही नहीं कि एअ्तिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है और रात में रोज़ा हो नहीं सकता और अगर दोनों सूरतों में दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ ज़रूरी है तफ़रीक़ नहीं कर सकता यअ्नी दिन छोड़–छोड़ कर नहीं कर सकता। नीज़ इस सूरत में यह भी ज़रूरी है कि दिन से पहले जो रात है उसमें एअ्तिकाफ़ हो। लिहाज़ा गुरूबे आफ़ताब से पहले जाये एअ्तिकाफ़ में चला जाये और जिस दिन पूरा हो गुरूब आफ़ताब के बअ्द निकल आये और अगर दिन की मन्नत मानी और कहता यह है कि मैंने दिन कहकर रात मुराद ली तो यह नियत सही नहीं दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ वाजिब है। (जौहरा,आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— ईद के दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो किसी और दिन में जिस दिन रोज़ा रखना जाइज़ है उसकी क़ज़ा करे और अगर यमीन(क़सम)की नियत थी तो कफ़्फ़ारा दे और ईद ही के दिन कर लिया तो मन्नत पूरी हो गई मगर गुनाहगार हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— किसी दिन या किसी महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो उससे पहले भी उस मन्नत को पूरा कर सकता है यअ्नी जबकि मुअ़ल्लक़ न हो (यअ्नी ऐसा न हो कि फ़लाँ काम हो जायेगा तो एअ्तिकाफ़ करूँगा)और मस्जिदे हरम शरीफ़ में एअ्तिकाफ़ करने की मन्नत मानी तो दूसरी मस्जिद में भी कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— माहे गुज़श्ता (गुज़रे हुए महीने)के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो सही नहीं, मन्नत मानकर मआ़ज़ल्लाह मुरतद हो गया तो मन्नत साक़ित हो गई फिर मुसलमान हुआ तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और मर गया तो हर रोज़ के बदले ब–क़द्रे सदक़ए फ़ित्र मिस्कीन को दिया जाये यअ्नी जबकि वसीयत की हो और उस पर वाजिब है कि वसीयत कर जाये और वसीयत न की मगर वारिसों ने अपनी तरफ़ से फ़िदया दे दिया जब भी जाइज़ है। मरीज़ ने मन्नत मानी और मर गया तो अगर एक दिन को भी अच्छा हो गया था तो हर

रोज़ के बदले सदकए फित्र की कद्र दिया जाये और एक दिन को भी अच्छा न हुआ तो कुछ वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह बात उसके इख़्तियार में है कि जिस महीने का चाहे एअ्तिकाफ़ करे मगर लगातार एअ्तिकाफ़ में बैठना वाजिब है और अगर यह कहे कि मेरी मुराद एक महीने के सिर्फ़ दिन थे रातें नहीं तो यह कौल नहीं माना जायेगा। दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ है और तीस दिन कहा था कि एक महीने के दिनों का एअ्तिकाफ़ है रातों का नहीं तो सिर्फ़ दिनों का एअ्तिकाफ़ वाजिब हुआ और अब यह भी इख़्तियार है कि मुतफ़रिंक तौर पर तीस दिन का एअ्तिकाफ़ कर ले और अगर यह कहा था कि एक महीने की रातों का एअ्तिकाफ़ है दिनों का नहीं तो कुछ नहीं। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— एअ्तिकाफ़ नफ़्ल अगर छोड़ दे तो उसकी कज़ा नहीं कि वहीं तक ख़त्म हो गया ,और एअ्तिकाफ़े मसनून कि रमज़ान की पिछली दस तारीख़ों तक के लिए बैठा था उसे तोड़ा तो जिस दिन तोड़ा फ़कत उस एक दिन की कज़ा करे पूरे दस दिनों की कज़ा वाजिब नहीं और मन्नत का एअ्तिकाफ़ तोड़ा तो अगर किसी मुअ़य्यन महीने की मन्नत थी तो बाक़ी दिनों की कज़ा करे वरना अगर अ़ललइत्तिसाल वाजिब न था तो, बाक़ी का एअ्तिकाफ़ करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— एअ्तिकाफ़ की कज़ा सिर्फ़ कस्दन तोड़ने से नहीं बल्कि अगर उज़्र की वजह से छोड़ा मसलन बीमार हो गया या बिला इख़्तियार छूटा मसलन औरत को हैज़ या निफ़ास आया या जुनून व बेहोशी तवील तारी हुई उनमें भी कज़ा की हाजत नहीं बल्कि बाज़ की कज़ा कर दे और कुल फ़ौत हुआ तो कुल की कज़ा है और मन्नत में अ़ललइत्तिसाल वाजिब हुआ था तो अ़ललइत्तिसाल कुल की कज़ा है। (रद्दुल मुहतार)

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الَائِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ اَنْبِيَائِهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ اَوْلِيَائِهِ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431

मोबाइल न. 9219132423